राष्ट्रीय डेरी
विकास बोर्ड

वार्षिक रिपोर्ट
2018-19

विषय सूची

बोर्ड के सदस्य	01
बीता वर्ष	02
सहकारी व्यवसाय को सुदृढ़ बनाना	04
उत्पादकता वृद्धि	12
पशु प्रजनन	
पशु पोषण	
पशु स्वास्थ्य	
अनुसंधान एवं विकास	24
उत्पाद तथा प्रक्रिया विकास	
सूचना नेटवर्क का निर्माण	28
मानव संसाधन विकास	30
अभियांत्रिकी परियोजनाएं	34
राष्ट्रीय डेरी योजना	38
पशुधन एवं आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केन्द्र	48
अन्य गतिविधियां	50
सहायक कंपनियां	52
आईडीएमसी लि.	
इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लि.	
मदर डेरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा.लि.	
एनडीडीबी डेरी सर्विसेज	
डेरी सहकारिताओं की एक झलक	58
आगंतुक	63
लेखा	64
एनडीडीबी के अधिकारी	88

बोर्ड के सदस्य *31 मार्च 2019 की स्थिति*

श्री दिलीप रथ
अध्यक्ष

श्री मिहिर कुमार सिंह
संयुक्त सचिव
(मवेशी एवं डेयरी विकास)
पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

श्री रसिक परमार
अध्यक्ष
छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी डेरी महासंघ
छत्तीसगढ़

प्रो. गुरू प्रसाद सिंह
कृषि विज्ञान संस्थान
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय
वाराणसी

श्री संग्राम चौधरी
कार्यपालक निदेशक

श्री युवराज यशवंत पाटील
कार्यपालक निदेशक

बीता वर्ष

देश में दुग्ध उत्पादन 2018-19 में 6.5 प्रतिशत तक बढ़कर 18.77 करोड़ टन हो गया, जबकि 2017-18 में यह 17.63 करोड़ टन था। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर प्रतिदिन 394 ग्राम हो गई।

डेरी उद्योग आजीविका का एक स्रोत

भीषण गर्मियों के महीनों के दौरान भी जब आम तौर पर दूध का उत्पादन घटता है, तब भी डेरी सहकारिताओं द्वारा दूध के औसत संकलन में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

घरेलू डेरी परिदृश्य

देश में दुग्ध उत्पादन पिछले वर्ष के 6.5 प्रतिशत तक बढ़कर 18.77 करोड़ टन हो गया। दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता बढ़कर प्रति दिन 394 ग्राम हो गई।

वर्ष के दौरान पशु आहार, चावल की भूसी और तिलहन खल के थोक मूल्य सूचकांक में 3-4 प्रतिशत की वृद्धि हुई। चावल की भूसी, जो संतुलित पशु आहार में एक प्रमुख घटक है, निकालने के मूल्य में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। हालांकि, दूध के फार्म गेट मूल्यों में नरमी रही।

डेरी वस्तुओं का निर्यात पांच वर्षों के बाद फिर से चालू हुआ और वर्ष के दौरान लगभग 64,000 टन स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) और एसएमपी के बराबर कैसिन का निर्यात किया गया, जो 2013-14 में रिकॉर्ड निर्यात के बाद दूसरा सबसे बड़ा निर्यात था।

अंतर्राष्ट्रीय डेरी परिदृश्य

2018 में 84.32 करोड़ टन के 4.0 प्रतिशत से अधिक वैश्विक दुग्ध उत्पादन और यूरोप तथा यूएसए (संयुक्त राज्य अमरीका) में रिकॉर्ड पाउडर स्टॉक के साथ वर्ष की शुरूआत हुई। कई डेरी निर्यातक देशों के पास स्टॉक से अधिक डेरी उत्पाद उपलब्ध थे, वैश्विक आयात में मंदी थी और निर्यातक देशों को एक अच्छा उछाल मिलने की उम्मीद थी। वैश्विक स्तर पर मुख्यत: स्किम्ड मिल्क पाउडर (एसएमपी) की कीमतों के लगभग यूएसडी 1,900 प्रति टन, एफओबी ओशिनिया के निचले स्तर को छूने के कारण यह वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा।

अप्रैल और जून 2018 के बीच सूखा पड़ने और न्यूजीलैंड में डेरी पशु झुंडों में माइकोप्लाज्मा बोविस (रोग) होने, यूरोप में लू चलने, अर्जेंटीना में 45 प्रतिशत वार्षिक मुद्रास्फीति तथा यूरोप में फॉस्फेट उर्त्सजन में कमी के पूर्वानुमान के कारण वैश्विक डेरी उत्पाद मूल्यों में सुधार आया। अत: एसएमपी का भाव यूएसडी 2,100 प्रति टन तक बढ़ गया। जुलाई 2018 के बाद, अच्छी बारिश और उत्तम चारा वृद्धि के चलते बाजार के रूख में फिर से नरमी दिखी, जिसके कारण न्यूजीलैंड के दूध उत्पादन में वृद्धि हुई। इस प्रकार डेरी उत्पादों का अधिशेष निरंतर बना रहा और एसएमपी के अनबिके स्टॉक से बाजार में मंदी रही।

नवंबर 2018 में, शीर्ष पांच निर्यातक देशों का वृद्धिशील दूध उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान के स्तर से नीचे लुढ़क गया तथा चीन, मैक्सिको और दक्षिण पूर्व एशिया द्वारा बढ़ते आयात से विश्व डेरी बाजार मूल्यों में सुधार आया। इसके परिणामस्वरूप, मार्च 2019 में विश्व एसएमपी मूल्य अपने अप्रैल 2018 के निचले स्तर के मूल्य यूएसडी 1,900 से बढ़कर यूएसडी 2,700 प्रति टन एफओबी-ओशिनिया हो गया।

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मंदी के बीच और रिपोर्ट अवधि के दौरान घरेलू दूध उत्पादन में निरंतर वृद्धि के कारण भारत में निर्यातक प्रसंस्करण संयंत्रों ने किसानों से दूध खरीदना कम कर दिया। इसके परिणामस्वरूप, अधिशेष दूध को डेरी सहकारी समितियों में भेज दिया गया, जिसके कारण औसतन 508 लाख किलोग्राम प्रतिदिन की दर से दूध संकलन में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि हुई। डेरी सहकारिताओं द्वारा 355 लाख लीटर प्रतिदिन की तरल दूध की बिक्री में लगभग 1 प्रतिशत की मामूली वृद्धि दर्ज करते हुए, लगभग 153 लाख लीटर दूध के शुद्ध अधिशेष को मुख्य रूप से एसएमपी और मक्खन में परिवर्तित कर दिया गया क्योंकि इनकी शैल्फ लाइफ अधिक थी। इस कारण सहकारी डेरियों ने एसएमपी, मक्खन और घी के अनबिके स्टॉक के साथ वर्ष की शुरुआत की, जिसका मूल्य लगभग ₹ 6,600 करोड़ था।

भीषण गर्मियों के महीनों के दौरान भी जब आम तौर पर दूध का उत्पादन घटता है, डेरी सहकारी समितियों द्वारा दूध के औसत संकलन में लगभग 15 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके चलते पुनर्संयोजन के लिए एसएमपी और मक्खन के स्टॉक का उपयोग नहीं हो पाया। इसके साथ कमोडिटी के अतिरिक्त उत्पादन से स्टॉक में और वृद्धि हुई। जब देश में मानसून की शुरुआत हुई, तो प्रमुख डेरी सहकारी समितियों की असाधारण मात्रा में इनवेंटरी के कारण निधि ब्लाक हो गई और उन्हें इस हद तक धन के अभाव का सामना करना पड़ा कि कुछ खरीदे गए दूध का डेरी किसान को समय पर भुगतान नहीं कर पाए।

पूरे वर्ष के दौरान, एसएमपी का बाजार मूल्य ₹147 प्रति किग्रा के कम स्तर पर बना रहा, जो कि ₹238 के उत्पादन मूल्य से काफी कम था और इस प्रकार डेरी सहकारी समितियों पर जमीनी स्तर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। लगभग 5-7 प्रतिशत के कम लाभ अंतर के कारण, कार्यशील पूंजी ऋण पर ब्याज के बोझ को सहन करने का कोई विकल्प नहीं था। हालांकि, भारत सरकार (जीओआई) और कुछ प्रभावित राज्य सरकारों ने एसएमपी के निर्यात पर सब्सिडी प्रदान की, परंतु अधिकतर डेरी सहकारी समितियों के लिए पूरा वर्ष चुनौतीपूर्ण रहा।

सहकारी व्यवसाय को सुदृढ़ बनाना

एनडीडीबी सहकारी दूध संघों के संचालनों को मजबूती प्रदान करने और डेरी किसानों की आय में वृद्धि करने के लिए निरंतर समर्पित रही।

बच्चे को एक बेहतर भविष्य का उपहार दें

डेरी सहकारिताओं में महिलाओं की सदस्यता बढ़कर 50.6 लाख हुई।

वर्ष के दौरान, सहकारी दूध संघों ने मिलकर लगभग 1,90,516 ग्रामीण दूध सहकारी समितियों को कवर किया जिसमें 1.69 करोड़ दूध उत्पादकों की संचयी सदस्यता है। सहकारी दूध संघों ने मिलकर पिछले वर्ष में 475.29 लाख प्रतिदिन की तुलना में लगभग 7 प्रतिशत की वृद्धि के साथ औसतन प्रतिदिन 507.69 लाख किग्रा दूध का संकलन किया। पिछले वर्ष की तुलना में 1 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए प्रतिदिन 354.53 लाख लीटर तरल दूध की बिक्री हुई।

मार्च 2019 तक पूरे देश में डेरी सहकारिता में महिला सदस्यों की कुल संख्या 50.6 लाख थी, जो कुल सदस्यता के लगभग 30 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करती है।

पिछले वर्ष के दौरान संचालित की नई पहलों को आगे बढ़ाते हुए डेरी सहकारी नेटवर्क की क्षमता का अधिक लाभ उठाने के प्रयास किए गए। पिछले वर्ष के दौरान शुरू हुई सोलर पम्प इरिगेटर्स कोऑपरेटिव इंटरप्राइज पर एक प्रायोगिक परियोजना से पैदा होने वाली सौर ऊर्जा की बिक्री से डेरी किसानों को अतिरिक्त मासिक आय प्राप्त होने लगी है।

वर्ष के दौरान, डेरी इनोवेशन पुरस्कार समारोह आयोजित किया, जिसमें बासठ उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं (पीओआई) ने डेरी मूल्य श्रृंखला के विभिन्न कार्य क्षेत्रों में 238 इनोवेशन प्रदर्शित किए। 'डेरी किसानों की आय दोगुनी करने में प्रौद्योगिकी की भूमिका' पर एक कार्यशाला भी आयोजित की गई, जिसमें देश भर के लगभग 1,000 किसानों ने भाग लिया और डेरी क्षेत्र से संबंधित विभिन्न प्रौद्योगिकियों के बारे में जानकारी प्राप्त की।

एनडीडीबी की खाद प्रबंधन पहल बायोगैस का उपयोग करके महिला डेरी किसानों को मासिक ईंधन व्यय पर बचत करने में सहयोग प्रदान कर रही है।

एनडीडीबी ने विभिन्न कार्यशालाओं एवं संगोष्ठियों के आयोजन द्वारा मधुमक्खीपालन के महत्व के बारे में दूध संघों के अधिकारियों एवं फील्ड कर्मचारियों को जानकारी उपलब्ध कराके डेरी सहकारिताओं के बीच वैज्ञानिक मधुमक्खीपालन को बढ़ावा देना निरंतर जारी रखा। इच्छुक किसानों के लिए आयोजित एक सप्ताह के व्यापक कौशल निर्माण एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम से कुछ डेरी सहकारिताएं शहद की खरीद एवं बिक्री करने के लिए प्रोत्साहित हुईं।

एनडीडीबी को राष्ट्रीय मधुमक्खीपालन एवं मधु मिशन (एनबीएचएम), जो भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है, की एक कार्यान्वयन एजेंसी के रूप में नामित किया गया है जो डेरी सहकारिताओं के विशाल नेटवर्क के माध्यम से इस गतिविधि को बढ़ावा देने में सहायता प्रदान करेगी। एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मदर डेरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लि., एनसीआर, भुवनेश्वर और वाराणसी में अपने ब्रांड ''सफल'' के अंतर्गत अपने 375 स्टोर के नेटवर्क के माध्यम से शहद की खरीद एवं बिक्री द्वारा मधुमक्खीपालन गतिविधियों में भी सहयोग दे रही है।

एनडीडीबी ने उन क्षेत्रों में डेरी विकास की जिम्मेदारी भी ली है, जहां इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ है। असम, झारखंड एवं महाराष्ट्र में एनडीडीबी के प्रयासों से सकारात्मक परिणाम दिखाई दे रहे हैं। शाहजहांपुर महिला दूध संघ लि. को संपूर्ण महिला डेरी सहकारिता के रूप में विकसित करने के लिए एनडीडीबी ने उत्तर प्रदेश सरकार के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं।

सहकारिताओं में दूध उत्पादकों का विश्वास सुनिश्चित करना

ग्राम आधारित दूध संकलन प्रणाली का सुदृढ़ीकरण

संचालनों में पारदर्शिता को प्रोत्साहित करने और दूध की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए एनडीडीबी द्वारा कार्यान्वित राष्ट्रीय डेरी योजना चरण-I (एनडीपी-I) की एक प्रमुख घटक ग्राम आधारित दूध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस) ने अनुमोदित उप-परियोजनाओं के अनुरूप लक्ष्यों को प्राप्त करना जारी रखा। मार्च 2019 तक, अनुमोदित उप परियोजना योजनाओं (एसपीपी) की संख्या बढ़कर 245 उप परियोजनाओं तक पहुंच गई, जिसमें कुल अनुमोदित अनुदान सहायता राशि ₹ 689.03 करोड़ के साथ 118 जिला सहकारी दूध संघों तथा छः उत्पादक कंपनियां को कवर किया गया।

मार्च 2019 तक, नई समितियों को गठित करके तथा मौजूदा डेरी सहकारी समितियों को बल्क मिल्क कूलरों का प्रयोग करते हुए प्रशीतन सुविधाओं एवं आधुनिक दूध परीक्षण सुविधाओं द्वारा मजबूती प्रदान करके दोनों तरीके से 32,870 गांवों को कवर किया गया है। लगभग 8.04 लाख नए सदस्यों को शामिल किया गया और 9.98 लाख वर्तमान सदस्य दूध संकलन प्रणाली में हुए सुधारों से लाभान्वित हुए। इस वृद्धिशील सदस्यता में लगभग 48 प्रतिशत महिला सदस्य हैं। इस योजना के अंतर्गत अतिरिक्त दूध संकलन 29.94 लाख किग्रा प्रतिदिन (लाकिग्राप्रदि) से अधिक रहा है।

महिला सदस्यों की वृद्धि करने पर पर्याप्त ध्यान दिया जा रहा है। इसके परिणामस्वरूप 4,635 नई समस्त महिला डीसीएस का गठन किया गया। दूध संकलन मार्गों के महत्वपूर्ण स्थलों पर लगभग 3,000 बल्क मिल्क कूलरों की स्थापना से दूध की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। यह अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों के (ईआईए) स्तर पर डेरी संयंत्रों द्वारा दर्ज उच्च मेथिलीन ब्लू रिडक्शन टेस्ट (एमबीआरटी) के परिणामों से स्पष्ट होता है।

डेरी सहकारिताओं का प्रबंधन

पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लि.

एनडीडीबी ने पूर्बी डेरी के नाम से प्रसिद्ध पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लि. (वामूल) को प्रबंधित करना निरंतर जारी रखा। वर्ष के दौरान वामूल ने 224 दूध संकलन केंद्रों के माध्यम से 12,365 डेरी किसानों से लगभग 4.3 प्रतिशत फैट एवं 8.3 प्रतिशत एसएनएफ वाला प्रतिदिन 32,540 किग्रा दूध संकलित किया। वामूल द्वारा इससे संबद्ध डेरी किसानों को प्रतिकिग्रा दूध के लिए औसत दूध खरीद मूल्य ₹ 36.00 का भुगतान किया गया जो देश में सबसे अधिक दूध की खरीद का मूल्य भुगतान है।

वर्ष के दौरान, वामूल ने विश्व बैंक सहायता परियोजना - असम एग्री बिजनेस एंड रूरल ट्रांस्फार्मेशन प्रोजेक्ट (अपार्ट) के अंतर्गत सौर संचालित ग्राम आधारित स्वचालित दूध संकलन इकाइयों (एएमसीयू) की खरीद की प्रक्रिया की शुरूआत की थी ताकि इससे दूध संकलन केंद्रों पर दूध संकलन में अधिक पारदर्शिता लाई जा सके और परीक्षण प्रक्रियाओं को स्थापित किया जा सके। इन इकाइयों का संचालन एनडीडीबी द्वारा विकसित एएमसीएस सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया जाएगा। वर्ष के दौरान, अपार्ट के अंतर्गत, वामूल ने दूध संकलन, संस्थागत निर्माण एवं इनपुट सेवाओं के क्षेत्र में संचालनों को जारी रखने के लिए मुख्य पदाधिकारियों की नियुक्ति की। वर्ष के दौरान वामूल ने बक्सा और बारपेटा में दो क्यूबिक मीटर प्रत्येक की क्षमता की दो बायोगैस इकाइयों की स्थापना भी की।

वर्ष के दौरान, वामूल ने किफायती दरों पर विभिन्न इनपुट सेवाएं जैसे कि घर-पहुंच एआई डिलीवरी, पशु आहार एवं आहार संपूरकों का वितरण उपलब्ध करना निरंतर जारी रखा। वर्ष के दौरान अपने डेरी किसानों के लिए क्षेत्र प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों का आयोजन भी किया गया। वामूल ने 65,854 एआई डिलीवरी और 23,353 बछड़ों (जिनमें से 12,405 मादा हैं) के पैदा होने की जानकारी दी, जिनमें अपार्ट परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिलों में 316 मोबाइल एआई तकनीशियनों (एमएआईटी) के नेटवर्क के जरिए 2,000 से अधिक गांवों को शामिल किया गया है।

वर्ष के दौरान, वामूल ने लगभग 88 मीट्रिक टन पशु आहार तथा लगभग 7 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण की बिक्री की।

वामूल ने मोरीगांव जिले के बोरजरी गांव में बछड़ा रैली का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में वामूल की घर-पहुंच एआई डिलीवरी परियोजना से पैदा हुए सर्वश्रेष्ठ बछड़ों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम के दौरान सर्वश्रेष्ठ कार्य करने वाले मोबाइल एआई तकनीशियनों को भी सम्मानित किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान, वामूल ने प्रतिदिन लगभग 54,000 लीटर पैकेज्ड तरल दूध की बिक्री की पूर्बी ब्रांड के अंतर्गत इसके अलावा पनीर, मीठी दही, सादा दही और घी की बिक्री भी की। वर्ष के दौरान वामूल ने दक्षिण एशिया खाद्य एवं पोषण सुरक्षा पहल (एसएएफएएनएसआई) परियोजना के अंतर्गत प्राप्त वित्तीय सहयोग से विटामिन ए एवं डी से फोर्टिफाइड अपने टोंड दूध ''पूर्बी स्मार्ट'' की बिक्री द्वारा दूध फोर्टिफिकेशन की संकल्पना को बढ़ावा देना सतत् जारी रखा। वामूल ने पिछले वर्ष में दर्ज ₹ 94.3 करोड़ के प्रति ₹ 102.4 करोड़ (अनंतिम) का बिक्री कारोबार दर्ज करते हुए गत वर्ष की अपेक्षा लगभग नौ प्रतिशत की वृद्धि हासिल की।

एनडीडीबी के प्रबंधन के अंतर्गत पिछले दशक से वामूल की कायापलट के मद्देनजर एनडीडीबी, वामूल तथा असम सरकार के बीच त्रिपक्षीय अनुबंध

पर हस्ताक्षर किए गए, जिसे मई 2021 तक तीन वर्षों की अवधि के लिए आगे बढ़ाया गया है।

झारखंड दूध महासंघ

एनडीडीबी ने झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ लि. (जेएमएफ) को प्रबंधित करना निरंतर जारी रखा। दूध महासंघ ने झारखंड में फैले लगभग 2,000 गांवों को शामिल करते हुए 20,000 दूध प्रदाताओं से औसतन लगभग 125 हकिग्राप्रदि दूध संकलन को हासिल किया। महासंघ ने वर्ष के दौरान दूध उत्पादकों के व्यक्तिगत बैंक खाते में सीधे बैंक अंतरण के जरिए लगभग ₹ 127.4 करोड़ का भुगतान किया। इसके अलावा, वित्तीय वर्ष के दौरान दूध प्रदाताओं को लगभग 1.7 करोड़ के अतिरिक्त मूल्य का भुगतान किया गया। 2018-19 के दौरान, महासंघ ने औसतन 109 हलीप्रदि के थोक बिक्री के साथ तरल दूध का विपणन किया। वित्तीय वर्ष के अंत तक, 380 डीपीएमसीयू एवं एएमसीयू को क्रियाशील किया गया। राज्य में डेरी विकास की संभावना को ध्यान में रखते हुए झारखंड सरकार ने झारखंड के साहेबगंज, देवघर और पलामू जिले में तीन नई डेरियों के निर्माण को अनुमोदित किया। साहेबगंज और देवघर डेरियों का सिविल कार्य प्रगति पर है।

झारखंड दूध महासंघ ने 214 स्थानीय जानकार व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया, जिन्होंने वर्ष के दौरान 225 गांवों को शामिल करते हुए 10,464 दूध उत्पादकों को उनके 14,218 दुधारू पशुओं के लिए आहार परामर्श सुविधाएं उपलब्ध कराई। वर्ष के दौरान लगभग 555 दूध उत्पादकों एवं ग्राम स्तरीय समिति के सदस्यों को प्रशिक्षित किया गया।

एनडीपी-I के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के अलावा, जेएमएफ ने वर्ष के दौरान लगभग 4,000 दूध उत्पादकों को वैज्ञानिक पशुपालन पर प्रशिक्षण उपलब्ध कराया।

जेएमएफ ने होटवार डेरी संयंत्र के परिसर में देशी गौपालन एवं चारा प्रबंधन पर एक आधुनिक प्रशिक्षण व प्रदर्शन फार्म स्थापित किया गया है। इस फार्म का उद्देश्य झारखंड की कृषि जलवायु परिस्थितियों में देशी नस्लों जैसे कि राठी (राजस्थान) तथा गिर (गुजरात) के प्रदर्शन का मूल्यांकन करना है। इसके अलावा, विभिन्न हरे चारे की किस्मों जैसे कि नेपियर, मार्वल घास, मोरिंगा, मक्का, बाजरा, ज्वार, लोबिया, वेल्वेट बीन (कौंच), कांटे रहित कैक्टस, जई, बरसीम, राई घास और चाइनीज पत्तागोभी का प्रदर्शन किया जा रहा है, जिससे कि हरा चारा उत्पादन के बारे में जागरूकता फैलाई जा सके। वर्ष के दौरान महासंघ ने दूध उत्पादकों को 3,500 मीट्रिक टन मिश्रित पशु आहार की आपूर्ति की।

उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को वित्तीय सहायता

एनडीडीबी ने डेरी संयंत्रों में दूध प्रसंस्करण, आहार विनिर्माण, सौर ऊर्जा के उपयोग के बुनियादी ढाँचे के विस्तार तथा अन्य गतिविधियों जैसे कि कौशल विकास के लिए उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं (पीओआई) को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना निरंतर जारी रखा। 'बुनियादी ढांचे से संबंधित परियोजनाओं, कौशल विकास एवं प्रशिक्षण हेतु वित्तीय सहयोग उपलब्ध कराना' योजना के अंतर्गत कुल परिव्यय ₹ 147.1 करोड़ की पीओआई की परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान किया। वर्ष के दौरान, पीओआई को ₹ 201.7 करोड़ की दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई गई।

2018-19 के दौरान, एनडीडीबी ने उत्पादक स्वामित्व वाली संस्थाओं को ₹ 548 करोड़ की कार्यशील पूंजी सुविधा अनुमोदित की। अब तक, 2017-18 में आरंभ की गई कार्यशील पूंजी योजना के अंतर्गत ₹ 865 करोड़ की कार्यशील पूंजी सुविधा अनुमोदित की जा चुकी है।

डेरी प्रसंस्करण एवं बुनियादी ढांचा विकास निधि (डीआईडीएफ)

2017-18 के दौरान, भारत सरकार (जीओआई) ने 'डेरी प्रसंस्करण एवं बुनियादी ढांचा विकास निधि (डीआईडीएफ)' का शुभारंभ किया। इस योजना का कुल वित्तीय परिव्यय ₹ 10,881 करोड़ है, जिसमें ₹ 8,004 करोड़ राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) से ऋण के रूप में, ₹ 2,001 करोड़ अंतिम ऋणी एजेंसी के योगदान के रूप में शामिल है। इसमें परियोजना प्रबंधन एवं अध्ययन के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों द्वारा ₹ 12 करोड़ का योगदान दिया जाएगा तथा भारत सरकार से नाबार्ड को ₹ 864 करोड़ की ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। दूध प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का निर्माण/आधुनिकीकरण/विस्तार, मूल्य वर्धित उत्पादों के लिए विनिर्माण सुविधाएं, ग्राम स्तर पर चिलिंग बुनियादी ढांचे तथा इलेक्ट्रानिक दूध परीक्षण उपकरण की स्थापना इस योजना के प्रमुख घटक हैं।

एनडीडीबी इस योजना की एक कार्यान्वयन एजेंसी है। सहकारी दूध संघ, राज्य सहकारी डेरी महासंघ, बहुराज्य दूध सहकारिताएं, दूध उत्पादक कंपनियां तथा एनडीडीबी की सहायक कंपनियां पात्र अंतिम ऋणी हैं। इस योजना के अंतर्गत 6.5 प्रतिशत प्रतिवर्ष की ब्याज दर के साथ ऋण के रूप में सहायता उपलब्ध है।

सहकारी दूध संघों ने मिलकर लगभग **7** प्रतिशत की वृद्धि के साथ औसतन प्रतिदिन **507.69** लाख किग्रा दूध का संकलन किया।

मार्च 2019 तक, परिव्यय ₹ 3,147.2 करोड़ के साथ पीओआई की 22 परियोजनाओं का अनुमोदित किया गया, जिसमें ₹ 2,157.6 करोड़ का ऋण शामिल है। इस योजना के अंतर्गत पीओआई को ₹ 438.5 करोड़ निधि जारी की गई है। अनुमोदित परियोजनाओं के क्रियान्वयन से पीओआई की दूध प्रसंस्करण क्षमताओं में 90.2 लाख लीटर प्रतिदिन तक की बढ़ोतरी होगी।

सहकारिताओं के माध्यम से डेरी उद्योग – स्थाई आजीविका की कुंजी

एनडीडीबी ने पीओआई की संपूर्ण मूल्य श्रृंखला को मजबूती प्रदान करने पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संघ (जीका) से आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) ऋण प्राप्त करके 'सहकारिताओं के माध्यम से डेरी उद्योग – स्थाई आजीविका की कुंजी' का एक परियोजना प्रस्ताव तैयार किया है। देश के पिछड़े जिलों में विभिन्न डेरी विकास गतिविधियों के जरिए डेरी किसानों की आजीविका में सुधार लाने के लिए एक प्रायोगिक परियोजना बनाई गई है। पशुपालन एवं डेयरी विभाग (डीएएचडी), भारत सरकार (जीओआई) ने उत्तर प्रदेश (31 जिले) और बिहार (22 जिले) के 53 सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े जिलों को चयनित किया है, जिनमें डेरी के लिए संसाधन उपलब्ध कराने पर तेजी से विकास की संभावनाएं निहित हैं।

परियोजना के अंतर्गत, दुधारू पशुओं की उत्पादकता वृद्धि की गतिविधियों के साथ-साथ दूध संकलन प्रणाली, दूध प्रसंस्करण, विपणन एवं आईसीटी बुनियादी ढ़ांचे की स्थापना हेतु विभिन्न गतिविधियों की परिकल्पना की गई है।

यह परियोजना राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा प्रतिभागी संस्थाओं (पीआई) अर्थात् राज्य दूध महासंघों, दूध संघों, बहु राज्य दूध सहकारिताओं तथा उत्पादक कंपनियों के माध्यम से कार्यान्वित की जाएंगी। इस परियोजना का कुल अनुमानित परिव्यय ₹ 1,568.2 करोड़ है जिसमें ₹ 962.9 करोड़ ऋण के रूप में, ₹ 475.5 करोड़ अनुदान के रूप में तथा ₹ 129.8 करोड़ राज्य/भागीदार संस्था के शेयर के रूप में शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत किफायती ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराए जाने की परिकल्पना की गई है।

परियोजना प्रस्ताव का कार्य मूल्यांकन किया गया है तथा भारत सरकार एवं जीका के बीच 21 दिसंबर 2018 को ऋण अनुबंध निष्पादित किया गया है। भारत सरकार से अनुमोदित होने के बाद परियोजना के आरंभ होने की संभावना है।

महाराष्ट्र के विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्रों में डेरी विकास पहल

यह परियोजना ग्राम स्तर पर कुशल संस्थागत प्लेटफार्मों की स्थापना करने पर केंद्रित है जिससे कि इन क्षेत्रों में डेरी किसान को अपने दूध का अनुकूलतम मूल्य पाने के लिए सक्षम बनाया जा सके और विभिन्न उत्पादकता वृद्धि गतिविधियों के जरिए दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार लाया जा सके।

डेरी उत्पादों की उपलब्धता एवं पहुँच में वृद्धि

एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी मदर डेरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा. लि. (एमडीएफवीपीएल) ने ग्राम स्तरीय चिलिंग एवं परीक्षण सुविधाओं के साथ दूध उत्पादकों को दूध की बिक्री हेतु बाजार की पहुंच उपलब्ध कराने के लिए ग्राम स्तरीय संस्थाओं को स्थापित करने की शुरूआत की है। महाराष्ट्र सरकार (जीओएम) द्वारा सौंपे गए नागपुर डेरी संयंत्र को एमडीएफवीपीएल द्वारा नवीनीकृत कर इसका संचालन एवं प्रबंधन किया गया। 2018-19 के दौरान, मदर डेरी 2,246 गांवों में लगभग 52,000 उत्पादक सदस्यों से 2.22 लाख किग्रा प्रतिदिन दूध संकलित किया। वर्ष के दौरान दूध उत्पादकों को लगभग ₹ 235.6 करोड़ का भुगतान सीधे उनके बैंक खातों में किया गया है। विदर्भ एवं मराठवाड़ा क्षेत्रों के किसानों से प्राप्त दूध का प्रसंस्करण नागपुर डेरी संयंत्र में किया जाता है और यह दूध मदर डेरी दूध पार्लरों एवं खुदरा नेटवर्क के माध्यम से नागपुर, अमरावती, चंद्रपुर एवं वर्धा जैसे शहरों में उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध होता है।

इसी दौरान, महाराष्ट्र सरकार इन क्षेत्रों में उत्पादकता वृद्धि सेवाएं जैसे - पशु प्रवेश, एआई सेवाओं की घर-पहुँच डिलीवरी, चारा विकास सहायता एवं पशु स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करा रही है। इस परियोजना के कारण किसान अपने दुधारू पशुओं को उन्नत एवं वैज्ञानिक प्रजनन एवं आहार प्रक्रियाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हुए।

यह परियोजना इन सूखा प्रभावित क्षेत्रों में निष्पक्ष एवं पारदर्शी दूध संकलन प्रणाली तथा उत्पादकता वृद्धि सेवाओं को उपलब्ध करा कर किसानों को अपनी आय में वृद्धि करने में मदद करती है।

गुणवत्ता आश्वासन

पिछले वर्ष गुणवत्ता चिह्न पहल के सफल शुभारंभ के बाद, एनडीडीबी ने अद्यतन दिशा-निर्देशों के अनुरूप विभिन्न दूध संघों एवं महासंघों को प्रोत्साहित करके एवं मदद उपलब्ध कर इसे मजबूती प्रदान करना जारी रखा। वर्ष के दौरान, 21 सहकारी डेरी संयंत्रों ने गुणवत्ता चिह्न के लिए स्वेच्छा से आवेदन किया। उनमें से, सात संयंत्र इसके लिए सफलतापूर्वक योग्य हुए हैं। 16 संयंत्रों में निगरानी लेखा-परीक्षा आयोजित की गई थी और छः संयंत्रों का मूल्यांकन किया गया। विशेषज्ञ पैनल द्वारा ज्ञान तथा अनुभव साझा किया जाना तथा खाद्य सुरक्षा पहलुओं में सुधार लाने पर सुझाव उपलब्ध कराना गुणवत्ता चिह्न मूल्यांकन प्रक्रिया की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं।

एनडीडीबी ने विभिन्न विनियामक, वैज्ञानिक एवं परामर्शदाता संस्थाओं जैसे डीएडीएफ, कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमिशन (सीएसी) एवं राष्ट्रीय कोडेक्स समिति (एनसीसी), भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस), भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसीआई) इत्यादि को अपना सहयोग देना निरंतर जारी रखा। एनडीडीबी ने अंतर्राष्ट्रीय डेरी महासंघ (आईडीएफ) को तकनीकी सहयोग दिया; इसके अलावा, पहचान मानक, सूक्ष्म जैविक स्वच्छता, सूक्ष्म जैविक पद्धतियों में सामंजस्य, खाद्य लेबलिंग एवं शब्दावली की समितियों में ई-वर्किंग ग्रुप (ईडब्ल्यूजी) के सदस्य के रूप में सहयोग दिया तथा एसपीसीसी, 17 तकनीकी समितियों के पैनल के सदस्य एवं आईडीएफ के 2 कार्यबल के रूप में तकनीकी सहयोग दिया। एनडीडीबी ने सीएसी कार्यशील समूहों जैसे फ्रंट-ऑफ-पैक न्यूट्रीशन लेबलिंग (एफओपीएल), गैर खुदरा खाद्य पदार्थ कंटेनरों की लेबलिंग, जैविक पद्धतियों एवं खाद्य स्वच्छता एवं एचएसीसीपी के सामान्य सिद्धांतों में योगदान दिया। डेरियों की निर्यात पात्रता के मूल्यांकन के लिए भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद (ईआईसी) को पैनल के सदस्य के तौर पर सहयोग भी दिया गया।

एनडीडीबी ने फार्म स्तर से उपभोक्ता तक संपूर्ण मूल्य श्रृंखला में उच्च गुणवत्ता एवं स्वच्छता मानकों को हासिल करने के लिए किसानों, संकलनकर्ता कार्मिकों एवं पर्यवेक्षकों, विभिन्न महासंघों में नव-नियुक्त डेरी कर्मचारियों तथा सहकारिताओं के बोर्ड के लिए अध्ययन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करना निरंतर जारी रखा।

दूध में दूषित पदार्थ, जो गंभीर स्वास्थ्य संकट के कारक हैं, की स्वीकार्य अवशेष मात्रा के निर्धारण में हुए मूलभूत बदलाव के बारे में हितधारकों के बीच जागरूकता निर्मित करने हेतु 'एफ्लाटॉक्सिन: न्यूनीकरण एवं समाधान की नीतियों' पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की गई। एनडीडीबी समय-समय पर सहकारी दूध संघों एवं महासंघों के अनुरोध पर आवश्यकता पर आधारित अध्ययन भी आयोजित करती है। नए बेंचमार्क स्थापित करने में इन सहकारिताओं को सहयोग प्रदान करने के लिए मिल्क फेड, पंजाब के विभिन्न दूध संघों में मिल्क सॉलिड की पुन: प्राप्ति पर अध्ययन आयोजित किए गए।

दूध उत्पादक कंपनियां

वर्ष के दौरान, एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी डेरी सर्विसेज (एनडीएस) ने झांसी, उत्तर प्रदेश में बलिनी दूध उत्पादक कंपनी के गठन में सहयोग दिया। वर्ष के दौरान चार दूध उत्पादक कंपनियां (एमपीसी) नामत: मालव महिला, राजगढ़ एवं मुक्ता महिला, सागर, मध्य प्रदेश में, कौशिकी महिला, सहरसा, बिहार में एवं इंदुजा महिला, महाराष्ट्र में क्रियाशील हुईं। वर्ष के दौरान, इन कंपनियों ने मिलकर 10,000 दूध उत्पादकों से 13,000 लीप्रदि दूध संकलित किया जिसमें लगभग ₹ 38 लाख का शेयर पूंजी योगदान शामिल है।

अब तक, एनडीएस ने 14 एमपीसी को क्रियाशील करने में सहयोग दिया है जिनमें से 6 को राष्ट्रीय डेरी योजना (एनडीपी) के अंतर्गत सहयोग दिया जा रहा है और 5 को टाटा ट्रस्ट से सहयोग मिल रहा है तथा शेष 3 को राष्ट्रीय ग्रमीण आजीवका मिशन (एनआरएलएम) द्वारा सहयोग दिया जा रहा है।

एमपीसी ने मिलकर लगभग 12,920 गांवों से 5.15 लाख से अधिक दूध उत्पादकों को सदस्य के रूप में नामांकित किया है जिनमें लगभग 49 प्रतिशत महिलाएं है और लगभग 61 प्रतिशत कुल शामिल सदस्य लघु धारक दूध उत्पादक हैं। इन 14 कंपनियों के सदस्यों ने मिलकर शेयर पूंजी के तौर पर लगभग ₹ 126 करोड़ पूंजी जुटाई। 2018-19 के दौरान, कंपनियों ने मिलकर लगभग 30 लाख किग्रा प्रतिदिन दूध संकलित किया और वर्ष के दौरान मिलकर लगभग ₹ 5,400 करोड़ से अधिक का बिक्री कारोबार हासिल किया। इन एमपीसी में आहार संतुलन के लिए परामर्श सेवाएं; पशु आहार एवं खनिज मिश्रण की डिलीवरी तथा चारा विकास और कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाएं भी प्रदान की गईं।

वर्ष के दौरान, इन एमपीसी द्वारा आहार संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी) के अंतर्गत लगभग 3,800 से अधिक गांवों में लगभग 0.93 लाख पशुओं को शामिल किया गया। दूध उत्पादकों को 76,630 मीट्रिक टन पशु आहार तथा 409 मीट्रिक टन खनिज मिश्रण की आपूर्ति की गई। 14,600 से अधिक गांवों में लगभग 8.64 लाख एआई निष्पादित किए गए।

डेरी की श्रेष्ठ प्रक्रियाओं के बारे में किसानों को शिक्षित करने के लिए लगभग 100 डेरी प्रबंधन प्रशिक्षण एवं 47 कार्यशालाएं भी आयोजित की गईं। इन परियोजना क्षेत्रों के पशुओं में उप-नैदानिक थनैला की संभावना की वजह से थनैला का पता लगाने के लिए लगभग 27,300 कैलिफोर्निया थनैला परीक्षण (सीएमटी) किए गए। किसानों को थनैला का पता लगाने की जानकारी भी दी गई।

पायस, माही एवं सहज एमपीसी में स्थापित क्रमश: 6,5 तथा 25 आदर्श डेरी फार्मों (माइक्रों प्रशिक्षण केंद्रों) में उन्नत डेरी प्रबंधन प्रक्रियों की शुरूआत की गई। वर्ष के दौरान इन एमडीएफ में 2,750 उत्पादक सदस्यों को सर्वश्रेष्ठ पशुपालन प्रक्रियाओं जैसे कि

आवास, पानी की उपलब्धता, बछड़ा देखभाल, टीकाकरण एवं कृमिनाश, थनैला नियंत्रण पर प्रशिक्षण दिया गया।

31 मार्च 2019 तक एनडीपी–I के अंतर्गत सहायता प्राप्त एमपीसी की एक झलक

विवरण	पायस, राजस्थान	माही, गुजरात	श्रीजा, आंध्र प्रदेश	बानी, पंजाब	सहज, उत्तर प्रदेश	बापूधाम, बिहार	कुल
प्रचालन की तिथि	01/12/12	18/03/13	15/09/14	06/11/14	12/12/14	02/10/17	
शामिल जिलों की सं.	13	10	4	9	15	3	54
शामिल गांव	3201	2470	1126	1218	2823	998	11836
सदस्यों की सं.	104603	106439	76413	51590	91034	43240	473319
महिला सदस्यता%	38	26	100	25	35	54	45
छोटे धारक%	34	57	92	35	64	92	60
प्रदत्त शेयर पूंजी (करोड़ ₹ में)	37.41	34.72	15.53	9.78	23.03	1.71	122.18
औसत दूध संकलन (हकिग्राप्रदि)	855.7	812	351	277.4	593.7	44.3	2934.2
औसत पॉली पैक दूध की बिक्री (हलीप्रदि)	83.77	312.72	14.86	10.25	4.94	-	426.54
औसत थोक दूध की बिक्री (हलीप्रदि)	771.74	438.36	320.02	257.27	568.24	42.44	2398.07
गैर लेखा परीक्षित कारोबार 2018-19 (करोड़ ₹. में)	1304	23326	437.2	368.6	785.9	76.3	5304.6

एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन

पिछले तीन वर्षों से एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन ने पूरे देश के बच्चों के कवरेज में स्थिर वृद्धि बरकरार रखी है। वर्ष के दौरान, एनएफएन ने सात राज्यों के 110 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 48,000 छात्रों को दूध वितरित किया। अपनी शुरूआत से, एनएफएन ने दूध के लगभग 62 लाख यूनिट वितरित किए।

एनएफएन ने एमडीएफवीपीएल के सीएसआर सहयोग के अंतर्गत 37 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले लगभग 10,000 छात्रों के लिए नागपुर में गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वर्ष के दौरान, दिल्ली में गिफ्ट मिल्क की आपूर्ति के लिए इसे भारतीय व्यापार संवर्धन संगठन (आईटीपीओ) से सीएसआर सहायता भी प्राप्त हुई।

लातेहार में एनएफएन द्वारा शुरू किए गए गिफ्ट मिल्क कार्यक्रम को झारखंड सरकार ने पूरे राज्य के लिए पीएम गिफ्ट मिल्क योजना के रूप में अपनाया।

इसके अलावा, झारखंड में गिफ्ट मिल्क वितरण का एक वर्ष समाप्त होने बाद, राजेन्द्र चिकित्सा विज्ञान संस्थान, रांची द्वारा एक प्रभाव अध्ययन आयोजित किया गया। निष्कर्ष के तौर पर यह पता चला कि जिन स्कूलों में यह कार्यक्रम चलाया गया वहाँ गिफ्ट मिल्क के कारण अविकसित बच्चों की संख्या में महत्वपूर्ण कमी आई, ज्ञानात्मक मानदंडों के साथ-साथ उपस्थिति स्तरों में वृद्धि देखी गई है।

अत: यह प्रभाव अध्ययन कुपोषण से निपटने में इस गिफ्ट मिल्क के प्रयास का साक्षी है और बच्चों में स्थाई लाभ के लिए न्यूनतम तीन वर्षों तक निरंतर इस कार्यक्रम को चलाए जाने की भी संस्तुति करता है।

जागरूकता निर्माण

फार्म स्तर पर स्वच्छ दूध उत्पादन, स्वस्थ गोवंशीय पशु एवं दूध उत्पादकों की अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए एनडीडीबी श्रेष्ठ पशुपालन प्रक्रियाओं पर दूध उत्पादकों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए निरंतर प्रयासरत रही है। मुद्रित एवं डिजिटल साधनों के जरिए जागरूकता सामग्रियां वितरित की गईं।

दूध एवं दूध उत्पादों की खपत को बढ़ावा देने के प्रयास के क्रम में दो टेलीविजन विज्ञापन बनाए गए और विभिन्न टीवी चैनलों में उनका प्रसारण किया गया।

एनडीडीबी गोवंशीय पशु रोगों के लिए एथनो वेटनरी मेडिसीन (ईवीएम) को एक किफायती, व्यावहारिक उपचार पद्धति के तौर पर बढ़ावा दे रही है। इस पहल को आगे बढ़ाते हुए एनडीडीबी ने डेरी पशुओं में आम रोगों के उपचार के लिए इस ईवीएम नुस्खे (फार्म्यूलेशन) को तैयार करने एवं उनके उपयोग की पद्धतियों पर किसानों के लिए 12 स्थानीय भाषाओं में ईवीएम फार्म्यूलेशन पर ब्रोशर का प्रकाशन किया है।

डेरी विकास के क्षेत्र में एनडीडीबी द्वारा किए गए तकनीकी नए प्रयोगों एवं प्रयासों को विभिन्न प्रदर्शनियों एवं कार्यक्रमों में प्रदर्शित किया गया। दूध एवं दूध उत्पादों के लिए एनडीडीबी के गुणवत्ता चिह्न को बढ़ावा देने वाले डिजिटल अभियान की शुरूआत की गई। यह अभियान स्वच्छ दूध उत्पादन एवं उत्तम उत्पादन प्रक्रियाओं से संबद्ध गुणवत्ता चिह्न के अंतर्गत संचालित सर्वश्रेष्ठ प्रक्रिया के बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा, पशु आहार के लिए गुणवत्ता चिह्न को प्रोत्साहित करने वाली एक फिल्म भी बनाई गई। वर्ष के दौरान, बछड़ा देखभाल एवं कृत्रिम गर्भाधान पर आठ स्थानीय भाषाओं में विस्तार फिल्में बनाई गईं और दूध महासंघों एवं दूध संघों को वितरित की गईं।

उत्पादकता वृद्धि

अंततः श्रेष्ठ आनुवंशिक गुण वाले युवा सांड़ों के 'प्रजनक मूल्य' का समावेश एनडीडीबी द्वारा शुरू किए गए बदलावों में से एक उल्लेखनीय बदलाव है ताकि वीर्य केंद्र द्वारा अधिक विश्वसनीय मानदंडों को अपनाया जा सके। वर्तमान में, मां के दूध का उत्पादन सांड़ों के चयन का मानदंड है। इनाफ के क्रियान्वित होने से राज्यों द्वारा अपने गोवंशीय पशुओं की पहचान करने की अधिक रूचि प्रकट की जा रही है, जो कि आनुवंशिक सुधार का एक आवश्यक चरण है।

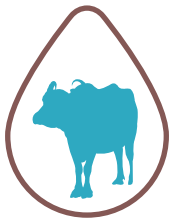

आनुवंशिकता में सुधार एवं भारतीय गोवंशीय पशु आबादी की उत्पादकता में वृद्धि एनडीपी–। के अंतर्गत संचालित विभिन्न पशु प्रजनन परियोजनाओं का प्रमुख ध्यानाकर्षण था।

समृद्धि की ओर अग्रसर

पशु प्रजनन

आनुवंशिक सुधार – लाभकारी डेरी उद्योग की कुंजी

श्रेष्ठ गोवंशीय जर्मप्लाज्म का विकास एवं प्रसार लाभकारी डेरी उद्योग का एक प्रमुख संवाहक है। वर्ष के दौरान, देश में डेरी गोवंशीय पशुओं की आनुवंशिक बनावट में सुधार लाने हेतु एनडीडीबी ने अपने प्रयासों को सतत् जारी रखा। देशी डेरी पशु अपनी अनुकूलता एवं रोग प्रतिरोधकता तथा कम संसाधन निर्भरता के कारण इसके मुख्य केंद्र बने रहे। पिछले वर्षों में एनडीपी–। के अंतर्गत शुरू हुई नस्ल विकास (संतति परीक्षण एवं वंशावली चयन कार्यक्रमों के माध्यम से) की गतिविधियां से लेकर देशी नस्लों में ओवम पिक अप तथा इन विट्रो उत्पादन की गतिविधियां निरंतर जारी रहीं। एनडीडीबी के जीनोमिक चयन प्रयासों को भी उच्च स्तर पर बढ़ाया गया है साथ ही साथ देशी गायों एवं उनकी संकर नस्लों के लिए एनडीडीबी द्वारा विकसित माइक्रोऐरे जीनोटाइपिंग चिप अर्थात् इंडसचिप का अनुकूलन (फाइन–ट्यूनिंग) का कार्य जारी रहा।

एनडीपी–।

आनुवंशिकता में सुधार एवं भारतीय गोवंशीय पशु आबादी की उत्पादकता में वृद्धि एनडीपी–। के अंतर्गत संचालित विभिन्न पशु प्रजनन परियोजनाओं का प्रमुख केंद्र रहा। क्षेत्र आधारित संतति परीक्षण (पीटी) एवं वंशावली चयन (पीएस) कार्यक्रमों के माध्यम से उच्च आनुवंशिक गुण वाले सांड़ों का उत्पादन, देश के वीर्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण, किसानों के घर पर एआई सेवाओं की डिलीवरी इत्यादि इनके मुख्य घटक थे। मानक प्रचालन प्रक्रियाओं (एसओपी) का सख्त अनुपालन सुनिश्चित करना तथा उचित निगरानी प्रणालियों के माध्यम से निगरानी गतिविधियों का आयोजन करना इन कार्यक्रमों के क्रियान्वयन का मुख्य घटक रहा है। श्रेष्ठ आनुवंशिक गुण वाले युवा सांड़ों के 'प्रजनक मूल्य' का समावेश हाल ही में एनडीडीबी द्वारा शुरू किए गए बदलावों में से एक उल्लेखनीय बदलाव है ताकि वीर्य केंद्र द्वारा अधिक विश्वसनीय मानदंडों को अपनाया जा सके। वर्तमान में, मां के दूध का उत्पादन सांड़ों के चयन का मानदंड है। इनाफ का कार्यान्वयन में व्यापक स्तर पर होना राज्यों द्वारा अपने गोवंशीय पशुओं की पहचान के प्रति रूचि को दर्शाता है, जो कि आनुवंशिक सुधार का एक आवश्यक कदम है।

संतति परीक्षण

सांड़ों का उनकी पुत्रियों के प्रदर्शन के आधार पर निर्धारित प्रजनक मूल्य के आधार पर चयन

एनडीडीबी ने मानक प्रचालन प्रक्रियाओं का पालन करते हुए गाय की चार नस्लों एवं भैंस की दो नस्लों के लिए 9 राज्यों में 12 ईआईए के माध्यम से संतति परीक्षण की 14 उप परियोजनाओं के क्रियान्वयन को निरंतर जारी रखा, जिसका कुल परिव्यय ₹ 203.59 करोड़ था। अब तक, सभी पीटी परियोजनाओं ने मिलकर 2,167 सांड़ों को परीक्षण हेतु रखा और रोगमुक्त गुणवत्ता युक्त वीर्य डोजों के उत्पादन हेतु 2,112 युवा एचजीएम सांड़ों को देश के विभिन्न वीर्य केंद्रों में वितरित किया। सभी उत्पादित एवं वितरित सांड़ों का पितृत्व सत्यापित था जिसकी पुष्टि डीएनए परीक्षण से हुई है और जांच के बाद, वे टीबी, जेडी, ब्रूसेलोसिस और आईबीआर रोगों से मुक्त पाए गए। उनकी आनुवंशिक विकारों के लिए भी जांच की गई थी और उनके कैर्योटाइप सामान्य थे। विभिन्न डेरी विशेषताओं जैसे दूध, फैट, एसएनएफ एवं प्रोटीन प्राप्ति एवं पुत्री के गर्भाधान दरों के लिए प्रजनक मूल्यों का आंकलन किया जाता है। प्रयुक्त नर (सर्विस सायर) द्वारा गर्भधारण की दरों का भी नियमित तौर पर आंकलन किया जाता है। सांड़ों के प्रजनक मूल्य के आंकलन हेतु भारत सरकार की गठित विशेषज्ञ समिति ने पीटी परियोजनाओं में 394 सांड़ों के प्रजनक मूल्य नामत: एसएजी सीबी एचएफ पीटी, एसएजी मुर्रा पीटी, महेसाणा दूध संघ (एमयू) महेसाणा पीटी, केएमएफ एचएफ पीटी और टीसीएमपीएफ सीबीजेवाई प्रकाशित किए।

अब तक, सांड़ वितरण समिति के माध्यम से पीटी परियोजना से उत्पादित 1,607 सांड़ों को 20 राज्यों के 50 वीर्य केंद्रों को वितरित किया गया।

राष्ट्रीय डेरी योजना-I के अंतर्गत पीटी परियोजनाओं की परियोजनावार उपलब्धियां निम्नलिखित तालिका में दी गई हैं:

क्रम सं.	ईआईए	राज्य	नस्ल	परीक्षण हेतु रखे गए सांड़ों की संख्या	उपलब्ध कराए गए एचजीएम सांड़
1	एबीआरओ	उत्तर प्रदेश	मुर्रा	270	106
2	एचएलडीबी	हरियाणा	मुर्रा	186	174
3	पीएलडीबी	पंजाब	मुर्रा	156	154
4	एसएजी	गुजरात	मुर्रा	148	217
5	एपीएलडीए	आंध्र प्रदेश	सीबीजेवाई	159	142
6	टीसीएमपीएफ	तमिलनाडु	सीबीजेवाई	325	271
7	बनास	गुजरात	महेसाणा	69	73
8	महेसाणा	गुजरात	महेसाणा	93	98
9	केएलडीबी	केरल	सीबीएचएफ	87	57
10	बीएआईएफ	उत्तर प्रदेश	सीबीएचएफ	59	92
11	एसएजी	गुजरात	सीबीएचएफ	241	353
12	यूएलडीबी	उत्तराखंड	सीबीएचएफ	80	72
13	केएमएफ	कर्नाटक	एचएफ	270	198
14	एसएजी	गुजरात	गिर	24	105
	कुल			**2,167**	**2,112**

पशु टाईप वर्गीकरण पीटी परियोजना का एक अभिन्न अंग है। पशुओं के चयन में टाईप लक्षणों को वरीयता देने से मूल्यांकन में गुणात्मक वृद्धि हो सकती है और पशुओं की आयु लम्बी होती है। मुख्य टाईप लक्षणों के लिए मापन प्रक्रियाओं का विकास किया गया है और सीबीएचएफ, सीबीजेवाई, मुर्रा एवं महेसाणा नस्लों के लिए उनको उपयुक्त पैमाने को मानकीकृत किया गया है। अधिकतर पीटी परियोजनाओं में टाईपिंग के लिए क्षेत्र कार्यान्वयन की शुरूआत की गई है।

वंशावली चयन

सांड़ों का अपनी मां के दुग्धकाल उत्पादन के आधार पर चयन

देशी नस्लों को उनके मूल क्षेत्रों में विकसित एवं संरक्षित करने के लिए वंशावली चयन कार्यक्रमों की शुरूआत की गई है, जिससे कि उनकी आबादी में श्रेष्ठ आनुवंशिकी का चयन किया जा सके और चयनित श्रेष्ठ अनुवंशिकी को प्रसारित करने के लिए एआई डिलीवरी हेतु बुनियादी ढांचे का निर्माण किया जा सके। देशी नस्लों में कठोर जलवायु परिस्थिति को सहन करने की क्षमता होती है और ये पशु किफायती दामों पर लाखों छोटे एवं सीमांत किसानों द्वारा खरीदे जा सकते हैं और इन पर इनपुट लागत कम है। अत: दूध उत्पादन हेतु उनके आनुवंशिक मूल्य में सुधार करना आवश्यक है। एनडीडीबी ने आठ ईआईए के जरिए आठ नस्लों के लिए नौ पीएस परियोजनाओं को क्रियान्वित करने के अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखा। एनडीपी-I के अंतर्गत स्थापित 359 एआई केंद्रों ने मिलकर वर्ष 2018-19 के दौरान 68,569 एआई निष्पादित किए।

अब तक, इन पीएस परियोजनाओं के अंतर्गत 248 सांड़ों का उत्पादन किया गया है और सांड़ वितरण समिति के माध्यम से 15 राज्यों के 20 वीर्य केंद्रों में 193 सांड़ों का वितरण किया गया है।

गिर गाय का कृत्रिम गर्भाधान करते हुए

वर्ष 2018-19 के दौरान पीएस परियोजनाओं की परियोजनावार उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

सं.	ईआईए	राज्य	नस्ल	उपलब्ध कराए गए एचजीएम सांड़
1	बनास	गुजरात	कांकरेज	48
2	एचएलडीबी	हरियाणा	हरियाना	43
3	एमएलडीबी	महाराष्ट्र	पंढरपुरी	20
4	पीएलडीबी	पंजाब	नीलीरावी	14
5	गंगमूल	राजस्थान	साहिवाल	25
6	पीएलडीबी	पंजाब	साहिवाल	28
7	आरएलडीबी	राजस्थान	थारपारकर	14
8	एसएजी	गुजरात	जाफराबादी	25
9	उरमूल	राजस्थान	राठी	31
	कुल			**248**

वीर्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण

उच्च आनुवंशिक गुण वाले सांड़ों से रोगमुक्त हिमिकृत वीर्य डोजों का उत्पादन एवं आपूर्ति

एनडीडीबी ने 16 राज्यों में 25 ईआईए के जरिए 28 ए एवं बी श्रेणी के वीर्य केंद्रों को सुदृढ़ बनाने के अपने प्रयासों को निरंतर जारी रखा, जिनका कुल परिव्यय ₹ 298.97 करोड़ था। इसमें वीर्य केंद्रों पर बुनियादी ढांचे एवं सुविधाओं का निर्माण, जैव सुरक्षा उपायों में सुधार, रोगों की जाँच, टीकाकरण और पर्यावरणीय एवं सामाजिक गतिविधियां, प्रशिक्षित जनशक्ति तैयार करने के लिए क्षमता निर्माण तथा वीर्य केंद्रों में सूचना प्रबंधन प्रणाली (एमआईएस) के नियोजन पर मुख्य ध्यान केंद्रित रहा। इन बदलावों से देश के वीर्य उत्पादन में मात्रा एवं गुणवत्ता दोनों में बड़े कदम के लिए एक मंच उपलब्ध होने की अपेक्षा है जो वर्ष के दौरान देश में हुए वीर्य उत्पादन से स्पष्ट है।

अब तक, सभी पीटी परियोजनाओं ने मिलकर **2,167** सांड़ों को परीक्षण हेतु रखा और रोगमुक्त गुणवत्ता युक्त वीर्य डोजों के उत्पादन हेतु **2,112** युवा एचजीएम सांड़ों को देश के विभिन्न वीर्य केंद्रों में वितरित किया।

12 अंकों वाले यूआईडी टैग से साथ पहचान स्थापित करना

वर्ष 2018-19 के दौरान, पीएस केंद्रों की परियोजनावार उपलब्धियां नीचे तालिका में दी गई हैं:

क्रम सं.	वीर्य केन्द्र	संकलन के तहत सांड़ों की संख्या	वीर्य उत्पादन (दस लाख डोज़ों में)
1	एसएजी, बीड़ज	527	15.97
2	एबीसी, सालोन	323	9.11
3	डीएलएफ-ऊटी	74	1.81
4	केएमएफ-एनएसएस	139	3.53
5	पीएलडीबी नाभा	117	1.45
6	एपीएलडी बनवासी	90	2.13
7	पीएसके जगुदान-महेसाणा	28	1.18
8	हरिनघाटा	93	2.12
9	सीएफएसपीएंडटीआई	49	0.93
10	सालबोनी	82	1.95
11	करीमनगर	79	1.47
12	ऋषिकेश	95	2.54
13	मट्टुपट्टी	69	0.92
14	धोनी	69	0.90
15	भोपाल	115	2.49
16	एआरडीए ओड	129	3.83
17	बीएआईएफ	285	10.26
18	पाटन	94	2.52
19	बस्सी	114	1.96
20	दामा	78	1.79
21	एनजेएफ ऊटी	56	1.07
22	हिसार	122	2.91
23	रोहतक	22	0.71
24	कटक	90	1.81
25	अंजोरा	45	0.51
26	अलामाढ़ी	234	7.10
27	कुलाथूपूझा	20	0.18
28	राहुरी	178	5.01
	कुल	**3,416**	**88.18**

यह वर्ष 24 वीर्य केंद्रों में वीर्य उत्पादन एवं बिक्री के सभी पहलुओं के कम्प्यूटरीकरण हेतु सॉफ्टवेयर समाधान, वीर्य केंद्र प्रबंधन प्रणाली के क्रियान्वयन का भी साक्षी रहा है।

एआई डिलीवरी सेवाएं

उच्च आनुवंशिक गुण वाले सांड़ों के वीर्य का उपयोग करके डेरी किसानों को घर-पहुंच कृत्रिम गर्भाधान (एआई) सेवाओं की डिलीवरी और मानक प्रचालन प्रक्रियाओं के अनुपालन से पशुओं में आनुवंशिक सुधार लाने में योगदान मिलेगा।

किसानों को उपलब्ध कराई गई एआई डिलीवरी सेवाएं सभी सहकारी दूध संघों द्वारा प्रदत्त इनपुट डिलीवरी सेवाओं की मुख्य गतिविधि रहीं। वर्ष के दौरान, 26,300 क्षेत्र एआई केंद्रों के माध्यम से लगभग 76,900 गांवों को शामिल करते हुए सहकारी डेरी संघों ने मिलकर लगभग 1.7 करोड़ एआई निष्पादित किए। इसके अतिरिक्त अब तक, एनडीपी-I के अंतर्गत प्रायोगिक एआई डिलीवरी सेवाओं (पीएआईडी) के भाग के तौर पर 1,300 एआई केंद्रों की स्थापना की गई है और वर्ष 2018-19 के दौरान 7.8 लाख एआई निष्पादित किए गए हैं।

जीनोमिक चयन

जीनोमिक प्रजनक मूल्यों के आधार पर पशुओं का चयन आनुवंशिक सुधार कार्यक्रमों में अगली क्रांति है।

'जीनोमिक चयन' एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, जिससे अधिक सटीकता के साथ संभावित श्रेष्ठ पशुओं का शीघ्र चयन किया जाना संभव हो सकेगा, इसके परिणामस्वरूप तेजी से आनुवंशिक सुधार होगा। इस प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल आनुवंशिक विकृति वाले पशुओं की पहचान करने के लिए भी किया जा सकता है। वर्तमान में सांड़ चयन की पद्धतियों की सटीकता अपेक्षाकृत कम है, इसलिए कम आयु पर जीनोमिक प्रजनन मूल्य के आधार पर उच्च सटीकता से उनके चयन और एआई के जरिए उनकी संख्या में वृद्धि करने से तीव्र आनुवंशिक सुधार लाने में सहयोग मिलेगा और इससे पीढ़ी के अंतराल में कमी लाई जा सकेगी।

एनडीडीबी ने गाय और भैंसों की विभिन्न डेरी नस्लों में जीनोमिक चयन के क्रियान्वयन हेतु गतिविधियों की शुरूआत की है। विभिन्न भारतीय नस्लों की गायों एवं उनकी संकर नस्लों के लिए उपयुक्त इंडसचिप, जो एक माइक्रो ऐरे चिप है, का विकास किया गया है और एनडीडीबी भैंसों के लिए जीनोटाइपिंग चिप को विकसित करने की प्रक्रिया में है। बड़ी संख्या में पशुओं की विभिन्न नस्लों के कार्य निष्पादन की रिकार्डिंग की जा रही है और इन पशुओं के डीएनए सैंपलों को संकलित कर उन्हें स्टोर किया जा रहा है। कर्मचारियों को जीनोटाइपिंग तथा आधुनिक सांख्यिकीय पद्धतियों के निष्पादन आंकड़ों का विश्लेषण करने की क्षमता निर्माण हेतु प्रशिक्षित किया जा रहा है।

ओवम पिक-अप एवं इन विट्रो भ्रूण प्रत्यारोपण

यह एक ऐसी प्रौद्योगिकी है, जिससे श्रेष्ठ मादा पशुओं की प्रजनन दर में वृद्धि की जा सकती है।

एनडीडीबी ने हाल ही में देशी नस्लों के पशुओं में ओवम पिक-अप एवं इन विट्रो भ्रूण प्रत्यारोपण (ओपीयू-आईवीईपी) प्रौद्योगिकी (टेस्ट ट्यूब बेबी प्रौद्योगिकी के नाम से लोकप्रिय) पर कार्यक्रम की शुरूआत की है, जिसका प्रयोग प्रयोगशाला में श्रेष्ठ गायों एवं भैंसों ('दाता') से भ्रूण उत्पादित करके उसे सामान्य पशुओं ('सरोगेट/प्राप्तकर्ता') में प्रत्यारोपित करने के लिए भी किया जा सकता है। श्रेष्ठ मादा पशु से उसके जीवनकाल के दौरान उसकी संततियों में वृद्धि करने वाली इस प्रौद्योगिकी को विश्वव्यापी लोकप्रियता हासिल हो रही है। प्रतिवर्ष आनुवंशिक प्रगति की प्राप्ति अन्य कारकों के अलावा, चयन की तीव्रता पर आधारित होती है।

आमतौर पर, वर्ष के दौरान एक श्रेष्ठ मादा से एक बछड़ा पैदा हो सकता है। परन्तु, ओपीयू-आईवीईपी प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से वर्ष में एक श्रेष्ठ मादा से 20 बछड़े पैदा किए जा सकते हैं। इसका आशय यह है इस प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल से चयनित श्रेष्ठ पशुओं से अधिक संख्या में बछड़ों का उत्पादन किया जा सकता है। इससे चयन तीव्रगति से बढ़ेगा और आनुवंशिक सुधार दर में तेजी आएगी। इसके

अलावा, जीनोमिक चयन के माध्यम से चयनित युवावस्था से पूर्व बछड़ियों को बछड़ों के उत्पादन हेतु उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे पीढ़ी के अंतराल में कमी आएगी और इससे प्रतिवर्ष आनुवंशिक सुधार में वृद्धि होगी।

इस प्रौद्योगिकी के व्यापक प्रयोग के उद्देश्य से एनडीडीबी ने अनुसंधान एवं विकास सुविधा की स्थापना की जिससे प्रौद्योगिकी में निपुणता हासिल की जा सके तथा जनशक्ति को प्रशिक्षित किया जा सके ताकि इस प्रौद्योगिकी का व्यापक स्तर पर उपयोग में लाया जा सके। इस सुविधा में ओपीयू - आईवीईवी हेतु गिर और थारपारकर के श्रेष्ठ डोनरों (दाताओं) को रखा गया है। इस सुविधा में ओपीयू-आईवीईपी की प्रौद्योगिकी को मानकीकृत किया गया है और इसके जरिए आईवीएफ भ्रूणों से बछड़े सफलतापूर्वक उत्पादित हुए हैं। ओपीयू-आईवीईपी के उत्पादन की लागत को कम करने वाली पद्धतियों के विकास हेतु अनुसंधान करना, भैंसों के लिए प्रक्रियाओं का मानकीकरण और ओपीयू-आईवीईपी में शामिल कार्मिकों के प्रशिक्षण कार्य का संचालन करना इस सुविधा का भावी केंद्रबिंदु होगा।

प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

प्रशिक्षित जनशक्ति परियोजनाओं की सफलता का मुख्य घटक है। इन परियोजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन हेतु सतत् क्षमता निर्माण आवश्यक है और एनडीडीबी इस दिशा में निरंतर क्रियाशील है। एनडीपी-। के अंतर्गत, वर्ष के दौरान, 1,057 अधिकारियों एवं क्षेत्र कार्मिकों को प्रशिक्षित किया गया। इनाफ पर प्रशिक्षुओं के प्रशिक्षण पर सात कार्यक्रमों का संचालन किया गया, जिसमें पाँच राज्यों के 127 अधिकारियों को इनाफ के कार्यान्वयन पर प्रशिक्षण दिया गया।

वर्ष के दौरान, एनडीपी-। के अंतर्गत, आनुवंशिक सुधार पर क्रीन्सलैंड विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिया में विदेशी प्रशिक्षण के जरिए 25 अधिकारियों को भी प्रशिक्षित किया गया।

सेक्स सॉर्टेड सीमन से एआई

एनडीडीबी ने देशी नस्लों के सेक्स सॉर्टेड सीमन से कृत्रिम गर्भाधान पर एक प्रायोगिक परियोजना भी क्रियान्वित की है। यह परियोजना डीएएचडी, भारत सरकार के राष्ट्रीय गोकुल मिशन के माध्यम से वित्त पोषित है। इस प्रायोगिक परियोजना का मुख्य उद्देश्य विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों की फील्ड परिस्थितियों में सेक्स सॉर्टेड वीर्य की प्रभावकारिता को समझना है। इस अध्ययन में शामिल पाँच स्थलों पर सेक्स सॉर्टेड सीमन का इस्तेमाल करके कृत्रिम गर्भाधान किया गया है।

एक श्रेष्ठ गिर गाय का बछड़ा-एनडीडीबी, आणंद में ओपीयू-आईवीएफ द्वारा पैदा हुआ

चारा बायोमास रीपर लाइनर

पशु पोषण

आहार, आहार संपूरकों तथा पोषण संबंधी परामर्श के जरिए उत्पादक एवं प्रजनन क्षमता में सुधार लाना।

पशु आहार एवं खनिज मिश्रण हेतु 'गुणवत्ता चिह्न'

एनडीडीबी ने पशु आहार एवं खनिज मिश्रणों से संबंधित 'गुणवत्ता चिह्न' की शुरुआत की है जिसे सहकारी, सरकारी एवं अर्ध सरकारी क्षेत्रों की संस्थाओं द्वारा स्वैच्छिक तौर पर अपनाया जा सकता है। पशु आहार की बोरियों (बैग) पर गुणवत्ता चिह्न की उपस्थिति का तात्पर्य यह है कि निर्माता ने सभी मानक प्रचालन प्रक्रियाओं को अपनाकर उन्हें क्रियान्वित किया है जिससे उत्पाद निर्धारित विनिर्देशों के अनुरूप है।

वर्ष के दौरान कर्नाटक, पंजाब, उत्तराखंड एवं बिहार के सहकारी दूध महासंघों/संघों से संबद्ध नौ पशु आहार संयंत्रों (सीएफपी) ने 'गुणवत्ता चिह्न' को अपनाने के लिए एनडीडीबी के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

बछड़ी पालन कार्यक्रम

नवजात बछड़ों का उच्च मृत्यु दर, कम वृद्धि दर, यौन परिपक्वता में देरी और लम्बा ब्यांत अंतराल डेरी किसानों की लाभप्रदता में कमी के प्रमुख कारण हैं। इन समस्याओं का समाधान करने के लिए एनडीडीबी ने 'बछड़ी पालन कार्यक्रम' (सीआरपी) क्रियान्वित किया है जिसमें वृद्धि की सभी अवस्थाओं में गभिन पशुओं और मादा बछड़ों को वैज्ञानिक आहार खिलाना शामिल है।

वर्तमान में, गुजरात, पंजाब और कर्नाटक के छ: दूध संघों में सीआरपी को क्रियान्वित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान 1,294 अतिरिक्त गाभिन पशुओं को पंजीकृत किया गया और 1,591 ब्यांत की जानकारी दी गई। जिसके कुल गाभिन पशुओं तथा ब्यांत की संख्या क्रमश: 5,666 तथा 4,459 हो गई सीआरपी के अंतर्गत कांकरेज, मुर्रा और संकर नस्ल की मादा बछड़ियों का जन्म के समय औसत वज़न परम्परागत आहार प्रणाली के अंतर्गत जन्मी बछड़ियों की अपेक्षा 20 प्रतिशत अधिक था। आरंभिक 12 माह की अवधि के दौरान, वैज्ञानिक ढंग से आहार खिलाई गई कांकरेज, मुर्रा तथा संकर नस्ल की गायों में मादा बछड़ियों का औसत दैनिक शारीरिक वज़न में वृद्धि क्रमश: 425 ग्राम, 428 ग्राम और 651 ग्राम थी।

लगभग 198 कांकरेज बछड़ियाँ 17 माह की औसत आयु में पहली बार गर्मी में आईं और 70 बछड़ियाँ

कृत्रिम गर्भाधान के बाद गर्भधारण हेतु पाजिटिव पाई गईं। तीन कांकरेज बछड़ियों 25 माह की औसत आयु में पहले बछड़े को जन्म दिया जबकि इस नस्ल में यह अवधि औसतन 47 माह है। इसी प्रकार के परिणाम मुर्रा भैंसों में देखे गए, जहां पहले गर्मी में आने की औसत आयु घटकर 15 माह हो गई थी।

दुधारू पशुओं की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए आहार संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी)

संतुलित आहार डेरी पशुओं की आनुवंशिक क्षमता को प्रकट करने की कुंजी है। एनडीपी-I के अंतर्गत, स्थानीय जानकार व्यक्तियों (एलआरपी) के जरिए घर-पहुंच संतुलित आहार परामर्श सुविधाओं के नेटवर्क ने अपनी पहुंच को बढ़ाना निरंतर जारी रखा। 2018-19 में, तीन नई अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ईआईए) द्वारा आरबीपी को अपनाए जाने से देश के 18 प्रमुख डेरी राज्यों में कुल मिलाकर इनकी संख्या 107 हो गई।

1.87 लाख नए पशु और 1,204 गांव वर्ष के दौरान इन संचालित कार्यक्रमों का हिस्सा बने। मार्च 2019 तक, 21.4 लाख दूध उत्पादकों ने 33,268 गांवों में अपने 28.4 लाख पशुओं के लिए संतुलित आहार परामर्श सेवाएं प्राप्त कीं। वर्ष के दौरान, ईआईए के प्रशिक्षित प्रशिक्षकों ने आरबीपी बेसिक एवं पुनश्चर्या प्रशिक्षण क्रमशः 774 एवं 783 एलआरपी को दिया। संचयी रूप से 31,007 एलआरपी को प्रशिक्षित कर क्षेत्र कार्यान्वयन में शामिल किया गया।

मुख्य सेवा प्रदाता होने के नाते एलआरपी इस कार्यक्रम की धुरी अहम हैं तथा उनके प्रभावी क्रियाकलापों के लिए क्षमता निर्माण अत्यंत महत्वपूर्ण है। उनकी क्षमताओं को बढ़ाने तथा उन्हें अधिक समय तक नियोजित रखने के लिए एलआरपी में से 922 अच्छे कार्य करने वालों के लिए अभिमुखन एवं प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। इसमें सम्मिलित्त विषय में बछड़ी पालन, दूध देने वाले पशुओं की भिन्न-भिन्न दुग्धकाल की अवस्थाओं में आहार खिलाने की योजना, आहार खिलाने की चुनौती, प्रजनन में सुधार हेतु तकनीक, दूध में फैट एवं एसएनएफ की मात्रा में वृद्धि की पोषण दृष्टिकोण तथा चारा उत्पादन एवं संरक्षण प्रक्रियाएं थी।

आरबीपी के जरिए 'दूध के वाटर फुटप्रिंट' में कमी लाना

देश में डेरी किसानों द्वारा परम्परागत आहार खिलाने की पद्धतियों से पोषक तत्वों जैसे ऊर्जा, प्रोटीन एवं खनिज की मात्रा असंतुलित होती। इसके फलस्वरूप दूध उत्पादन में कमी तथा दूध के वाटर फुटप्रिंट की अधिकता होती है - इसे दूध उत्पादन श्रृंखला के विभिन्न चरणों में स्वच्छ पानी की खपत के रूप में परिभाषित किया गया है। चूँकि दूध उत्पादन में 90 प्रतिशत स्वच्छ पानी की खपत आहार के कारण होती है, असंतुलित आहार के कारण स्वच्छ पानी का अप्रभावी उपयोग होता है जिसकी दिन-प्रतिदिन कमी होती जा रही है।

दूध के वाटर फुटप्रिंट पर आरबीपी के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए गुजरात की 1,97,224 गायों एवं भैंसों को आहार खिलाए जाने के आंकड़ों का उपयोग करके वाटर फुटप्रिंट के आकलन करने हेतु एक अध्ययन आयोजित किया गया। यह पाया गया कि संतुलित आहार खिलाने से दूध के वाटर फुटप्रिंट में गायों में 15 प्रतिशत और भैंसों में 13 प्रतिशत की कमी हुई है। इस प्रकार, आहार खिलाने की वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को अपनाने से दूध के वाटर फुटप्रिंट में कमी लाई जा सकती है।

हीट स्ट्रेस का सामना करने के लिए आहार संपूरक

यह देखा गया है कि जब भी तापमान-आर्द्रता-सूचकांक (टीएचआई) 72 यूनिट के ऊपर बढ़ता है, तो पशुओं द्वारा आहार ग्रहण घट जाता है और परिणामतः दूध उत्पादन कम हो जाता है। हीट स्ट्रेस के दौरान डेरी पशुओं की उत्पादन हानि को कम करने के लिए एनडीडीबी ने 'हीट-स्ट्रेस संपूरक पशु शीतवर्धक' विकसित किया है। जल्दी दुग्धकाल वाले पशुओं में इस संपूरक को खिलाने के क्षेत्र अध्ययन से पता चला कि गायों में शुष्क पदार्थ ग्रहण (डीएमआई) और दूध उत्पादन में क्रमशः 8.8 प्रतिशत एवं 10.5 प्रतिशत और भैंसों में क्रमशः 2.4 प्रतिशत एवं 5.7 प्रतिशत तक सुधार हुआ है। नियंत्रण पशुओं की तुलना में 'पशु शीतवर्धक' खिलाए गए पशुओं में कुल दैनिक आय में प्रति गाय ₹ 20 और प्रति भैंस ₹ 36 की वृद्धि हुई।

दूध में फैट एवं एसएनएफ की मात्रा में सुधार हेतु आहार संपूरक

फैट एवं एसएनएफ दूध मूल्य को निर्धारित करने वाले महत्वपूर्ण दुग्ध घटक हैं। असंतुलित आहार खिलाए जाने से दूध में फैट एवं एसएनएफ की मात्रा में कमी आती है। इसे ध्यान में रखते हुए एनडीडीबी ने डेरी गायों एवं भैंसों में फैट एवं एसएनएफ में सुधार लाने के लिए आहार संपूरक 'समवृद्धि' का विकास किया। आणंद, गुजरात के जल्दी एवं मध्य-दुग्धकाल वाले पशुओं को आहार खिलाए जाने के परीक्षण से गायों में फैट और एसएनएफ में क्रमशः 7.2-9.3 प्रतिशत और 1.8-2.4 प्रतिशत की औसत वृद्धि प्रदर्शित हुई और भैंसों में क्रमशः 2.4-

1.87 लाख नए पशु और **1,204** गांव वर्ष के दौरान संचालित आरबीपी कार्यक्रमों का हिस्सा बने।

3.9 प्रतिशत एवं 1.6–1.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इसके परिणामस्वरूप किसानों की कुल दैनिक आय में गायों एवं भैंसों के जल्दी दुग्धकाल के होने पर ₹ 14–25 तक तथा मध्य दुग्धकाल में ₹ 6–11 तक की वृद्धि हुई है।

हरा चारा उत्पादन में वृद्धि

अनुकूलतम गुणवत्ता वाला फलीदार एवं गैर-फलीदार हरा चारा खिलाना किफायती दूध उत्पादन के लिए अनिवार्य है। हालांकि, हरे चारे की लगातार कमी प्रमुख समस्या बनी हुई है। हरे चारे के उत्पादन के सीमित क्षेत्र को देखते हुए अधिक उपज क्षमता वाले उन्नत चारा बीज किस्मों का उपयोग हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि का सर्वश्रेष्ठ विकल्प है।

'गुणवत्ता चारा बीज' की उपलब्धता में वृद्धि

वर्ष के दौरान, प्रमुख चारा फसलों के 20.45 मीट्रिक टन (एमटी) उन्नत किस्मों वाले प्रजनक बीज आईसीएआर/एसएयू से प्राप्त किए गए और डेरी सहकारिताओं के पंजीकृत बीज उत्पादकों को उनकी आपूर्ति की गई। जई फसल की चार नई अधिसूचित चारा किस्मों (ओएल 10, जेएचओ 2009-1, जेएचओ 2010-1 और ओएस 377) की बीजगुणन श्रृंखला में शुरूआत की गई। चारा बीज उत्पादन कार्यक्रमों के साथ-साथ प्रमाणित/सत्यतापूर्वक लेबल लगे बीजों की बिक्री/खरीद के लिए बीज उत्पादन एजेंसियों को आवश्यक तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया गया। कई सहकारी दूध संघों/महासंघों ने चारा बीजों की खरीद के लिए एनसीडीएफआई ई-पोर्टल सुविधा का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। यह ई-पोर्टल सहकारिताओं द्वारा बिक्री एवं खरीद को पारदर्शी बनाता है जो किसानों को समय पर किफायती दरों पर चारा बीज उपलब्ध कराना सुनिश्चित करता है।

चारा विकास गतिविधियां

आणंद स्थित चारा प्रदर्शन इकाई वैज्ञानिक कृषि पद्धतियों को प्रदर्शित करती है और किसानों एवं सहकारिताओं के अधिकारियों को चारा फसलों की उन्नत किस्मों के बारे में जानकारी उपलब्ध कराती है जिससे सत्यतापूर्वक लेबल लगे और प्रजनक बीजों की मांग उत्पन्न होती है। चारा उत्पादन में वृद्धि के लिए किसानों को उत्तम कृषि प्रक्रियाएं (जीएपी) जैसे कि कवर फसल (भूमि संरक्षी फसल), हरित खाद डालना (ग्रीन मेन्योरिंग), पलवार डालना (मल्चिंग), अंतर फसल, गैर फलियों के साथ फलियों की मिश्रित बुवाई, माइक्रो इरिगेशन और बायोगैस स्लरी (गोबर घोल) का प्रदर्शन किया गया। साइलेज के लिए नई मक्के की संकर और उच्च उपजाऊ सिंचित क्षेत्रों हेतु बाजरा नेपियर संकर (बीएनएच) का भी प्रदर्शन किया गया। अधिक उत्पादकता; शीघ्र वानस्पतिक वृद्धि, बहु कटाई और बारहमासी प्रकृति के कारण डेरी किसान बीएनएच फसल के प्रति आकृष्ट हुए हैं और उन्हें इस वर्ष लगभग 2,06,780 स्टेम कटिंग वितरित की गई। पानी की कमी वाले क्षेत्रों के किसानों को 4,000 गिनी घास की स्टेम कटिंग और 1,060 कांटेरहित कैक्टस के क्लेडोड भी उपलब्ध कराए गए। जागरूकता निर्माण हेतु प्रमुख चारा फसलों की नई प्रजातियों के प्रदर्शन भी किए गए।

आदर्श गांव मुजकुवा में ग्राम आधारित सघन चारा विकास गतिविधियां जारी रहीं। साइलेज एवं हरे चारे के लिए, 26 किसानों ने अधिक उपज बहुकटाई ज्वार की संकर सीएसएच 24 एमएफ की खेती की। गोचर भूमि पर पुन: वनस्पति उगाने के लिए डीसीएस को लगभग 46,000 बीएनएच घास की स्टेम कटिंग उपलब्ध कराई गई।

व्यावसायिक तर्ज पर डीसीएस आधारित कम लागत के साइलेज निर्माण मॉडल का विकास किया गया और वर्ष के दौरान 80 मीट्रिक टन (एमटी) साइलेज का उत्पादन किया गया। इस मॉडल के हिस्से के तौर पर, किसान अनुबंध कृषि (कॉन्ट्रेक्ट फार्मिंग) के अंतर्गत चारा फसले उगाते हैं। इसके बाद साइलों में उनका भंडारण करते हैं और इसके फलस्वरूप बने साइलेज को डेरी किसानों को रियायती मूल्य पर बेचा जाता है। इस मॉडल ने यह सिद्ध कर दिया कि पूरे वर्षभर चारे की उपलब्धता

ट्रैक्टर चलित-चॉपर लोडर

बनाए रखने के लिए विभिन्न डीसीएस द्वारा इस साइलेज निर्माण को सफलतापूर्वक अपनाया जा सकता है।

वर्ष के दौरान, विदर्भ क्षेत्र के वर्धा एवं अमरावती जिले में हरे चारे की उपलब्धता में वृद्धि हेतु 75 गांवों में 8.19 मीट्रिक टन उन्नत चारा बीज की किस्मों का वितरण किया गया। हरे चारे को संरक्षित करने के लिए 16 साइलेज निर्माण प्रदर्शन आयोजित किए गए। हरे चारे के उत्पादन एवं संरक्षण पर जागरूकता निर्मित करने के लिए दो चारा प्रदर्शन इकाइयां स्थापित की गईं।

एनडीपी–I के अंतर्गत चारा विकास गतिविधियां

चारा विकास गतिविधियों के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु, 28 अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों (ईआईए) तथा बीज प्रसंस्करण संयंत्रों को तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराया गया। इस वर्ष 1,379 मीट्रिक टन चारा बीज उत्पादित किए गए और सहकारिताओं द्वारा लगभग 3,323 मीट्रिक टन प्रमाणित/सत्यतापूर्वक लेबल लगे बीजों की बिक्री की गई। ईआईए ने 33 साइलेज प्रदर्शन आयोजित किए तथा वर्ष के दौरान 316 किसानों ने साइलेज निर्माण को अपनाया। कृषि आर्थिक अनुसंधान केंद्र (एईआरसी), आणंद ने 'चारा बीज उत्पादन एवं बिक्री गतिविधियों में प्रभाव आकलन एवं मूल्यांकन' पर अध्ययन की शुरूआत की।

फसल अवशेष पर आधारित टीएमआर

पिछले वर्ष में एनडीपी–I के अंतर्गत श्री गंगानगर, राजस्थान एवं कोल्हापुर, महाराष्ट्र में स्थापित भूसा सघनीकरण संयंत्र ने संपूर्ण मिश्रित आहार (टीएमआर) पैलेट/ब्लॉक का निर्माण कार्य शुरू कर दिया था। स्थानीय तौर पर उपलब्ध फसल अवशेषों का समावेश होने के कारण टीएमआर पैलेट का मूल्य परम्परागत पशु आहार पैलेटों से अपेक्षाकृत कम है। इसके कारण मूल्य में वृद्धि किए बिना अनुकूल मात्रा में महत्वपूर्ण पोषण तत्वों जैसे कि विटामिन एवं खनिज पदार्थों को शामिल करने के अवसर उत्पन्न हुए हैं।

टीएमआर आहार खिलाने की प्रणाली में, पशुओं की आवश्यकता के आधार पर व्यक्तिगत के बजाए सामूहिक तौर पर पशुओं को मोटा चारा, गाढ़ा पदार्थ और आहार योजक प्रदान किया जाता है। यह आहार खिलाने की प्रणाली अनुकूल रूमेन पीएच बनाए रखती है तथा दूध के फैट एवं एसएनएफ में उतार–चढ़ाव में कमी लाना सुनिश्चित करती है। दुग्धकाल की विभिन्न अवस्थाओं में पोषक पदार्थों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु टीएमआर किस्मों को डिजाइन किया गया है। महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले में दूध देने वाली भैंसों के साथ किए गए परीक्षण में दूध उत्पादन एवं फैट प्रतिशत पर महत्वपूर्ण सकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ा है।

मावर्स जैसे उपकरणों तथा बंकर जैसी भंडारण सुविधाएं जब टीएमआर संयंत्रों के साथ–साथ कार्य करती हैं तो इसमें डेरी पशुओं के आहार में फसल अवशेष को शामिल करने की पर्याप्त संभावना होती है तथा इन फसल अवशेषों को खेत में जलाए जाने में कमी आती है।

फसल अवशेष प्रबंधन हेतु उपकरणों का प्रदर्शन

एनडीपी–I के अंतर्गत, फसल अवशेषों के नुकसान को रोकने के लिए किसानों को प्रशिक्षित करने पर निरंतर जोर दिया जा रहा है जिसकी देश के कई चारे की कमी वाले क्षेत्रों में आज कटाई यंत्र (हार्वेस्टर) के अधिक उपयोग के कारण दिन प्रतिदिन वृद्धि हो रही है। जैवभार (बायोमास) की आवश्यकताओं के अनुसार सरल एवं किफायती मावर्स एवं स्ट्रा पिक–अप उपकरणों का विभिन्न स्थलों पर प्रदर्शन किया गया। ये चारा हार्वेस्टर (कटाई यंत्र) तीव्र गति की मशीने हैं, जिन्हें प्रभावी कटाई एवं खेत से चारा उठाने के लिए डिजाइन किया गया है। अब तक, ग्रामीण स्तर के प्रदर्शनों के लिए विभिन्न स्थलों पर चारा प्रबंधन सहायक उपकरणों के साथ 624 मावर्स

संपूर्ण मिश्रित आहार का उत्पादन

लगाए गए हैं। इन मावर्स की सहायता से 3,353 प्रदर्शन संचालित किए गए, जिसमें इस वर्ष के 306 प्रदर्शन शामिल हैं। भंडारण में हानि को कम करने के लिए महत्वपूर्ण स्थलों पर बायोमास बंकर बनाने की शुरूआत भी की गई।

पशु स्वास्थ्य

एनडीडीबी उन गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित करती है, जिनमें छोटे एवं सीमांत किसान, जो भारत के सर्वोत्कृष्ट दूध उत्पादक हैं उनकी पशु स्वास्थ्य के संबंध में आने वाली समस्याओं के निराकरण में सहयोग दिया जाता है। इस उद्देश्य से एनडीडीबी प्रायोगिक स्तर पर ऐसे किफायती एवं प्रभावी रोग नियंत्रण मॉडलों को प्रसारित करने में सक्रिय भूमिका निभाती है, जो किसानों के व्यय में महत्वपूर्ण कमी लाने, उत्पादकता एवं लाभ वृद्धि में सहायक हों तथा एंटीबायोटिक एवं अन्य पशु चिकित्सकीय दवाओं में कमी लाने में सहायक हों।

एनडीडीबी पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य पर सूचना नेटवर्क (इनाफ) सॉफ्टवेयर के माध्यम से क्षेत्र को प्रयोगशाला से जोड़कर पशु स्वास्थ्य की सभी गतिविधियों पर मजबूत डाटाबेस बनाने में भी कार्यरत है, जिनके आधार पर सूचित निर्णय लिया जाएगा। रोगमुक्त वीर्य उत्पादन सुनिश्चित करने के लिए सांड़ उत्पादन क्षेत्रों एवं वीर्य केंद्रों के आस-पास जैव सुरक्षा एवं रोग नियंत्रण पर परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है।

एनडीडीबी ने गुजरात में चार जिलों को कवर करने वाले 593 गांवों और संगठित फार्म में अपने ब्रूसेलोसिस नियंत्रण मॉडल को निरंतर सहयोग देना जारी रखा है, जिनमें सभी महत्वपूर्ण नियंत्रण पहलू जैसे पशु पहचान, टीकाकरण, गर्भपात सामग्री का उचित निपटान, जागरूकता निर्माण, विसंक्रमण, पशु पृथक्करण इत्यादि शामिल हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि यह मॉडल एकल स्वास्थ्य की अवधारणा पर भी ध्यान दे रहा है। मार्च 2019 तक, इस वित्त वर्ष के दौरान 40,483 गाय एवं भैंस बछड़ों का टीकाकरण किया गया है। अप्रैल 2013 में इस परियोजना के आरंभ से 1 लाख से अधिक मादा गाय एवं भैंस की बछड़ियों के टीकाकरण के साथ कान में टैग लगाया गया है। एनडीडीबी चिकित्सकों के साथ संपर्क स्थापित करने के लिए चिकित्सा संस्थानों को सहयोग दे रही है, जिससे कि मनुष्यों अर्थात् पशुधन पालक किसानों और पशुपालन कार्मिकों को ब्रूसेलोसिस के अभिशाप से मुक्त किया जा सके। अधिकतर इस महामारी का पता नहीं चल पाता है और यह किसानों की कार्यक्षमता को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। वर्तमान में, चिकित्सकों के विशेषज्ञ दल द्वारा चिह्नित किए गए 19 व्यक्तियों को विशेष उपचार खुराक उपलब्ध कराया जा रहा है, जिनमें से नौ पूरी तरह से स्वस्थ्य हैं और उन्होंने अपने बीमारी से पहले जैसी स्फूर्ति प्राप्त कर ली है। शेष रोगियों का उपचार जारी है। संगोष्ठियों और वृत्तचित्र के जरिए सफलता की कहानियों का व्यापक प्रचार किया जा रहा है जिससे पशुओं के रोग की रोकथाम करने के लिए किसानों को अधिक विश्वास पैदा होता है और इसके कारण वे नियंत्रण कार्यक्रम में सक्रिय भागीदारी करते हैं। जहां कहीं भी, इस नियंत्रण मॉडल को क्रियान्वित किया जा रहा है, किसानों के बीच ब्रूसेलोसिस एवं इसके नियंत्रण पर जागरूकता स्तरों पर महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज हुई है।

इस परियोजना की अवधि पाँच वर्ष की है जिसका कुल परिव्यय ₹ 11.36 करोड़ है तथा इसमें एनडीडीबी ₹ 5.43 करोड़ का योगदान दे रही है।

थनैला नियंत्रण कार्यक्रम

एनडीडीबी की थनैला नियंत्रण को लोकप्रिय बनाने की परियोजना (एमसीपीपी) 8 राज्यों (केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रप्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, पंजाब एवं असम) में 25 से अधिक दूध संघों/उत्पादक कंपनियों में निरंतर जारी रही। इस परियोजना की अवधि पिछले वर्ष से अगले 3 वर्षों के लिए बढ़ाई गई है। इस परियोजना का कुल परिव्यय ₹ 26.05 करोड़ है, जिसमें एनडीडीबी का ₹ 3.56 करोड़ का योगदान है। परियोजना क्षेत्रों में उप-नैदानिक थनैला (एससीएम) एवं दूध में एंटीबायोटिक अवशेषों, सोमेटिक सेल काउंट (एससीसी) और बैक्टीरिया भार की निगरानी की जा रही है और एंटीबायोटिक के उपयोग को कम करने तथा एंटीमाइक्रोबियल अवशेष (एएमआर) की उत्पत्ति की संभावना को कम करने के उचित उपाय सुझाए जाते हैं।

ईवीएम एक बहुत किफायती, गैर-आक्रामक एवं प्रभावी वैकल्पिक दृष्टिकोण है जिससे उपचार की लागत और दवा के उपयोग में कमी आती है

परियोजना की लागत-लाभ का मूल्यांकन करने के लिए आवधिक सर्वेक्षण भी आयोजित किए जा रहे हैं। इस परियोजना से उत्पन्न होने वाले आंकड़ों को कैप्चर करने के लिए वेब आधारित ऑन-लाइन रिपोर्टिंग प्रणाली का उपयोग किया जा रहा है। 2018-19 के दौरान, एससीएम के मूल्यांकन के लिए डेरी सहकारी समिति (डीसीएस) पर किसानों द्वारा दिए गए दूध के कुल 2,18,159 संयोजित दूध सैंपलों की कैलिफोर्निया थनैला परीक्षण (सीएमटी) द्वारा आरंभिक तौर पर जांच की गई थी। किसानों के कृषि फार्म पर परीक्षण करके एससीएम पशुओं की पहचान करने के लिए पॉजिटिव सैंपलों पर आगे की जांच की गई तथा 10 दिन के कोर्स के लिए लगभग ₹ 20/- की मुंह से आसानी से खिलाई जाने वाली खुराक उपलब्ध कराए जाने के दौरान उनमें सुधार की निगरानी की गई। इस प्रबंधन गतिविधि के जरिए उपचारित पशुओं में औसत दूध उत्पादन में प्रतिदिन लगभग एक लीटर की वृद्धि तथा एससीएम की घटनाओं में काफी कमी दर्ज की गई है।

एथनो वेटनरी मेडिसीन को लोकप्रिय बनाना

एमसीपीपी के अंतर्गत थनैला तथा कई आम रोगों, जिनके कारण दूध उत्पादन कम हो जाता है, के लिए एथनो वेटनरी मेडिसीन (ईवीएम) का दस्तावेजीकरण भी किया जा रहा है। अब तक, औसतन लगभग 82 प्रतिशत रोग मुक्त दर के साथ परियोजना क्षेत्रों से केवल ईवीएम उपचारित लगभग एक लाख ऐसे मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया है। एमसीपीपी के अंतर्गत, एनडीडीबी ईवीएम की अपनी आपूर्ति श्रृंखला को मजबूती प्रदान करने के लिए संघों को प्रोत्साहित भी कर रही है ताकि किसानों को न्यूनतम लागत पर उत्तम गुणवत्ता से निर्मित सामग्री प्राप्त हो सके। आम रोगों का रोकथाम करने के लिए जिन दूध संघों ने ईमानदारी से ईवीएम की शुरूआत की है, उन्होंने दवाओं, विशेष रूप से एंटीबायोटिक के उपयोग बहुत कम कर दिया है। किसानों के स्तर पर ईवीएम के इस्तेमाल से पशु चिकित्सकों को बुलाने के अनुरोध में उल्लेखनीय कमी आई है।

आईबीआर नियंत्रण

एनडीडीबी ने तीन अलग-अलग राज्यों के 11 गावों एवं डेरी फार्म में इनएक्टिवेटेड मार्कर वैक्सीन (जीई डिलिटेड मार्कर वैक्सीन) का उपयोग करके संक्रामक गोवंशीय राइनोट्रायकाइटिस (आईबीआर) पर प्रायोगिक परियोजना को सहयोग देना निरंतर जारी रखा। दो वर्ष की अवधि का कुल परियोजना परिव्यय ₹ 3.43 करोड़ है। इस परियोजना का मूल उद्देश्य भारतीय क्षेत्र परिस्थितियों में गाय एवं भैंसों में आईबीआर नियंत्रण हेतु जीन-डिलिटेड इनएक्टिवेटेड मार्कर आईबीआर टीके की क्षेत्र प्रभावकारिता का मूल्यांकन करना है।

वर्तमान वर्ष के दौरान गायों एवं भैंसों में लगभग 25,825 टीकाकरण किए गए हैं और 1,489 सेरा सैंपलों को प्रयोगशाला परीक्षणों के लिए संकलित किया गया। 2017-18 में इस परियोजना की शुरूआत से कुल लगभग 50,052 टीकाकरण किए गए हैं।

प्रायोगिक अध्ययन के परिणाम यह दर्शाते हैं कि टीका प्रभावकारी है क्योंकि लगभग सभी टीकाकृत पशुओं में सीरो कन्वर्जन पाया गया था और 90 प्रतिशत से अधिक टीकाकृत पशु उच्च स्थानिक आईबीआर वातावरण में सुरक्षित रहे। उचित परीक्षण द्वारा संक्रमित और टीकाकृत पशुओं को अलग-अलग करना भी संभव था।

कोल्हापुर दूध संघ में इनाफ स्वास्थ्य मॉड्यूल का क्रियान्वयन

कोल्हापुर दूध संघ में इनाफ स्वास्थ्य मॉड्यूल के दूसरे वर्ष काम करने पर इसमें पिछले वित्त वर्ष से 33 प्रतिशत की वृद्धि हुई है तथा 2.35 लाख मामलों को इस प्रणाली में दर्ज किया गया। अब, यह संघ की पशुचिकित्सा सेवा वितरण प्रणाली का एक अभिन्न हिस्सा है तथा संघ की दवा सूची से भी जुड़ा है। रिपोर्टों के विश्लेषण से लगभग 30 प्रतिशत पाचन एवं थन संबंधी समस्याओं का पता चला, उसके बाद 15 प्रतिशत प्रजनन समस्याओं, 12 प्रतिशत वाइरल रोगों और 5 प्रतिशत चयापचय रोगों का पता चला है।

क्षेत्र एंटीबायोटिक अवशेष परीक्षण दूध के असान मूल्यांकन की एक किफायती एवं शीघ्रता से प्रयोग में लाई जाने वाली पद्धति है

अनुसंधान एवं विकास

रोग निदान विश्वसनीय एवं शीघ्र उपाय है जो फार्मों में रोगों का नियंत्रण और रोगमुक्त पशुओं का रख–रखाव करने के लिए अत्यंत आवश्यक है।

स्वचालित प्रणाली के माध्यम से जैविक/पर्यावरणीय नमूनों में माइकोबैक्टीरियल एसपीपी का शीघ्र एवं सटीक पहचान

यह प्रयोगशाला रोग नियंत्रण पर विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाओं के अनुसंधान एवं विकास में सहयोग देती है।

एनडीडीबी ने हैदराबाद में अत्याधुनिक पशु रोग निदान एवं अनुसंधान सुविधा स्थापित की है जिसे आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ/आईईसी 17025:2017 की मान्यता प्राप्त है। यह प्रयोगशाला परीक्षण परिणामों में 100 प्रतिशत मिलान के साथ अंतर्राष्ट्रीय दक्षता परीक्षण कार्यक्रमों में भागीदारी करती रही है। इस प्रयोगशाला ने विभिन्न गोवंशीय रोगों नामत: ब्रूसेलोसिस, संक्रामक गोवंशीय राइनोट्रायकाइटिस (आईबीआर), गोवंशीय वायरल डायरिया (बीवीडी), खुरपका एवं मुंहपका रोग (एफएमडी), जॉन्स रोग (जेडी), बोवाइन जेनाइटल कैम्पाइलो बैक्टेरियोसिस (बीजीसी) और ट्राइक्रोमोनासिस के परीक्षण हेतु वर्ष के दौरान लगभग एक लाख सैंपल प्राप्त किए। प्रयोगशाला रोग नियंत्रण पर एनडीडीबी द्वारा क्रियान्वित विभिन्न प्रायोगिक परियोजनाओं को सहयोग प्रदान करती है और प्रयोगशाला ने गोवंशीय थनैला के बैक्टीरिया जन्य कारकों में एंटी माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) पर निगरानी करने की शुरूआत की है।

रोग की निगरानी:

एनडीडीबी की अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद ने रोगमुक्त उच्च आनुवंशिक गुण वाले सांड़ के बछड़ों की प्राप्ति हेतु संतति परीक्षण (पीटी)/वंशावली चयन (पीएस) क्षेत्रों के अंतर्गत शामिल किए गए विभिन्न वीर्य केंद्रों, सांड़ माता फार्मों तथा ग्राम पशु झुंडों में रोगों की निगरानी करना निरंतर जारी रखा। इन प्रयोगशालाओं में पशुपालन एवं मत्स्यपालन विभाग (डीएएचएंडडी), भारत सरकार द्वारा हिमिकृत वीर्य के उत्पादन हेतु न्यूनतम मानक प्रोटोकाल (एमएसपी) में सूचीबद्ध यौन संक्रामित रोगों का नियमित तौर पर परीक्षण किया जाता है। वर्तमान में, यह प्रयोगशाला 15 राज्यों की 62 एजेंसियों के लिए रोगों की निगरानी करती है जिसका सीरोलॉजिकल निदान के लिए औसत प्रतिवर्तन काल 6.87 कार्य दिवस है। इस प्रयोगशाला ने आईबीआर और ब्रूसेलोसिस के निदान के लिए गाय एवं भैंसों के क्रमश: 20,935 एवं 23,637 सेरा सैंपलों का परीक्षण किया। आईबीआर एवं ब्रूसेलोसिस के लिए निश्चयात्मकता (पॉजिटिविटी) क्रमश: 15.24 प्रतिशत एवं 2.02 प्रतिशत रही। ग्राम स्तर पर क्षेत्र में (पीटी/पीएस परियोजना क्षेत्रों में) आईबीआर एवं ब्रूसेलोसिस का प्रसार क्रमश: 36.98 प्रतिशत एवं 5.67 प्रतिशत था जबकि संगठित व्यवस्था जैसे वीर्य केंद्र, बुल मदर फार्म तथा डेरी फार्मो में यह क्रमश: 26.16 प्रतिशत तथा 0.89 प्रतिशत था।

जहां तक बीवीडी का संबंध है, बीवीडी एंटिजन एलिसा द्वारा 9,563 सैंपलों की जाँच से केवल 0.26 प्रतिशत निश्चयात्मकता का पता चला। इसके अलावा, रीयल टाईम आरटी–पीसीआर परीक्षण द्वारा 6 माह से कम आयु के बछड़ों के 90 सीरम सैंपलों का परीक्षण किया गया लेकिन उनमें से कोई भी सैंपल पॉजिटिव नहीं पाया गया।

हिमिकृत वीर्य बैचों की जाँच:

प्रयोगशाला ने रीयल टाईम पीसीआर द्वारा गोवंशीय हर्पीस वायरस–1 (बीएचवी–1) की उपस्थिति के लिए आईबीआर सीरो–पॉजिटिव सांड़ों से उत्पादित हिमिकृत वीर्य बैचों की निरंतर जाँच जारी रखी। देश के विभिन्न वीर्य केंद्रों से प्राप्त कुल 33,830 हिमिकृत वीर्य बैचों की जाँच की गई और उसमें से 1.34 प्रतिशत बैच पॉजिटिव घोषित किए गए। प्रयोगशाला ने बैक्टीरिया भार का पता लगाने के लिए 299 हिमिकृत वीर्य बैचों का परीक्षण भी किया और 90.6 प्रतिशत एमएसपी में निर्धारित मात्रा के अनुरूप स्वीकार्य पाए गए।

गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली एवं दक्षता परीक्षण:

प्रयोगशाला ने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार उचित कार्यगति व गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियां स्थापित की हैं और वर्तमान में इसे आईएसओ 9001:2015 और आईएसओ/आईईसी 17025:2017 दोनों की मान्यता प्राप्त है।

विशेष परीक्षणों में प्रयोगशाला की कार्यदक्षता के निर्धारण हेतु दक्षता परीक्षण (पीटी) कार्यक्रमों में भागीदारी प्रमुख गुणवत्ता नियंत्रण उपाय है। वर्तमान वर्ष के दौरान, प्रयोगशाला ने तीन सीरोलॉजिकल

परीक्षणों नामत: आईबीआर, ब्रूसेला और बीवीडी एंटीजन के प्रति एंटीबाडी की पहचान करने के लिए वीईटीक्यूएएस, पशु एवं पादप स्वास्थ्य एजेंसी, यूनाइटेड किंगडम (एपीएचए, यूके) द्वारा उपलब्ध अंतर्राष्ट्रीय पीटी कार्यक्रमों में प्रतिभागिता की। इन परीक्षणों पर एपीएचए, यूके के साथ इन परिणामों में 100 प्रतिशत मिलान से प्रयोगशाला की दक्षता की पुन: सत्यापित होती है।

एंटी–माइक्रोबियल प्रतिरोध (एएमआर) पर निगरानी

मल्टी ड्रग – रेजिस्टेंट स्ट्रेन के विकास से अब एंटीबायोटिक के इस्तेमाल के जरिए संक्रामक रोगों के उपचार को चुनौती दी जा रही है। एएमआर वैश्विक स्तर पर जन स्वास्थ्य आपातकाल के तौर पर उभरा रहा है और सर्वव्यापी महामारी का दर्जा हासिल कर रहा है। संक्रामक रोगों के भार एवं एंटीबायोटिक के अंधाधुंध उपयोग के कारण यह स्थिति विकासशील देशों में चुनौतीपूर्ण हो सकती है। जन स्वास्थ्य के महत्व को ध्यान में रखते हुए एनडीडीबी ने गोवंशीय थनैला के कारक बैक्टीरियल एजेंट में एएमआर पर निगरानी करने की शुरूआत की है। गोवंशीय थनैला की रोकथाम करने की यह गतिविधि एनडीडीबी द्वारा क्रियान्वित वैकल्पिक गतिविधियों के साथ ही संचालित है। इसके जरिए एंटीबायोटिक के उपयोग में कमी लाई जा सकती है। β – लैक्टाम्स, टेट्रासाइक्लिन, सॅल्फोनामाइड और एमिनोग्लाइकोसाइड के लिए एएमआर निर्धारक जीनों के आइसोलेट की पुनः जाँच की गई। फीनोटाइपिक प्रतिरोध के परिणाम एंटीबायोटिक के विभिन्न वर्गों के प्रति इन आइसोलेट में एएमआर निर्धारक की सहायक जीनोटाइप प्रोफाइल से मेल खाते थे। 43 प्रतिशत एस ऑरियस आइसोलेट में मेथिसिलीन प्रतिरोध दर्ज किया गया। 20 प्रतिशत एस ऑरियस तथा 31 प्रतिशत ई. कोलाई आइसोलेट में मल्टीड्रग प्रतिरोध पाया गया।

आईबीआर के नियंत्रण हेतु संगठित डेरी पशु झुंड में आईबीआर की प्रभावकारिता पर अध्ययन:

उन स्थानिक संगठित डेरी पशु झुंड में आईबीआर नियंत्रण में आईबीआर टीके (इनएक्टिवेटेड जीई डिलीटेड मार्कर टीके) की प्रभावकारिता का मूल्यांकन किया गया, जहां अक्तूबर 2016 से नियमित तौर पर टीकाकरण किया जा रहा था। स्थानिक पशु झुंडों में बने रहने के दो वर्ष के बाद भी, 90 प्रतिशत से अधिक टीकाकृत एवं आईबीआर निगेटिव पशु संक्रमण से सुरक्षित रहे। नियमित टीकाकरण करने पर इस फार्म में गर्भपात दर 46 प्रतिशत से घटकर 22 प्रतिशत रह गई।

संगठित डेरी पशु झुंड में संक्रामक गर्भपात व्याधि निदान की जाँच:

पिछले वर्ष की तुलना में फार्म में ब्रूसेलोसिस, लेप्टोस्पाइरोसिस, क्यू-फीवर एवं बीवीडीवी के प्रति सीरो-पॉजिटिविटी रूझानों में वृद्धि दर्ज हुई। हालांकि, नियमित टीकाकरण के जरिए आईबीआर में कमी लाई जा सकती है। 5-9 माह की गर्भावस्था के दौरान, गर्भपात के 64 मामलों की जांच से निम्नलिखित एक या अधिक रोगकारकों अर्थात् बीएचवी-1 बीवीडीवी की उपस्थिति का पता चला। 64 मामलों में से 21 (43.75 प्रतिशत) में अनेक रोग कारकों की उपस्थिति का पता लगाया जा सका है।

गोवंशीय थनैला कारक बैक्टीरियल एजेंटो की पूर्ण जीनोमिक सीक्वेंसिंग द्वारा एएमआर पर अध्ययन

उत्पाद एवं प्रक्रिया विकास

उत्पाद पोर्टफोलियो में विविधीकरण एवं डेरी सहकारिताओं के मूल्य वृद्धि में सहयोग करने में सतत प्रयास के तौर पर श्रीखंड जैसा उत्पाद, जिसमें व्हे की बर्बादी न हो, के निर्माण हेतु एक प्रक्रिया का विकास किया गया है। यह प्रक्रिया व्हे की निकासी से उत्पन्न होने वाले पर्यावरणीय समस्याओं का न केवल समाधान करती है, बल्कि व्हे प्रोटीन, खनिज एवं पानी में घुलनशील अन्य मूल्यवान खनिजों की अच्छाई को बरकरार रखते हुए पोषक मूल्य में सुधार भी लाती है।

एक फ्यूजन हिमिकृत डेरी उत्पाद का निर्माण किया गया है जिसमें उच्च प्रोटीन युक्त किण्वन की अच्छाई एवं आइसक्रीम की मिठास शामिल है। इस तैयार रेसिपी में कम मात्रा में शर्करा, कम फैट और आइसक्रीम की तुलना में अधिक प्रोटीन पदार्थ उपलब्ध होता है। फ्यूजन उत्पाद होने के नाते, डेरी के साथ वर्तमान उत्पादन लाइन का उपयोग किया जा सकता है जिसके द्वारा क्षमता उपयोग में सुधार लाया जा सकता है।

कुपोषित बच्चों (आयु 3-6 वर्ष) के संतुलित पोषक संपूरक (शिशु संजीवनी) के सफलतापूर्वक निर्माण के बाद, 1 टन प्रतिदिन संपूरक के निर्माण एवं पैकेजिंग हेतु आईडीएमसी के सहयोग के साथ यांत्रिक व्यवस्था का निर्माण किया गया है। 80 ग्राम के पैक में परोसे जाने वाला यह संपूरक एक उच्च कैलोरी उच्च प्रोटीन वाला उत्पाद है, जिसमें बढ़ते बच्चों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अनिवार्य विटामिन एवं खनिज उपलब्ध है। एनआईएन एवं एफएओ के दिशा-निर्देशों के अनुसार एक तिहाई दैनिक अनिवार्य पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए इसमें विटामिनों एवं खनिजों को मिलाया गया है।

फ्रीज ड्राइंग सफल रेडी-टू-यूज कल्चर (आरयूसी) उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है। यह समय पर आधारित गतिविधि है, जिसमें उत्पादन का लगभग आधा समय लगता है और यह आरयूसी की उत्तरजीविता को प्रभावित करती है। अत: इनके समाधान हेतु प्रक्रिया में संशोधन किया गया, जिससे कि सूक्ष्म जीव (आर्गेनिज्म) की उत्तर जीविता एवं गतिविधियों पर समझौता किए बिना फ्रीज ड्राइंग में कमी हासिल की जा सके।

योगहर्ट आरयूसी के उत्पादन हेतु प्रयोगशाला तकनीक का सफलतापूर्वक विकास किया गया है। आरयूसी विकास के लिए देश के विभिन्न क्षेत्रों से संकलित देशी किण्वित उत्पादों से संकलित एसिड बैक्टीरिया के एक सौ आइसोलेट में से चार अनुकूल आइसोलेट को चुना गया है।

वर्ष के दौरान दही, मिष्ठी दही एवं लस्सी के उत्पादन हेतु नॉन-आरयूसी प्रोपोगेटिव टाईप स्टार्टर कल्चर की आपूर्ति दीमापुर दूध संघ, नागालैंड एवं बालाजी डेरी, तिरूपति, आंध्र प्रदेश को की गई।

शिशु संजीवनी-एक स्वस्थ भारत को मूर्त रूप देते हुए

सूचना नेटवर्क का निर्माण

एनडीडीबी ने एक नई वेब आधारित प्रणाली 'इंटरनेट आधारित डेरी सूचना प्रणाली' (आईडीआईएस), को क्रियान्वित करना जारी रखा, जिसका उद्देश्य डेरी सहकारी समितियों को उनके परस्पर लाभ के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।

आंकड़े एकत्रित करने के लिए ग्राम स्तरीय बैठक

वर्ष के दौरान गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के दूध संघों के एमआईएस अधिकारियों के लिए पुनश्चर्या कार्यशालाएं आयोजित की गईं। अधिक विश्लेषणात्मक परख उपलब्ध कराने के उद्देश्य से आईडीआईएस में अतिरिक्त विश्लेषणात्मक रिपोर्ट के लिए विकास की शुरूआत की गई है।

राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर)

राष्ट्रीय डेरी विकास कार्यक्रम (एनपीडीडी) – भारत सरकार की एक केंद्रीय क्षेत्र योजना (जीओआई) देश के दूध संघों/डेरी महासंघों को विभिन्न डेरी विकास कार्यों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। सहकारी दूध संघों को एक आधारभूत रिपोर्ट के साथ परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करना आवश्यक है, जिसमें प्राथमिक नमूना सर्वेक्षण के आधार पर दूध उत्पादन, पशुओं की उत्पादकता, संकलन, प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे और विपणन पर विवरण शामिल हो। इस संबंध में, एनडीडीबी ने निगरानी और मूल्यांकन हेतु उपर्युक्त मापदंडों पर आधारभूत संकेतक बनाने के लिए आधारभूत सर्वे क्षण आयोजित किए और भारत सरकार को प्रस्तुत करने के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) भी तैयार की। उपर्युक्त सर्वेक्षणों के आधार पर एनडीडीबी ने त्रिपुरा के दूध संघों, हिमाचल प्रदेश के शिमला के दूध संघ, तेलंगाना राज्य दूध विकास सहकारी महासंघ (टीएसडीडीसीएफ), आंध्र प्रदेश राज्य दूध विकास सहकारी महासंघ (एपीडीडीसीएफ), पुडुचेरी तथा महाराष्ट्र के कोपरगाँव एवं जलगाँव, कर्नाटक के धारवाड़, उत्तर प्रदेश के शाहजहाँपुर और मणिपुर के दूध संघों के अनुरोध पर डीपीआर तैयार किए। इस परियोजना के अंतर्गत इन दूध संघों और महासंघों द्वारा कुल 28 जिलों को कवर किया गया।

एनडीपी I की बाह्य निगरानी और मूल्यांकन

एनडीपी I की बाह्य निगरानी और मूल्यांकन का चौथा वार्षिक दौर एक बाह्य एजेंसी द्वारा ''डेरी किसानों का उद्यमशील व्यवहार'' विशिष्ट विषय के साथ पूरा किया गया था। सर्वेक्षण के प्रमुख निष्कर्ष नीचे प्रस्तुत किए गए हैं।

दूध उत्पादकों की राय के अनुसार, डेरी को आर्थिक गतिविधि के रूप में अपनाने के लिए जिन महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किया जाना है, वह है 'दूध का अधिक उत्पादन' (लगभग 50 प्रतिशत), इसके बाद 'संकर नस्ल की गायों/ श्रेष्ठ भैंसों का पालन' और 'डेरी विकास के लिए आर्थिक सहायता की प्राप्ति'। लगभग तीन चौथाई डेरी किसानों ने यह महसूस किया कि नई प्रौद्योगिकी युक्त नई प्रणाली डेरी फार्मिंग की सर्वोत्तम पद्धति है। लगभग 70 प्रतिशत उत्पादकों का मानना था कि दूध से संबद्ध बाजार की जानकारी डेरी किसानों के लिए उपयोगी है। उनमें से लगभग आधे उत्तरदाताओं ने यह कहा कि डेरी सहकारिताएं उत्तम दूध मूल्य की प्राप्ति के बेहतर साधन हैं, उनके बाद, निजी डेरियां (21 प्रतिशत) और प्रत्येक परिवार (20 प्रतिशत) को तरजीह दी गई। लगभग सभी उत्तरदाताओं ने सर्वसम्मति से यह महसूस किया कि बेहतर मूल्य की प्राप्ति के लिए दूध की गुणवत्ता का होना आवश्यक है। लगभग 50 प्रतिशत डेरी किसानों ने अपने उद्यम और चारे की मात्रा के लिए अपेक्षित पूंजी का पहले ही अनुमान लगा लिया था। हालांकि, केवल 16 प्रतिशत परिवारों ने अग्रिम रूप से अपनी डेरी गतिविधि के कैलेंडर तैयार किए। इनमें डेरी प्रबंधन की जानकारी प्राप्त करने के लिए सर्वाधिक पसंदीदा स्रोत 'पशु चिकित्सक' थे, वहीं सबसे कम पसंदीदा स्रोत, जिनमें कृषि विश्वविद्यालय और डेरी संस्थान शामिल थे, उनका डेरी परिवारों द्वारा कभी उपयोग नहीं किया गया। डेरी प्रौद्योगिकियों पर जानकारी के लिए मीडिया का मुख्य स्रोत इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था, उसके बाद प्रिंट मीडिया, पशु प्रदर्शनी, रेडियो, प्रकाशित साहित्य और कृषि प्रदर्शनी थे। केवल 16 प्रतिशत परिवार ही गायों और भैंसों की सभी नस्लों के बारे में परिचित थे।

एनडीपी I की बाह्य निगरानी और मूल्यांकन का चौथा वार्षिक दौर बाह्य एजेंसी द्वारा डेरी किसानों का उद्यमशील व्यवहार विशिष्ट विषय के साथ पूरा किया गया था।

उपभोक्ता डेरी उत्पादों का आनंद लेते हुए

इसी वर्ष एनडीपी-I की बाह्य निगरानी एवं मूल्यांकन के अंतिम-दौर की शुरूआत की गई है। इस दौर के लिए बाह्य एजेंसी द्वारा फील्ड के कार्य पूरे कर लिए गए हैं और आकंड़े प्रोसेस किए जा रहे हैं।

आईएफसीएन के साथ सहयोगात्मक अध्ययन

अंतर्राष्ट्रीय फार्म तुलना नेटवर्क (आईएफसीएन), जर्मनी के सहयोग से 5 क्षेत्रों (उत्तर, पूर्व, दक्षिण, पश्चिम और उत्तर-पूर्व) में, प्रत्येक में से 2 क्षेत्र, जिनमें असम, गुजरात, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और ओडिशा शामिल हैं, में 10 विशिष्ट डेरी फार्मों के लिए डेरी फार्म इकोनॉमिक्स पर अध्ययन आयोजित किए गए। 2017-18 में पहला दौर आयोजित हुआ और यह पाया गया कि दूध उत्पादन का औसत मूल्य ₹ 25 प्रतिकिग्रा. एससीएम (सॉलिड करेक्टेड मिल्क : 4 प्रतिशत फैट और प्रोटीन 3.3 प्रतिशत) और औसत मूल्य प्राप्ति ₹ 30.50 प्रतिकिग्रा. था। कुल दूध उत्पादन मूल्य में से जेब खर्च का भाग लगभग दो-तिहाई होता है। 2018-19 के लिए दूसरे दौर का क्षेत्र कार्य पूरा हो चुका है।

पशुधन की निरंतरता के लिए वैश्विक एजेंडा के साथ सहयोग

पशुधन की निरंतरता के लिए वैश्विक एजेंडा (जीएएसएल) के अंतर्गत सतत विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु डेरी क्षेत्र में निवेश के महत्व पर जागरूकता निर्मित करने के उद्देश्य से सामाजिक विकास हेतु क्रियाशील पशुधन नेटवर्क ने वैश्विक डेरी मंच, एफएओ, आईएफसीएन डेरी नेटवर्क, डेरी स्थिरता फ्रेमवर्क, आईएलआरआई और राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) के साथ हाथ मिलाया है। समाज के प्रति डेरी क्षेत्र के योगदान का आकलन करने हेतु दिशा-निर्देश विकसित करने, योगदान को मापने तथा परिणामों पर आम सहमति बनाने के लिए प्रमुख तत्वों और संकेतकों को परिभाषित करने हेतु फरवरी 2019 को एफएओ, रोम में तकनीकी विशेषज्ञों के कार्य दल (टास्क फोर्स) की बैठक आयोजित हुई थी।

भारत में दूध और दूध उत्पादों की मांग का अनुमान

राष्ट्रीय डेरी योजना I के अंतर्गत, एक बाह्य एजेंसी को शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में राज्य स्तर पर दूध एवं दूध उत्पादों की मांग के अलग-अलग आकलन तथा देश के दस लाख से अधिक शहरों (2018 तक 65) की शहर-वार मांग के आकलन का व्यापक अध्ययन कार्य सौंपा गया है। इस अध्ययन में 2030 तक दूध एवं दूध उत्पादों के लिए भारत की मांग का प्रोजेक्शन भी शामिल है। घरेलू खपत के अतिरिक्त, दूध एवं दूध उत्पादों की ''घर से बाहर की खपत'' से संबंधित अध्ययन सितंबर 2019 तक पूरा होने की संभावना है।

डेरी पर सांख्यिकीय प्रोफ़ाइल

अब तक, 14 प्रमुख डेरी राज्यों के लिए सांख्यिकीय डेरी प्रोफाइल की एक श्रृंखला प्रकाशित हो चुकी है। ये रिपोर्टें सांख्यिकीय तालिकाओं और विषयगत मानचित्रों के माध्यम से जनसांख्यिकीय, पशुधन आबादी और उत्पादन के रुझान; उत्पादकता वृद्धि आदि के लिए इनपुट इत्यादि उपलब्ध कराती हैं। राज्य डेरी प्रोफाइल की विभिन्न हितधारकों द्वारा खूब सराहना की गई जो सरकारों, प्रशासकों, अनुसंधान संस्थानों, शैक्षणिक और नीति-निर्माता निकायों के अधिकारियों के लिए उपयोगी हैं।

मानव संसाधन विकास

प्रशिक्षण कार्यक्रम संस्थागत उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए मानव संसाधनों को सहयोग उपलब्ध कराते हैं।

अधिक से अधिक महिलाओं को प्रशिक्षण में भागीदारी हेतु प्रोत्साहित किया जाता है

वर्ष के दौरान, एनडीडीबी आणंद और इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में 14,118 व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम के दौरान दूध उत्पादकों द्वारा अनुभव किए गए परिवर्तनों का साक्षी होना वास्तव में उत्साहजनक है। प्रतिभागियों को दी जाने वाली शिक्षा केवल पशुपालन प्रक्रियाओं तक ही सीमित नहीं है। वर्ष के दौरान अधिक से अधिक आवश्यकता पर आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रमों के समावेश में वृद्धि पर ध्यान केंद्रित रहा है। दूध उत्पादकों तथा दूध संघों के अधिकारियों के लिए नए प्रशिक्षण मॉड्यूल की शुरूआत की गई थी। यह वर्ष क्षमता निर्माण के महत्व के बारे में डेरी सहकारिताओं की उत्तरोत्तर स्वीकारोक्ति का भी साक्षी रहा है।

दूध संकलन क्षेत्र में नए और वर्तमान मानव संसाधन को मजबूत बनाने के एक प्रगामी कदम के रूप में, गुजरात कोऑपरेटिव दूध विपणन महासंघ लि. के अनुरोध पर 30 दिवसीय व्यापक प्रशिक्षण मॉड्यूल प्रस्तुत किया गया। पंजाब राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ के अनुरोध पर एनडीडीबी में 400 से अधिक डीसीएस सचिवों को पुनश्चर्या प्रशिक्षण के लिए नामांकित किया गया। अधिनियम के दिशा-निर्देशों और प्रावधानों पर दूध संघों को अनिवार्य एफएसएसएआई प्रशिक्षण प्रदान किया गया।

डेरी पशुपालन में महात्वाकांक्षी युवा उद्यमियों की आवश्यकता के मद्देनज़र एनडीडीबी ने वर्ष के दौरान डेरी उद्यमिता प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरूआत की।

एनडीपी I के अंतर्गत, आहार संतुलन कार्यक्रम को क्रियान्वित करने वाले 927 स्थानीय जानकार व्यक्तियों (एलआरपी) का इस विषय पर पुनः अभिमुखन किया गया। श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले एलआरपी को डेरी पशु प्रबंधन पर प्रशिक्षण दिया गया।

एनडीडीबी प्रशिक्षण केंद्रों के प्रधानाचार्य कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थानों की मान्यता एवं मूल्यांकन हेतु डीएडीएफ, भारत सरकार द्वारा गठित केंद्रीय निगरानी समिति (सीएमयू) के सदस्य थे।

वर्ष के दौरान, एनडीडीबी आणंद और इसके क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्रों में 14,118 व्यक्तियों को विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया गया। विभिन्न कार्यक्रमों में लगभग 2,700 महिलाएं प्रशिक्षित हुईं।

वीएएमएनआईसीओएम, पुणे के अनुरोध पर, सार्क देशों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें भारत, नेपाल और श्रीलंका के 21 प्रतिभागियों ने भाग लिया।

2018-19 के दौरान आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम

क. सहकारिता सेवाएं		
कार्यक्रम का नाम	**कार्यक्रमों की संख्या**	**प्रतिभागियों की संख्या**
कृषक प्रेरण कार्यक्रम	34	1,127
कृषक अभिमुखन कार्यक्रम	72	2,555
डेरी उद्यमिता कार्यक्रम	3	41
प्रगतिशील किसान अभिमुखन कार्यक्रम	2	38
बोर्ड निदेशकों का अभिमुखन कार्यक्रम	16	180
प्रबंधन समिति सदस्यों का प्रशिक्षण	28	570
पीएंडआई कार्यपालकों हेतु प्रशिक्षण	21	358
उत्पादक संबंध प्रबंधन (पीआरएम) पर नए पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण	9	144
व्यवसाय एवं उत्पादक संबंधी प्रबंधन (पीआरएम) पर प्रशिक्षुकों को प्रशिक्षण	1	10
डेरी सहकारिता सेवा परामर्शदाता हेतु कौशल संवर्धन कार्यक्रम	8	196
कुल	**194**	**5,219**
ख. उत्पादकता वृद्धि		
इनाफ पर प्रशिक्षण	50	1,355
एएचओ पर प्रशिक्षण	1	27
पशु चिकित्सा अधिकारियों हेतु कस्टमाइज्ड कार्यक्रम	2	38
चारा उत्पादन एवं संरक्षण पद्धतियाँ	1	35
एमसीपीपी के तहत परियोजना प्रभारियों का प्रशिक्षण	1	21
कृत्रिम गर्भाधान (बेसिक)	18	479
कृत्रिम गर्भाधान (पुनश्चर्या)	6	166
जानकार व्यक्ति प्रशिक्षण	94	2273
डेरी पशु प्रबंधन	50	1,494
कुल	**223**	**5,888**
ग. गुणवत्ता आश्वासन		
स्वच्छ दूध उत्पादन, डेरी उपकरणों का संचालन एवं रख-रखाव	4	112
गुणवत्ता एवं खाद्य सुरक्षा मापदंड	35	828
प्रसंस्करण और उत्पाद निर्माण	1	23
उपयोगिता संचालन एवं रख-रखाव	9	114
व्यावसायिक स्वास्थ्य और सुरक्षा आकलन विनिर्देश	1	17
डेरी सहकारी समितियों में लागत में कमी और ऊर्जा प्रबंधन	2	65
चारा, दूध और दुग्ध उतपादों का विश्लेषण	1	5
पशु आहार के विश्लेषण पर प्रशिक्षण	1	1
चारा विश्लेषण पर प्रशिक्षण	1	19
दूध विश्लेषण पर प्रशिक्षण	1	23
कुल	**56**	**1,207**
घ.क्षेत्रीय विश्लेषण एवं अध्ययन		
इंटरनेट पर आधारित डेरी सूचना प्रणाली (आई-डीआईएस)	26	117
जीआईएस प्रशिक्षण	1	21
कुल	**27**	**138**
ड. सूचना एवं संचार प्रौद्दिगिकी		
एएमसीएस प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन	2	40
एसएसएमएस नियोजन - अंतिम प्रयोक्ता प्रशिक्षण	20	160
कुल	**22**	**200**
च. एनडीपी प्रशिक्षण		
विश्व बैंक की प्राप्ति प्रक्रिया पर अभिमुखन	1	16
इनाफ पर प्रशिक्षण	1	65
पशु प्रजनन एवं प्रबंधन पर फील्ड स्टाफ का प्रशिक्षण	2	50
पीटी परियोजनाओं के लिए जीपीएस पर आधारित एसडब्ल्यूएस प्रशिक्षण	2	109
स्थानीय जानकार व्यक्तियों हेतु अभिमुखन कार्यक्रम	27	636
वैज्ञानिक पशु प्रबंधन पद्धति	15	336
कुल	**48**	**1,212**
छ. दूध संघों के कार्मिकों हेतु अन्य प्रशिक्षण		
उपलब्धि प्रेरणा	3	55
दुग्ध विपणन	5	79
प्रबंधन उत्कृष्टता पर प्रशिक्षण	2	32
कनिष्ठ सचिवालय सहायक के लिए डेरी सहकारिता पर अध्ययन यात्रा	2	63
मधुमक्खीपालन प्रशिक्षण	2	25
कुल	**14**	**254**
कुल योग	**584**	**14,118**

जनशक्ति का विकास

वर्ष के दौरान एनडीडीबी कर्मचारियों और डेरी सहकारिताओं एवं उत्पादक कंपनियों के लिए प्रमुख मानव संसाधन विकास पहल आयोजित की गईं। यह पहल मानव संसाधन के विकास में निवेश के माध्यम से संस्थागत क्षमता के निर्माण पर केंद्रित थीं।

ग्रामीण प्रबंधन पर एक्ज़िक्यूटिव (कार्यपालक) स्नातकोत्तर डिप्लोमा का शुभारंभ

एनडीडीबी ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद में 15 माह के ग्रामीण प्रबंधन में एक्ज़िक्यूटिव (कार्यपालक) स्नातकोत्तर डिप्लोमा (पीजीडीएमएक्स (आर)) को सहयोग एवं बढ़ावा दिया। यह कार्यक्रम प्रतिभागियों को चुनौतीपूर्ण नेतृत्वकारी भूमिकाओं के लिए तैयार करने में सहायक होगा, जिनका वर्तमान में अधिकांश डेरी सहकारिताएं सामना कर रही हैं।

एनडीपी I के अंतर्गत एचआरडी की पहल

डेरी सहकारिता और उत्पादक संस्थानों में मानव संसाधन की आवश्यकताओं एवं एचआर में कमियों तथा मानव संसाधन के विकास में सहयोग देने से संबंधित आगामी कार्यक्रमों का आकलन करने के लिए एनडीडीबी ने एनडीपी I के अंतर्गत 'डेरी सहकारिताओं में एचआर की आवश्यकता का मूल्यांकन' पर अध्ययन की शुरूआत की। यह अध्ययन इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद द्वारा संचालित किया गया। 'डेरी सहकारिताओं/ उत्पादक संस्थानों में मानव संसाधन विकास और प्रबंधन प्रणालियों का सुदृढ़ीकरण' पर एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें इस अध्ययन के निष्कर्ष साझा किए गए। एचआरडी संस्थागत प्रदर्शन को कैसे प्रभावित करता है इस बारे में एचआरडी क्षेत्र के विशेषज्ञों को अपने अनुभवों/ विजन को साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। एनडीडीबी ने डेरी सहकारिताओं/ उत्पादक संस्थानों में एचआर अधिकारियों के लिए संदर्भ सामग्री के रूप में उपयोगी 'डेरी सहकारिताओं में एचआरडी' पर एक पुस्तिका का भी विमोचन किया। इस कार्यशाला में 42 डेरी सहकारिताओं/ उत्पादक संस्थाओं के 67 प्रबंध निदेशक/सीईओ और एनडीडीबी के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। इसके अलावा, संस्थागत प्रदर्शन में सुधार लाने के लिए एचआरडी के महत्व को समझने और एचआरडी विभागों को स्थापित करने में सहयोग देने के लिए, डेरी सहकारिताओं/उत्पादक संस्थाओं के एचआरडी प्रमुखों/अधिकारियों के लिए चार एचआरडी सुविधाकार प्रशिक्षण आयोजित किए गए।

एनडीडीबी ने इंस्टीट्यूट ऑफ रूरल मैनेजमेंट, आणंद में डेरी सहकारिताओं, उत्पादक कंपनियों, डीएडीएफ और एनडीडीबी के 70 वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों के लिए 21 दिवसीय दो सामान्य व्यवसाय प्रबंधन कार्यक्रम (जीबीएमपी) आयोजित किए। जीबीएमपी का उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन, विपणन प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन, परियोजना प्रबंधन, संचालन प्रबंधन, कार्यनीति प्रबंधन और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नेतृत्वकारी पदों पर वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों को समग्र समझ उपलब्ध कराना था। दोनों कार्यक्रमों को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली।

डेरी सहकारिताओं और उत्पादक कंपनियों में विपणन एक महत्वपूर्ण गतिविधि के रूप में उभरा है। उपर्युक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए एनडीडीबी ने एनडीपी I के अंतर्गत विपणन प्रबंधकों के लिए 'विपणन' पर 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए तथा डेरी सहकारिताओं एवं उत्पादक संस्थाओं के सीईओ के लिए 'विपणन' पर दो कार्यशालाएँ आयोजित कीं। विपणन प्रबंधकों के लिए एनडीडीबी में 4 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए और भारतीय प्रबंधन संस्थान, बैंगलोर के वरिष्ठ शिक्षकों द्वारा इन्हें संचालित किया गया। सीईओ के लिए 'विपणन' पर 2 कार्यशालाओं का आयोजन आईआईएम, बैंगलोर में किया गया। उपर्युक्त सभी प्रशिक्षण/ कार्यशालाओं में डेरी सहकारिताओं एवं उत्पादक कंपनियों के कुल 102 विपणन प्रबंधकों तथा 40 सीईओ को प्रशिक्षण दिया गया।

एनडीडीबी कर्मचारियों के लिए एचआरडी की पहल

वर्ष के दौरान कर्मचारी विकास के माध्यम से संस्थागत क्षमता निर्माण एचआरडी की पहल का मुख्य केंद्र बना रहा। आंतरिक विशेष कार्यक्रमों के माध्यम से तथा देश के अंदर एवं बाहर प्रमुख संस्थानों में प्रशिक्षण कार्यक्रमों में प्रायोजन के माध्यम से एनडीडीबी कर्मचारियों को आवश्यकता पर आधारित कार्यात्मक एवं प्रबंधकीय/ व्यावहारिक प्रशिक्षण उपलब्ध कराया गया। गैर-डेरी अधिकारियों के लिए डेरी, उपलब्धि की प्रेरणा, प्रशिक्षकों के लिए प्रशिक्षण, प्रबंधन की बुनियादी बातें, प्रबंधकीय प्रभावशीलता, रचनात्मकता एवं नवीनता, नेतृत्व एवं संवाद कौशल का विकास जैसे प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रख्यात संस्थाओं/विशेषज्ञों के सहयोग से आयोजित किए गए। सभी कर्मचारी और कामगार 'भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास' पर आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए, जो आत्म-जागृति के माध्यम से पारस्परिक प्रभावशीलता को विकसित करने पर केंद्रित था। वर्ष के दौरान कुल 636 प्रशिक्षण नामांकन किए गए।

एनडीडीबी और इसके कर्मचारियों की शक्ति उनका आचरण है जो मूल्यों पर आधारित है तथा अत्यंत चुनौतीपूर्ण स्थितियों में भी लगातार प्रदर्शित होता रहा है। उन्हें अपने संस्थापक मूल्यों के प्रति फिर से समर्पित करने के लिए, जिनका पालन किया गया है और जिसे संजोया गया है, अध्यक्ष, एनडीडीबी ने 'एनडीडीबी मूल्य अभिलेख' का विमोचन किया, जिसमें एनडीडीबी के 5 प्रमुख मूल्यों अर्थात् सत्यनिष्ठा, विश्वसनीयता, प्रतिबद्धता, व्यावसायिकता और नवीनता को शामिल किया गया है। आधारभूत मूल्यों को प्रसारित करने के लिए संस्था के सभी कर्मचारियों के लिए अर्ध-दिवसीय कार्यशालाएं आयोजित की गईं। एनडीडीबी के ग्रुपों द्वारा, अपने स्वयं के कार्यक्षेत्र से संबद्ध प्रत्येक मूल्य के योग्य आचरण को दर्ज करते हुए एक ''एनडीडीबी मूल्य मार्गदर्शिका'' भी तैयार की गई है।

संस्थागत क्षमता निर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए एनडीडीबी के 12 अधिकारियों को मेंटरिंग कार्यक्रम में भेजा गया है और चार अधिकारियों को देश भर के दूध संघों के क्षेत्रीय ज्ञानार्जन कार्यक्रम में भेजा गया। इस वर्ष उन्नीस अधिकारियों को एनडीडीबी के भावी नेतृत्व विकास कार्यक्रम में शामिल किया गया है। वर्ष के दौरान, एनडीडीबी ने मानव संसाधनों की भर्ती के लिए दूध संघों को भी सहयोग दिया। वर्ष के दौरान 'अनुभव' नामक एक अन्य पहल की शुरूआत की गई, जिसके तहत एनडीडीबी के पूर्व-कर्मचारियों को वर्तमान कर्मचारियों के साथ अपने अनुभव साझा करने के लिए आमंत्रित किया गया था। इस संस्था में पठन-पाठन की संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए एनडीडीबी में 'मूल्य - जीवन का आधार' विषय पर 'पुस्तकालय परिक्रमा' नाम से पुस्तकालय दिवस मनाया गया। जीवन में मूल्यों के महत्व पर बल देने के लिए मूल्यों पर विभिन्न प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान अन्य महत्वपूर्ण कार्मिक भागीदारी पहल जैसे समकालीन विषयों पर व्याख्यान, पुस्तक समीक्षा और प्रेरणादायक वीडियो प्रस्तुति का आयोजन किया गया। वर्ष के दौरान, एनडीडीबी ने विभिन्न संस्थानों के 56 छात्रों के इंटर्नशिप के लिए सहयोग दिया, जिससे कि उन्हें अपने पाठ्यक्रम के एक भाग के रूप में मूल्यवान ऑन-द-जॉब शिक्षा प्राप्त करने में मदद मिल सके।

एनडीडीबी के कर्मचारियों का प्रशिक्षण

कार्यक्रम का नाम	कार्यक्रमों की संख्या	नामित	
		कुल	एससी/एसट
उपलब्धि प्रेरणा	1	25	7
प्रबंधन की बुनियादी बातें	1	27	9
प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	2	43	10
प्रबंधकीय प्रभावकारिता	1	30	6
आईएसओ/आईईसी 17025 :2017 का कार्यान्वयन	1	40	4
संवाद कौशल	1	30	6
रचनात्मकता एवं नवीनता	1	23	3
गैर-डेरी अधिकारियों के लिए डेरी	1	24	2
नेतृत्व विकास	1	21	2
भावनात्मक बुद्धिमत्ता का विकास	5	134	26
समय प्रबंधन	1	46	6
अन्य कार्यक्रम (प्रमुख प्रशिक्षण संस्थानों पर कर्मचारियों का प्रायोजित प्रशिक्षण)	-	193	16
कुल		**636**	**97**

विपणन प्रबंधकों के लिए 'विपणन' पर कार्यशाला

अभियांत्रिकी परियोजनाएं

एनडीडीबी देश भर में डेरी सहकारिताओं को परियोजनाओं के निष्पादन के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान करती है, जिनमें नए प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा डेरी एवं पशु आहार संयंत्रों के लिए मौजूदा सुविधाओं का विस्तार करना शामिल है। जैव सुरक्षा प्रयोगशालाओं, पशु टीका उत्पादन सुविधाओं, पशु प्रयोग सुविधाओं और हिमिकृत वीर्य केंद्रों के लिए योजना बनाने, उन्हें क्रियान्वित और सत्यापित करने के लिए भी सेवाएं निरंतर प्रदान की जा रही हैं। कार्यदक्षता में सुधार लाने, खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने और उत्पाद हैंडलिंग में होने वाले नुकसान को कम करने के लिए एनडीडीबी बुनियादी ढांचे के नवीनीकरण और विकास के लिए वर्तमान संयंत्रों पर अध्ययन आयोजित भी करती है।

डीआईडीएफ के अंतर्गत ₹ 4437.48 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 19 दूध संघों के परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी रूप से मूल्यांकित कर पास किया गया।

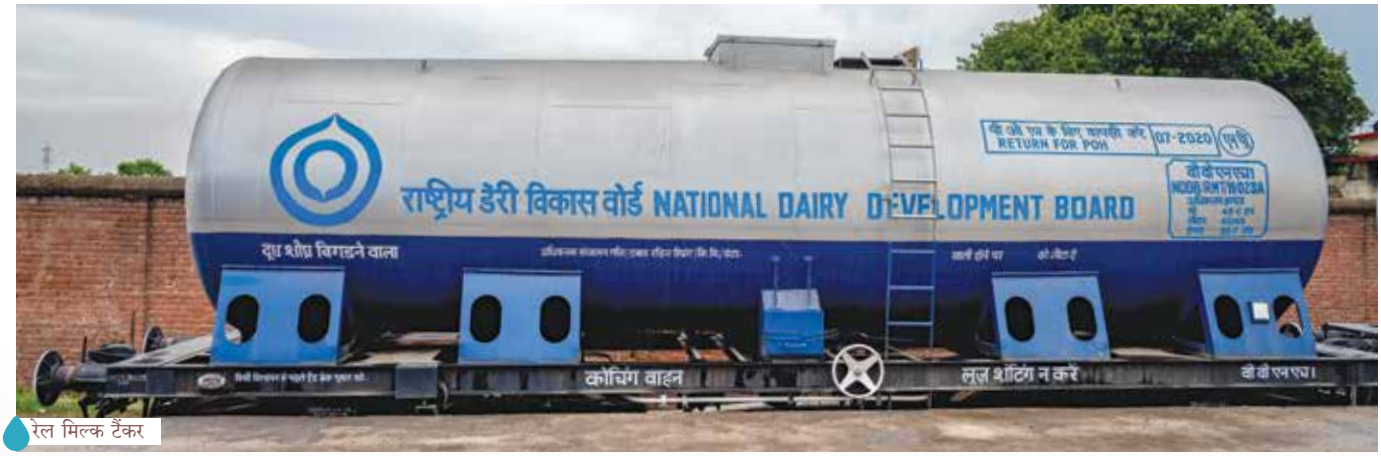

रेल मिल्क टैंकर

वर्ष के दौरान आठ परियोजनाएं पूरी की गईं। इनमें साबरकांठा (गुजरात) में 10 लालीप्रदि के तरल दूध संयंत्र के साथ 120 मीटप्रदि का पूर्णतः स्वचालित पाउडर संयंत्र, जयपुर (राजस्थान) में 10 लालीप्रदि का डेरी संयंत्र, मोहाली (पंजाब) में 370 हलीप्रदि का किण्वित उत्पाद संयंत्र, शोलिंगानल्लूर, चेन्नई (तमिलनाडु) में स्वचालित 100 हलीप्रदि का यूएचटी संयंत्र, उडुपी (कर्नाटक) में 250 हलीप्रदि का स्वचालित डेरी संयंत्र, तनुवास, चेन्नई (तमिलनाडु) में एक बीएसएल3 प्रयोगशाला और लघु पशु परीक्षण सुविधा तथा इरमा, आणंद (गुजरात) में एक नया शैक्षणिक ब्लॉक और कार्यपालक छात्रावास शामिल हैं।

उपर्युक्त के अलावा, एनडीडीबी ने एनडीपी-I के अंतर्गत, वीर्य केंद्र परियोजनाओं के गुणवत्ता आश्वासन और गुणवत्ता नियंत्रण पर सात रिपोर्टों का सत्यापन भी पूरा किया। एनडीडीबी ने झारखंड दूध महासंघ के लिए होटवार (रांची) में गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशाला और पीसीडीएफ के लिए उत्तर प्रदेश में 15 एंकर लैब की स्थापना की है।

एनडीडीबी ने दूध संघों और महासंघों के लिए डेरी और पशु चारा संयंत्र स्थापित करने हेतु ऊर्जा-दक्ष और अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी उपलब्ध कराने पर बल देना निरंतर जारी रखा। मौजूदा संयंत्रों की क्षमता में सुधार लाने के लिए डेरी संयंत्रों के बुनियादी ढांचे पर अध्ययन किए गए और आवश्यक पूंजी निवेश और मूल्य के अनुमान के साथ सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए संबंधित दूध संघों को संस्तुतियां दी गईं।

वर्ष के दौरान शामिल किए गए डेरी संयंत्रों की ऊर्जा दक्षता में सुधार एवं विस्तार से संबंधित व्यवहार्यता अध्ययन में उज्जैन (मध्य प्रदेश), हैदराबाद (तेलंगाना) और पुणे (महाराष्ट्र) में स्थित तीन डेरी संयंत्र शामिल थे।

डीआईडीएफ (डेरी बुनियादी ढांचा विकास निधि) के अंतर्गत ₹ 4437.48 करोड़ की अनुमानित लागत के साथ 19 दूध संघों के परियोजना प्रस्तावों को तकनीकी रूप से मूल्यांकित कर पास किया गया।

BOSCH
MD–06

निष्पादित प्रमुख परियोजनाओं की निम्नलिखित मुख्य विशेषताएं हैं:

साबरकांठा (गुजरात) में 10 लालीप्रदि के तरल दूध सयंत्र के साथ 120 मीटप्रदि का शिशु आहार पाउडर संयंत्र

एनडीडीबी ने मार्च 2019 में 10 लालीप्रदि के तरल दूध संयंत्र के साथ 120 मीटप्रदि के शिशु आहार पाउडर संयंत्र को चालू किया। इस पाउडर संयंत्र की डिजाइनिंग स्किम्ड दूध पाउडर, संपूर्ण दूध पाउडर और डेरी व्हाइटनर के उत्पादन के लिए भी की गई है।

संयंत्र की खास विशेषताएं हैं: बैग हाउस बायपास, नमी के विश्लेषण के लिए उन्नत उपकरणों के उपयोग द्वारा एपीसी (अग्रिम भावी नियंत्रण), इवेपोरेटर पर कुल ठोस माप के लिए ऑनलाइन मीटर तथा कंडेनसेट के पुन: उपयोग के लिए एक्टिवेटेड कार्बन फिल्टर एवं मल्टी ग्रेड फिल्टर द्वारा प्री-ट्रीटमेंट/ प्री-फिल्ट्रेशन।

जयपुर में 10 लालीप्रदि की क्षमता का स्वचालित डेरी संयंत्र

पैकेजिंग सुविधा युक्त पूर्णतः स्वचालित तरल दूध संयंत्र अक्तूबर 2018 में चालू किया गया था। इस संयंत्र में छाछ (2 लालीप्रदि), मक्खन (2400 किग्रा/घंटा), घी (8 मीटप्रदि) और आइसक्रीम (5 किलोलीटर/पाली) के उत्पादन की भी सुविधा है।

थर्मोफिलक कंटीन्यूअस स्टिरर्ड टैंक रिएक्टर (टीसीएसटीआर) पर आधारित अनोरोबिक स्लज (अवायवीय मलबा) डाइजेस्टर को जयपुर डेरी में ईटीपी स्लज (प्राथमिक डीएएफ स्लज और द्वितीयक एरोबिक स्लज) के उपचार के लिए योजना बना कर डिज़ाइन किया गया है और यह वर्तमान में निष्पादन के अधीन है।

उडुपी में स्वचालित डेरी संयंत्र

एनडीडीबी ने उडुपी में 250 हलीप्रदि के पूर्णतः स्वचालित तरल दूध संयंत्र को चालू किया। इस संयंत्र का उद्घाटन जनवरी 2019 में किया गया था।

हरित ऊर्जा पहल:

एकीकृत सौर ऊष्मा (सीएसटी): नीतिगत तौर पर, एनडीडीबी द्वारा शुरू की गई सभी नई परियोजनाओं में सीएसटी प्रणाली अंतर्निहित घटक के रूप में समाहित होगी। उडुपी, कटराज - पुणे, भुवनेश्वर और झारखंड में परियोजनाएं विचाराधीन हैं।

सौर फोटोवोल्टेयिक प्रणाली: सौर पीवी पैनल और घटकों के मूल्य में गिरावट आने के बाद, एनडीडीबी डेरी परियोजनाओं में भूमि अथवा छत (रूफटॉप) पर लगाए जाने वाले सोलर पीवी की

दूध प्राप्ति डॉक, झारखंड दूध महासंघ

स्थापना करने की संभावना को तलाशेगी। एरिलो-गोविंदपुर, ओडिशा में स्वचालित डेरी और पाउडर संयंत्र में भूमि पर स्थापित 400 केडब्ल्यूपी सौर पीवी प्रणाली और हिमिकृत वीर्य केंद्र, पूर्णिया, बिहार में 200 केडब्ल्यूपी रूफटाप की स्थापना पर परियोजना रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। भविष्य में, ग्रिड पावर पर निर्भरता में कमी लाने के लिए अजमेर डेरी की परियोजनाओं में सौर पीवी प्रणाली स्थापित करने की एनडीडीबी की योजना है। एनडीडीबी ने सिनेर में प्रस्तावित नई डेरी के लिए 165 केडब्ल्यूपी सोलर पीवी प्रणाली से संबंधित परियोजना रिपोर्ट का मूल्यांकन किया है।

बीएमसी के लिए ग्राम स्तरीय एसपीवी

एनडीडीबी ने पिछले वर्ष मुजकुवा में ग्राम स्तरीय बल्क मिल्क कूलर के संवर्धन के लिए पांच किलोवाट की सौर फोटोवोल्टिक प्रणाली तथा थर्मल स्टोरेज प्रणाली स्थापित की है। ग्रिड से न जुड़े बीएमसी के लिए, पूरे भारत में इस प्रणाली को इस्तेमाल में लाने हेतु ढांचा विकसित करने के लिए एनडीडीबी एमएनआरई के साथ काम कर रही है।

हरित भवन पहल

हरित भवन के लिए निर्धारित मानकों का पालन करने वाली इमारतें अजमेर डेरी में निर्माणाधीन हैं। हरित भवन के दीर्घकालिक लाभ से सालाना 30-40 प्रतिशत ऊर्जा की बचत, 20-30 प्रतिशत पानी की बचत और कम परिवर्तनशील जैविक यौगिकों के उपयोग द्वारा ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में कमी लाने में योगदान दे सकता है।

500 किमी के दायरे में 75 प्रतिशत निर्माण सामग्री की आपूर्ति कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने में सहायक है और इसके द्वारा ग्लोबल वार्मिंग (भूमंडलीय तापक्रम वृद्धि) में कमी लाने में योगदान दिया जा रहा है।

एनडीडीबी ने अजमेर डेरी को हरित भवन के रूप में परिकल्पित कर विकसित किया है। यह भारत में पहली हरित डेरी होगी।

जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाएं

एनडीडीबी सरकारी संस्थानों जैसे आईसीएआर, पशुपालन विभाग इत्यादि के लिए जैव-सुरक्षा प्रयोगशालाओं (बीएसएल2 एवं बीएसएल3), स्वच्छ कक्ष, पशु परीक्षण सुविधाओं, क्यूए-क्यूसी प्रयोगशालाओं, बायो-फार्मा इकाइयों, टीका निर्माण सुविधाओं इत्यादि की संकल्पना, योजना और निष्पादन से संबंधित परामर्श सेवाएँ प्रदान करती है।

एनडीडीबी के पास बहुत जटिल जैव-सुरक्षा नियंत्रण सुविधाओं को डिजाइन और निष्पादित करने की क्षमता है। पूरे विश्व में बीएसएल3+ और उच्च स्तरीय प्रयोगशालाओं की सीमित जैव-नियंत्रण सुविधाएं उपलब्ध हैं। एनडीडीबी ने हाल ही में आईसीएआर के लिए ओडिशा, भुवनेश्वर में एशिया की सबसे बड़ी जैव नियंत्रण (बीएसएल3) प्रयोगशाला को निर्मित कर चालू किया है। जैव नियंत्रण (बीएसएल3 एजी) से संबंधित एक नई बड़ी पशु प्रयोग सुविधा की योजना भी आईसीएआर द्वारा एनडीडीबी को सौंपी गई है।

निम्नानुसार प्रमुख जैव-सुरक्षा एवं विशेष परियोजनाएं संचालित हैं:

1. तमिलनाडु पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय (तनुवास), चेन्नई में एक बीएसएल3 प्रयोगशाला तथा लघु पशु परीक्षण सुविधा (एलएटीयू) की स्थापना।

2. पशुपालन और पशुचिकित्सा सेवाएं विभाग, तमिलनाडु सरकार के लिए निम्नलिखित परियोजनाओं का निष्पादन:
   - एंथ्रेक्स स्पोर टीका उत्पादन, जीएमपी मानक और क्यूए/क्यूसी प्रयोगशाला (जीएलपी मानक) से युक्त ब्लेंडिंग और फिलिंग की सुविधा तथा आईवीपीएम रानीपेट, तमिलनाडु में लघु पशु परीक्षण की सुविधा
   - पल्लाडम, तमिलनाडु में मुर्गी निदान एवं आहार जल विश्लेषण प्रयोगशाला (जीएलपी मानक)
   - बिहार सरकार के लिए पूर्णिया, बिहार में 50 लाख डोज/वर्ष उत्पादन क्षमता का अत्याधुनिक वीर्य केंद्र।

3. पूरे उत्तर प्रदेश में 15 डेरियों के लिए गुणवत्ता नियंत्रण (क्यूसी) प्रयोगशालाओं की स्थापना। प्रयोगशाला उपकरण की आपूर्ति और स्थापना का कार्य प्रगति पर है।

चालू परियोजनाएं

परियोजना	क्षमता	स्थान
उत्तरी क्षेत्र		
ऐस्प्टिक पैकिंग केंद्र	200 हलीप्रदि	बस्सी पठाना, पंजाब
तरल दूध संयंत्र एवं बटर संयंत्र	900 हलीप्रदि एलएमपी एवं 10 टप्रदि बटर	लुधियाना पंजाब
पश्चिमी क्षेत्र		
पाउडर संयंत्र के साथ डेरी एवं उत्पाद संयंत्र	30 टप्रदि पीपी एवं 1,000 हलीप्रदि तरल दूध संयंत्र	अजमेर, राजस्थान
डेरी संयंत्र विस्तार चरण-।।	(मक्खन गहन प्रशीतन, एफ्लूयूएंट ट्रीटमेंट संयंत्र इत्यादि)	कोल्हापुर, महाराष्ट्र
नया डेरी संयंत्र	500 हलीप्रदि	जलगांव, महाराष्ट्र
नया उत्पाद संयंत्र	40 हलीप्रदि	जलगांव, महाराष्ट्र
डेरी विस्तार एवं नया उतपाद ब्लॉक	200 - 300 हलीप्रदि तरल दूध संयंत्र	पुणे, महाराष्ट्र
पशु आहार संयंत्र विस्तार	300 - 450 टप्रदि	कोल्हापुर, महाराष्ट्र
पशु आहार संयंत्र	नवीनीकरण, सीएफपी एवं नए कार्पोरेट कार्यालय भवन का नवीनीकरण	राजकोट, गुजरात
केंद्रीय क्षेत्र		
डेरी संयंत्र	40 हलीप्रदि	सेंधवा, मध्य प्रदेश
डेरी संयंत्र विस्तार	20 - 100 हलीप्रदि	सागर, मध्य प्रदेश
दक्षिणी क्षेत्र		
आइसक्रीम संयंत्र	30 हलीप्रदि	मदुरै, तमिलनाडु
अल्ट्रा हीट ट्रीटमेंट प्लांट (टेट्राब्रिक पैकिंग)	25 हलीप्रदि	मदुरै, तमिलनाडु
एंथ्रेक्स स्पोर टीका उत्पादन सुविधा	जीएमपी - 70 लाख डोज़/प्रतिवर्ष	आईवीपीएम, रानीपेट, तमिलनाडु
क्यूए एवं क्यूसी प्रयोगशाला तथा लघु पशु परीक्षण सुविधा (बीएसएल3)		आईवीपीएम, रानीपेट, तमिलनाडु
मुर्गी रोग निदान सुविधा	आहार एवं जल परीक्षण	पल्लाडम, तमिलनाडु
पूर्वी क्षेत्र		
स्वचालित डेरी एवं दूध पाउडर संयंत्र	500 हलीप्रदि एवं 20 टप्रदि	एरिलो-गोविंदपुर, ओडिशा
हिमीकृत वीर्य केंद्र	50 लाख डोज़/प्रतिवर्ष	पुर्णिया, बिहार
डेरी संयंत्र	50 हलीप्रदि	देवघर, झारखंड
डेरी संयंत्र	50 हलीप्रदि	साहिबगंज, झारखंड
डेरी संयंत्र	50 हलीप्रदि	पलामू, झारखंड
उत्पाद संयंत्र	10 हलीप्रदि	होटवार, झारखंड
संकलन परियोजनाएं		
पीसीडीएफ की 15 एंकर यूनिट के लिए क्यूसी प्रयोगशाला की स्थापना हेतु गुणवत्ता आश्वासन प्रयोगशाला उपकरण	-	उत्तर प्रदेश में 15 डेरियां

हलीप्रदि - हजार लीटर प्रतिदिन **टप्रदि** - टन प्रतिदिन **पीपी** - पाउडर संयंत्र **लीप्रदि** - लीटर प्रतिदिन

राष्ट्रीय डेरी योजना

विश्व बैंक (आईडीए) की सहायता प्राप्त केंद्रीय क्षेत्र योजना, राष्ट्रीय डेरी योजना चरण I (एनडीपी–I) का क्रियान्वयन राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड द्वारा 172 अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों के नेटवर्क के माध्यम से 18 प्रमुख दूध उत्पादक राज्यों में किया गया है। 2011-12 से 2018-19 की अवधि तक क्रियान्वयन वाली परियोजना ने दुधारू पशुओं की उत्पादकता वृद्धि से संबंधित अपने परियोजना विकास के लक्ष्यों को हासिल करने और इसके जरिए दूध उत्पादन में वृद्धि करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिससे कि दूध की तेजी से बढ़ती मांग को पूरा करने साथ – साथ ग्रामीण दूध उत्पादकों को संगठित दूध प्रसंस्करण क्षेत्र की बेहतर पहुंच उपलब्ध कराई जा सके।

एनडीपी–I छोटे धारक दूध उत्पादकों की आजीविका में सुधार लाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और साथ ही साथ डेरी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में सहयोग दे रहा है।

डेरी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण

उपयुक्त नीतिगत और विनियामक उपायों द्वारा समर्थित केंद्रित वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यवस्थित प्रक्रियाओं को अपनाना एनडीपी–I की विशिष्टता रही है। एनडीपी–I के अंतर्गत संचालित पहल की बहु–आयामी श्रृंखला में उच्च आनुवांशिक गुण (एचजीएम) वाले गायों एवं भैंसों का उत्पादन; 'ए' और 'बी' श्रेणी के वीर्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण; व्यवहार्य घर–पहुंच एआई डिलीवरी सेवाओं के लिए प्रायोगिक मॉडल; आहार संतुलन कार्यक्रम; चारा विकास कार्यक्रम; गाँव स्तरीय दूध संकलन प्रणाली का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण और परियोजना प्रबंधन एवं अध्ययन शामिल हैं।

विश्व बैंक के कार्यान्वयन सहायता समीक्षा मिशन द्वारा इस परियोजना को परियोजना विकास के लक्ष्यों के साथ–साथ परियोजना के सभी घटकों अर्थात उत्पादकता वृद्धि, दूध संकलन एवं थोक खरीद और परियोजना प्रबंधन एवं अध्ययन के क्रियान्वयन में हुई प्रगति के लिए संतोषजनक पाया गया है।

एनडीपी–I छोटे धारक दूध उत्पादकों की आजीविका में सुधार लाने में बहुत बड़ा योगदान दे रहा है और साथ ही साथ डेरी के माध्यम से महिला सशक्तिकरण में सहयोग दे रहा है। बाह्य निगरानी और मूल्यांकन एजेंसियों द्वारा किए गए अध्ययनों से इसकी पुष्टि की गई है।

उप परियोजना अनुमोदन

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 58.99 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ 31 उप परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया था। मार्च 2019 तक, ₹ 1752.98 करोड़ की अनुदान सहायता के साथ 18 राज्यों में 172 ईआईए की 561 उप परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित उप परियोजनाओं में परियोजना प्रबंधन और अध्ययन गतिविधियों की 82 उप परियोजनाएं शामिल हैं। वर्ष 2018-19 के दौरान गतिविधि वार अनुमोदित उप परियोजनाओं और मार्च 2019 तक संचयी विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

गतिविधि	अनुमोदित उप परियोजनाओं की संख्या		राशि ₹10 लाख में अनुमोदित उप परियोजनाओं में अनुदान सहायता	
	2018-19 के दौरान	मार्च 2019 तक संचित	2018-19 के दौरान	मार्च 2019 तक संचित
पशु प्रजनन	**3**	**65**	**226.85**	**6,685.09**
सांड़ उत्पादन कार्यक्रम	3	33	226.86	2,922.55
वीर्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण	0	28	0.00	2,989.70
प्रायोगिक ए आई डिलीवरी सेवाएं	0	4	0.00	772.84
पशु पोषण	**2**	**169**	**28.00**	**3,024.95**
राशन संतुलन कार्यक्रम	0	117	0.00	2,337.09
चारा विकास	2	52	28.00	687.86
गांव आधारित दूध प्राप्ति प्रणाली	14	245	185.70	6,890.39
उप योग	**19**	**479**	**440.56**	**16,600.44**
परियोजना प्रबंधन एवं अध्ययन	12	82	149.43	929.40
कुल	**31**	**561**	**589.99**	**17,529.84**

एनडीपी-I के आरंभ में परिकल्पित गतिविधियों को संचालित करने के अलावा, डेरी उत्पादकता वृद्धि एवं प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के संदर्भ में कई नई/अभिनव गतिविधियों को नई एवं उदीयमान प्रौद्योगिकियों की संकल्पना-प्रमाण का परीक्षण करने के लिए भी अनुमोदित किया गया है। 2018-19 के दौरान, परियोजना संचालन समिति द्वारा गांव में खाद प्रबंधन हेतु 1000 फ्लेक्सी बायो गैस संयंत्रों के साथ-साथ बायो गैस की पाइप लाइन आपूर्ति के लिए सामुदायिक बायो गैस संयंत्र को अनुमोदित किया गया।

2018-19 के दौरान अनुमोदित राज्य वार उप परियोजनाओं और मार्च 2019 तक संचयी का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

गतिविधि	अनुमोदित उप परियोजनाओं की संख्या		राशि ₹10 लाख में अनुमोदित उप परियोजनाओं में अनुदान सहायता	
	2018-19 के दौरान	मार्च 2019 तक संचित	2018-19 के दौरान	मार्च 2019 तक संचित
आंध्र प्रदेश	02	20	46.28	795.26
बिहार	02	32	28.00	610.39
छत्तीसगढ़	00	04	0.00	110.26
गुजरात	04	61	53.23	3,517.26
हरियाणा	01	25	5.18	643.17
झारखंड	00	02	0.00	46.83
कर्नाटक	02	50	16.70	1,670.68
केरल	01	17	3.47	429.79
मध्य प्रदेश	00	16	0.00	214.61
महाराष्ट्र	02	49	9.87	1,154.43
ओडिशा	00	22	0.00	264.87
पंजाब	01	33	7.73	1,117.96
राजस्थान	01	42	9.45	2,178.72
तमिलनाडु	00	29	0.00	1,072.50
तेलंगाना	01	11	38.65	243.14
उत्तर प्रदेश	00	29	0.00	1,509.41
उत्तराखंड	00	07	0.00	195.49
पश्चिम बंगाल	00	26	0.00	419.90
केंद्रीकृत	02	04	222.00	405.77
उप योग	**19**	**479**	**440.56**	**16,600.44**
परियोजना प्रबंधन तथा अध्ययन	**12**	**82**	**149.43**	**929.40**
योग	**31**	**561**	**589.99**	**17,529.84**

गाय एवं भैंस के उच्च आनुवंशिक गुण वाले सांड़ों का उत्पादन

एनडीपी I के अंतर्गत विभिन्न पशु प्रजनन गतिविधियां जैसे संतति परीक्षण कार्यक्रम, वंशावली चयन कार्यक्रम, सांड़ों/भ्रूणों का आयात और आयातित भ्रूणों के माध्यम से सांड़ों का उत्पादन चलाई जा रही हैं जिससे कि उच्च गुणवत्ता के रोगमुक्त वीर्य डोजों के उत्पादन हेतु विभिन्न नस्लों के रोगमुक्त उच्च आनुवंशिक गुण (एचजीएम) वाले सांड़ उपलब्ध हो सकें। इन उप परियोजनाओं ने देश भर के हिमिकृत वीर्य केंद्रों के लिए एचजीएम सांड़ों की वैकल्पिक आवश्यकता को पूरा करने में बहुत योगदान दिया है।

उत्पादकता वृद्धि घटक की गतिविधि वार प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका दिया गया है:

गतिविधि	विवरण	2018-19 तक का ईओपी लक्ष्य	मार्च 2019 तक वास्तविक
संतति परीक्षण कार्यक्रम	वितरण के लिए उपलब्ध कराए गए एचजीएम नर बछड़े (सं.)	2,026	2,112
	वितरित एचजीएम नर बछड़े (सं.)		1,607
वंशावली चयन कार्यक्रम	वितरण के लिए उपलब्ध कराए गए एचजीएम नर बछड़े (सं.)	501	248
	वितरित एचजीएम नर बछड़े (सं.)		193
वीर्य केंद्रों का सुदृढ़ीकरण	वीर्य उत्पादन (मिलियन डोज प्रतिवर्ष)	100.00	88.08
पॉयलेट एआई डिलीवरी सेवाएं	नियोजित एमएआईटी (सं.)	2,740	1,330
	शामिल गांव (सं.)	23,800	11,681
	वार्षिक निष्पादित एआई (लाख)	38.20	7.83

संचयी रूप से मार्च 2019 तक, ₹ **1752.98** करोड़ की अनुदान सहायता के साथ **18** राज्यों में **172** ईआईए की **561** उप परियोजनाओं को अनुमोदित किया गया है।

देशी भैंस की नस्लों का संरक्षण

उन्नत चारा किस्मों को बढ़ावा देना

पशु पोषण घटक

इस परियोजना के अंतर्गत पशु पोषण घटक गतिविधियां जैसे आहार संतुलन कार्यक्रम और चारा विकास क्रियान्वित किए जा रहे हैं।

आहार संतुलन कार्यक्रम (आरबीपी) के अंतर्गत, आहार संतुलन कार्यक्रम के माध्यम से दुधारू पशुओं को संतुलित आहार खिलाने से प्रतिदिन प्रति पशु दूध उत्पादन में वृद्धि और आहार खिलाने के औसत मूल्य में भी कमी होने से दूध उत्पादक लाभान्वित हुए हैं। आरबीपी के अंतर्गत, स्थानीय जानकार व्यक्ति (एलआरपी) 'पशु उत्पादकता एवं स्वास्थ्य के लिए सूचना नेटवर्क (इनाफ)' सॉफ्टवेयर का उपयोग करके स्थानीय तौर पर उपलब्ध आहार संसाधनों से दुधारू पशुओं के लिए कम लागत वाला संतुलित आहार तैयार करते हैं।

इसके अलावा, चारा विकास कार्यक्रम के अंतर्गत, चारे के उत्पादन को बढ़ाने के लिए प्रमाणित/सत्यतापूर्वक लेबल लगे चारा बीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। किसानों के बीच इन प्रौद्योगिकियों को लोकप्रिय बनाने और इन्हें अपनाने को बढ़ावा देने के लिए मावर्स, साइलेज निर्माण और बायोमास भंडारण साइलो के क्षेत्र प्रदर्शन आयोजित किए गए।

पशु पोषण घटक की गतिविधि वार प्रगति का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित तालिका दिया गया है:

गतिविधि	विवरण	2018-19 तक का ईओपी लक्ष्य	मार्च 2019 तक वास्तविक
आहार संतुलन कार्यक्रम	शामिल गांव (सं.)	39,008	33,268
	शामिल दुधारू पशु (लाख में)	28,00,000	28,43,313
	नियोजित किए गए एलआरपी (सं.)	29,008	31,007
चारा विकास कार्यक्रम	चारा बीज उत्पादन सहयोग (मी टन)		12,203.93
	किसानों को चारा बीज बिक्री में सहयोग (मी. टन)		29,676.80
	साइलेज निर्माण प्रदर्शन (सं.)	1,050	2,256
	प्रदर्शन हेतु मावर्स की खरीद (सं.)	280	667
	निर्मित बायोमास बंकर साइलो (सं.)	35	118

ग्राम आधारित दूध संकलन प्रणाली

एनडीपी I के अंतर्गत उत्पादक कंपनियों के गठन एवं और सुदृढ़ीकरण से ग्राम आधारित दूध संकलन प्रणाली (वीबीएमपीएस) ग्रामीण दूध उत्पादकों को डेरी सहकारिताओं को संगठित दूध-प्रसंस्करण क्षेत्र की व्यापक पहुंच उपलब्ध करा रही है। इस गतिविधि के तहत नई समितियों/पूलिंग प्वाइंट का गठन किया जा रहा है और ग्राम स्तर पर पूंजीगत वस्तुएं जैसे बल्क मिल्क कूलर, स्वचालित दूध संकलन इकाइयों (एएमसीयू), आंकड़ा प्रसंस्करण पर आधारित दूध संकलन इकाई (डीपीएमसीयू), दूध के कैन इत्यादि उपलब्ध कराके वर्तमान समितियों/पूलिंग प्वाइंट का सुदृढ़ीकरण किया जा रहा है। जहाँ डीपीएमसीयू एवं एएमसीयू की स्थापना के परिणामस्वरूप दूध संकलन की प्रकिया में पारदर्शिता और निष्पक्षता बढ़ी है, वहीं बीएमसी की स्थापना से किसानों को दूध देने में सुविधा हुई है तथा दूध की गुणवत्ता में सुधार हुआ है। इन सभी गतिविधियों का सीधा संबंध किसानों की आय में वृद्धि करने तथा उन्हें दूध की निष्पक्ष एवं पारदर्शी व्यवस्था उपलब्ध कराना और कच्चे दूध की गुणवत्ता में सुधार लाना है।

वीबीएमपीएस घटक के अंतर्गत हुई प्रगति का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है:

गतिविधि	विवरण	2018-19 तक का ईओपी लक्ष्य	मार्च 2019 तक वास्तविक
गांव आधारित दूध संकलन प्रणाली	शामिल गांव (सं.)	31,900	45,996
	अतिरिक्त दूध उत्पादक पंजीकृत (सं.)	12,60,000	15,70,813
	उनमें से, महिलाएं (सं.)	4,62,000	6,87,273
	उनमें से, छोटे धारक (सं.)	8,20,000	10,53,492
	अतिरिक्त दूध का संकलन (हकिग्राप्रदि)		5,900.59
	बल्क मिल्क कूलर (सं.)		3,908
	एएमसीयू/डीपीएमसीयू (सं.)		27,701

ग्राम स्तर पर दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करना

परियोजना प्रबंधन एवं अध्ययन

परियोजना प्रबंधन एवं अध्ययन की गतिविधियों में एकीकरण, निगरानी, विश्लेषण और रिपोर्टिंग के लिए आईसीटी पर आधारित सूचना प्रबंधन प्रणाली स्थापित की गई है, जिससे कि विभिन्न ईआईए के बीच परियोजना गतिविधियों का प्रभावी समन्वय हो और अध्ययन और मूल्यांकन को सुगम बनाया जा सके। एनडीपी-I की निगरानी और मूल्यांकन के लिए आंतरिक और बाह्य दोनों निगरानी और मूल्यांकन प्रणालियां कार्यरत हैं।

विभिन्न परियोजना घटकों के क्रियान्वयन में हुई प्रगति को ट्रैक करने, समस्याओं के उत्पन्न होते ही उनकी पहचान करने, परियोजना के निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कार्रवाई के संबंध में मार्गदर्शन देने तथा परियोजना के प्रभाव का मूल्यांकन करने में परियोजना प्रबंधन और अध्ययन (पीएमएंडएल) का विशेष महत्व रहा है। बाह्य एमएंडई का क्रियान्वयन बाह्य एजेंसियों/सलाहकारों द्वारा किया जा रहा है।

एनडीपी-I की संपूर्ण अवधि के लिए एनडीपी-I की बाह्य निगरानी एवं मूल्यांकन का कार्य वर्ष 2012 से विकास अनुसंधान तथा सेवाएं (प्रा.) लि., नई दिल्ली द्वारा किया जा रहा है। अंत अवधि सर्वेक्षण जारी है और बाह्य निगरानी और मूल्यांकन एजेंसी द्वारा जून 2019 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी। वार्षिक दौर IV के अध्ययन (मूल्यांकन वर्ष 2017-18) के प्रमुख निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

- परियोजना क्षेत्र में गायों और भैंसों के औसत दूध का उत्पादन आधारभूत वर्ष 2012-13 के दौरान 5.03 लीटर प्रतिदिन से बढ़कर लगभग 6.09 लीटर प्रतिदिन हो गया।
- आधारभूत वर्ष 2012-13 के दौरान परियोजना क्षेत्र में वयस्क मादा पशुओं के प्रति 'दूध देने वाली' मादा पशुओं का अनुपात 63 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 68 प्रतिशत हो गया।
- दूध के उत्पादन एवं दूध की बिक्री दोनों में हुई वृद्धि के संबंध में आधारभूत वर्ष 2012-13 के दौरान परियोजना क्षेत्र में कुल दूध उत्पादन के प्रति दूध की बिक्री का अनुपात 65 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 67 प्रतिशत हो गया।
- आधारभूत वर्ष 2012-13 के दौरान परियोजना क्षेत्र में संगठित क्षेत्र (उत्पादन शेयर के रूप में) को बेचे गए दूध का शेयर 45 प्रतिशत से बढ़कर 73 प्रतिशत हो गया।

वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, एनडीपी-I के तहत दो अंतर्राष्ट्रीय ज्ञानार्जन दौरे (एक्सपोज़र विजिट)/प्रशिक्षण आयोजित किए गए:

- ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में आयोजित 'पशु प्रजनन एवं पशु स्वास्थ्य गतिविधियों के विदेश प्रशिक्षण व ज्ञानार्जन दौरे' में 25 अधिकारियों ने भाग लिया।
- मिशिगन स्टेट यूनिवर्सिटी, यूएसए में आयोजित 'डेरी उत्पादन में प्रगति, प्रसंस्करण एवं विपणन कार्यक्रम में प्रशिक्षण कार्यक्रम' में 21 अधिकारियों ने भाग लिया।

प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण

राष्ट्रीय डेरी योजना चरण I (एनडीपी-I) के अंतर्गत गतिविधियों के समयोचित और कुशल क्रियान्वयन हेतु उच्च गुणवत्ता वाले जनशक्ति का विकास करने से संबंधित कई मानव संसाधन पहल और आवश्यक प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं, जिससे कि डेरी क्षेत्र में हो रहे लगातार बदलाव को प्रबंधित किया जा सके।

एनडीपी-I के अंतर्गत, एनडीडीबी तथा अंतिम कार्यान्वयन एजेंसी, दोनों के द्वारा, दूध उत्पादकों, संघ के अधिकारियों, ग्रामीण जानकार व्यक्तियों और संघ के बोर्ड सदस्यों के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं।

नई प्रक्रिया एवं प्रोद्यौगिकियों को अपनाने के लिए प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण

वर्ष 2018-19 के दौरान, एनडीडीबी और ईआईए द्वारा आयोजित कार्यक्रमों में 4.3 लाख प्रतिभागियों को प्रशिक्षित/अभिमुखित किया गया है। संचयी रूप से, 22.2 लाख प्रतिभागियों को एनडीपी-I के अंतर्गत प्रशिक्षित/अभिमुखित किया गया है। एनडीपी-I के अंतर्गत, एनडीडीबी द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का विवरण निम्नलिखित तालिका में दिया गया है:

एनडीडीबी द्वारा घटक वार एनडीपी-I प्रशिक्षण

गतिविधि/प्रशिक्षण कार्यक्रम	घटक	प्रतिभागियों की श्रेणी	उपलब्धि (अप्रैल 2012 से मार्च 2019 तक)
कृषक प्रेरण*	*वीबीएमपीएस-सहकारिताएं*	दूध उत्पादक	28,695
कृषक अभिमुखन*			16,886
बोर्ड अभिमुखन		बोर्ड के सदस्य	1,235
व्यवसाय प्रशस्ति			2,014
प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण		कार्यपालक	305
नए पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण			843
उप-योग			**49,978**
आरबीपी पर तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण	*आहार संतुलन कार्यक्रम -सहकारिताएं*	कार्यपालक	332
प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण			75
आरबीपी पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण			82
उप-योग			**489**
आरबीपी पर तकनीकी अधिकारियों का प्रशिक्षण	आहर संतुलन कार्यक्रम - कार्यक्रम समन्वयक	कार्यपालक	114
प्रशिक्षकों के प्रशिक्षण पर पुनश्चर्या प्रशिक्षण			15
आरबीपी पर सूचना प्रौद्योगिकी का प्रशिक्षण			7
उप-योग			**136**
चारा उत्पादन एवं संरक्षण पद्धतियां	चारा विकास-सहकारिताएं	कार्यपालक	280
उप-योग			**280**
चारा उत्पादन एवं संरक्षण पद्धतियां	चारा विकास - कार्यक्रम समन्वयक	कार्यपालक	48
उप-योग			**48**
एआईओ पर अभिमुखन/पुनश्चर्या	संतति परीक्षण	कार्यपालक	45
परियोजना समन्वयकों को अभिमुखन/पुनश्चर्या			22
जिला समन्वयकों को अभिमुखन/पुनश्चर्या			71
बछड़ा पालन इंचार्ज को अभिमुखन/पुनश्चर्या			22
उप-योग			**160**
परियोजना समन्वयकों को अभिमुखन/पुनश्चर्या	वंशावली चयन	कार्यपालक	16
क्षेत्रीय समन्वयकों को अभिमुखन/पुनश्चर्या			11
उप-योग			**27**
कुल			**51,118**

*ईआईए द्वारा आयोजित प्रशिक्षण उपलब्धि में शामिल हैं

डेरी के माध्यम से किसानों की आजीविका को स्थायित्व प्रदान करना तथा आय प्राप्ति में सहायता देना

पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन

एनडीपी-I के अंतर्गत गतिविधियों को क्रियान्वित करने के दौरान, सभी गतिविधियों में महिलाओं, छोटे धारकों और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की भागीदारी बढ़ाने तथा दीर्घकालिक डेरी गतिविधियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कई सामाजिक समावेश और पर्यावरण शमन के उपाय किए गए। इनमें से संचालित कुछ प्रमुख गतिविधियाँ में निम्नलिखित शामिल हैं:

- एनडीडीबी में एनडीपी-I के प्रशिक्षण में ईएंडएस अभिमुखन का सत्र: 2018-19 में, एनडीडीबी, आणंद में एनडीपी-I के अंतर्गत उप परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले ईआई के 13 प्रशिक्षणों में पर्यावरण और सामाजिक प्रबंधन दोनों पर 26 सत्रों का आयोजन किया गया।
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रौद्योगिकी: पशु अपशिष्ट से उत्पन्न नवीकरणीय ऊर्जा के प्रभावी उपयोग को प्रदर्शित करने के लिए एनडीपी-I के अंतर्गत 21 वीर्य केंद्रों को बायोगैस संयंत्रों के लिए वित्त पोषित किया गया है। उत्पादित बायो-गैस का उपयोग बिजली उत्पादन के लिए किया जाता है जिसका उपयोग मार्गों, सांड़ शाला को प्रकाशित करने, पंखे और पानी के पम्पसेट चलाने इत्यादि के लिए किया जाता है, वहीं स्लरी (घोल) और अवशिष्ट गोबर का उपयोग वर्मी-कंपोस्ट और खाद बनाने के लिए किया जाता है अथवा सिंचाई के पानी के साथ मिलाकर चारे के खेतों में इसका प्रत्यक्ष उपयोग किया जाता है। मार्च 2019 तक, 20 बायोगैस संयंत्रों की कमिशिनिंग की गई है।

  इनके अलावा, एनडीपी-I से प्राप्त 50 प्रतिशत अनुदान सहायता के साथ एनडीपी-I के अंतर्गत 1000 फ्लेक्सी बायोगैस यूनिट उपलब्ध कराए गए हैं।
- **सौर ऊर्जा:** प्रायोगिक आधार पर एनडीपी-I के अंतर्गत शामिल किए गए 125 दूध संघों/ उत्पादक कंपनियों के लिए रूफटॉप सौर पीवी प्रणाली के साथ बैटरी बैकअप एवं इन्वर्टर उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे कि बिजली गुल होने की स्थिति में डीसीएस/एमपीआई/ एमपीपी के संचालन में बिजली की अबाधित आपूर्ति हो सके।
- पायस दूध उत्पादक कंपनी, राजस्थान ने एनडीपी-I के अंतर्गत गठित सभी दूध पूलिंग प्वाइंटों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित की हैं। डीपीएमसीयू जैसे दूध परीक्षण उपकरणों के प्रचालन तथा पखें एवं बिजली इत्यादि के लिए सौर ऊर्जा को उपयोग में लाया जा रहा है। इससे सुदूर स्थलों पर स्थित समितियों में दूध संकलन संचालन हेतु बिजली की अनियमित आपूर्ति पर निर्भरता को कम करने में मदद मिली है।

दूध की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए कोल्ड चेन को बनाए रखना

- एनडीपी-I के अंतर्गत सभी वीर्य केंद्रों में जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन प्रणालियां (या तो स्वयं अथवा बाह्य एजेंसियों की सहायता से) स्थापित हैं और जैव-चिकित्सा से उत्पन्न अपशिष्ट के उचित प्रबंधन पर कर्मचारियों और श्रमिकों के लिए प्रशिक्षण भी आयोजित किया गया है। 20 वीर्य केंद्रों ने पहले से ही जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 का पालन किया है और अलग-अलग किए गए कचरे को इकट्ठा करने और उसका सुरक्षित निपटान करने के लिए सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं (सीबीएमडब्ल्यूटीएफ) के साथ एक अनुबंध किया है।
- **सफलता की कहानियों का सार-संग्रह:** एनडीपी-I के अंतर्गत सफलता की कहानियों का संकलन (मिशन मिल्क क्रॉनिकल) का त्रैमासिक प्रकाशन किया जा रहा है और इसे एनडीपी-I के अंतर्गत सभी शामिल दूध संघों/ उत्पादक कंपनियों सहित डीएडीएफ (भारत सरकार) और विश्व बैंक इत्यादि सभी हितधारकों को भेजा जा रहा है। इस प्रकाशन का मुख्य उद्देश्य एनडीपी-I की गतिविधियों को क्रियान्वित करने वाले व्यक्तियों को और ईआईए द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को मान्यता देना है और एनडीपी-I की उप परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाले विभिन्न संस्थाओं के साथ इसे साझा करना है जिससे एनडीपी-I से आंतरिक एवं भागीदार राज्यों में परस्पर अध्ययन को बढ़ाया जा सके।
- **समान कार्य योजना (इक्विटी एक्शन प्लान):** विश्व बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार सामाजिक एकीकरण को बढ़ावा देने और एनडीपी-I के अंतर्गत कार्यान्वित की जा रही उप परियोजनाओं में सामाजिक समानता सुनिश्चित करने के लिए समान कार्य योजना (ईएपी) तैयार की गई है। ईएपी एक मार्गदर्शक दस्तावेज है, जिसे एनडीपी-I के पर्यावरणीय और सामाजिक प्रबंधन ढांचे (ईएसएमएफ) के अनुरूप तैयार किया गया है।

वित्तीय प्रबंधन

वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 324.91 करोड़ की राशि डीएडीएफ से प्राप्त की गई है और ₹ 360.49 करोड़ की राशि वितरित की गई है। संचयी रूप से मार्च 2019 तक, एनडीपी-I के क्रियान्वयन के लिए डीएडीएफ से एनडीडीबी को राशि ₹ 1,760 करोड़ प्राप्त हुई और ईआईए को ₹ 1,633.26 करोड़ अग्रिम राशि के रूप में तथा केंद्रीकृत गतिविधियों पर खर्च के लिए वितरित किए गए हैं।

मार्च 2019 तक, कुल निधि उपयोगिता ₹ 1,773.50 करोड़ है, जिसमें से राशि ₹ 1,449.11 करोड़ एनडीपी-I का अनुदान है और राशि ₹ 324.39 करोड़ वीबीएमपीएस उप परियोजनाओं को क्रियान्वित करने वाली ईआईए का योगदान है। वित्त वर्ष 2018-19 के दौरान, दिसम्बर तक, निधि उपयोगिता ₹ 426.72 करोड़ रही है, जिसमें से राशि ₹ 321.10 करोड़ एनडीपी-I का अनुदान और राशि ₹ 105.61 करोड़ ईआईए का योगदान है।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए एनडीपी-I की लेखा परीक्षा पूरी हो गई है और लेखा परीक्षकों ने कोई प्रतिकूल टिप्पणी नहीं की है। लेखा एवं लेखा परीक्षा की रिपोर्ट को विश्व बैंक के साथ साझा किया गया है।

पशुधन एवं आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केंद्र

पशुधन एवं आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केंद्र (काफ) दूध और दूध उत्पादों के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) की एक अधिसूचित संदर्भ प्रयोगशाला है तथा यह भारतीय मानक ब्यूरो और भारतीय निर्यात निरीक्षण परिषद द्वारा भी मान्यता प्राप्त है।

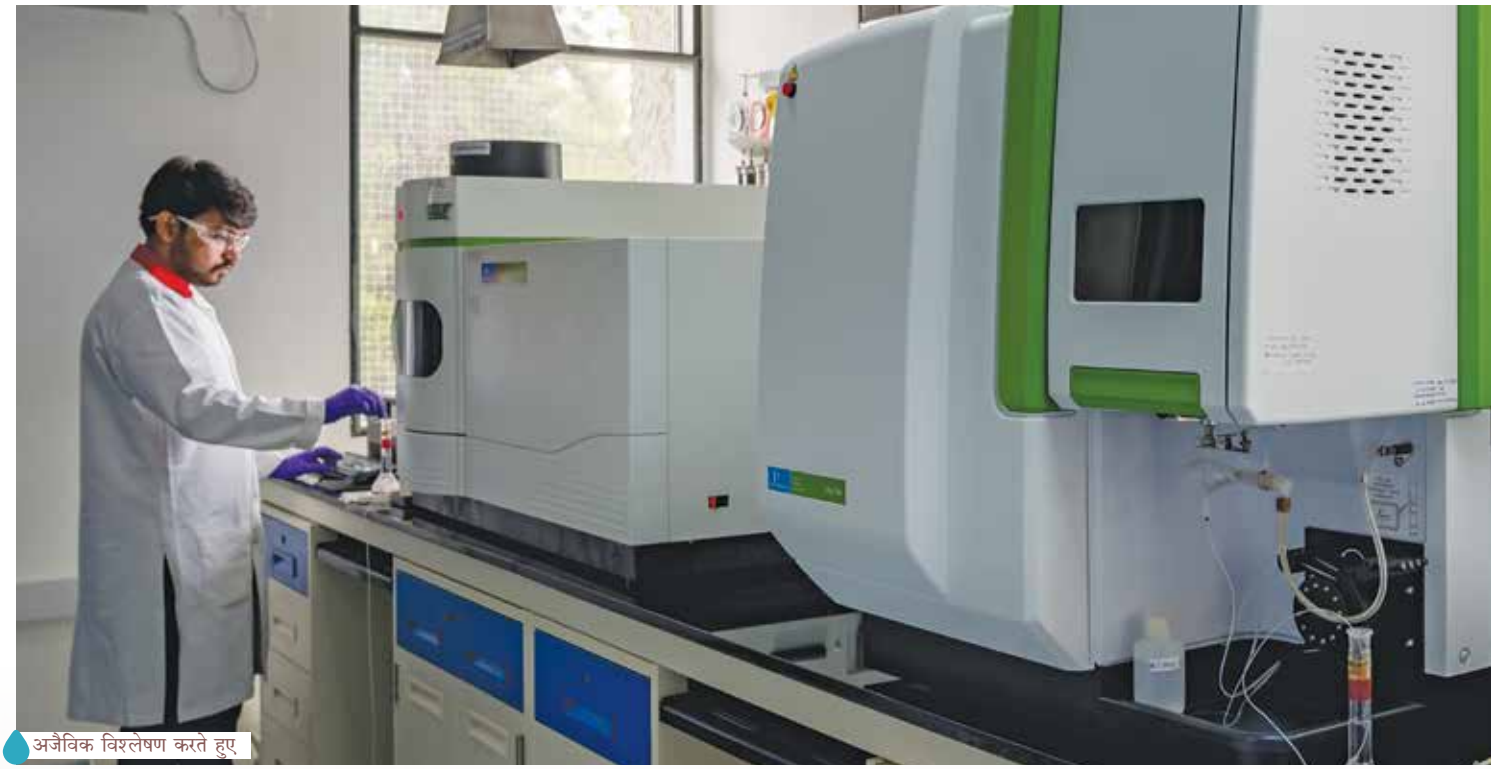

अजैविक विश्लेषण करते हुए

इस प्रयोगशाला को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशशोधन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड (एनएबीएल) द्वारा आईएसओ 17025 की मान्यता प्राप्त है, जिसमें विभिन्न उत्पादों के रासायनिक, सूक्ष्म जैविक एवं आनुवांशिकी के क्षेत्र का परीक्षण किया जाना शामिल है। प्रयोगशाला को 2018 में निर्यात निरीक्षण परिषद से मान्यता प्राप्त हुई, जिसमें दूध की अवशेष निगरानी योजना (आरएमपी) के अनुसार विभिन्न उत्पादों का परीक्षण किया जाना शामिल है।

काफ डेरी और अन्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विभिन्न क्षेत्रों के लिए विश्लेषणात्मक सेवाएं प्रदान करता है। काफ के डेरी उत्पादों, आहार, फलों और सब्जियों, पानी, पशु आहार सामग्रियों, तेल एवं फैट तथा पशु आनुवंशिकी के लिए विविध प्रकार की विश्वसनीय और सटीक विश्लेषणात्मक परीक्षण सेवाएं प्रदान करता है। काफ अनुसंधान और विकास, क्षमता निर्माण में राष्ट्रीय विनियामक निकायों, अकादमिक संस्थाओं एवं उद्योगों को सहयोग देता है तथा राष्ट्रीय विनियामक निकायों के साथ मिलकर काम करता है।

2018-19 के दौरान, प्रयोगशाला को लगभग 41,000 सैंपल प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक हैं। इन सैंपलों में, प्रयोगशाला ने आहार और दूध उत्पादों, आहार और आनुवांशिकी विश्लेषण की श्रेणी में लगभग 4.53 लाख परीक्षण किए। 2017-18 की तुलना में 2018-19 में दूध, दूध उत्पादों और खाद्य सैंपलों की संख्या में लगभग 3 गुना वृद्धि हुई है और परीक्षण मापदंडों की संख्या में चार गुना वृद्धि हुई है।

पिछले कुछ वर्षों के दौरान, प्रमुख आयातक देशों जैसे ईयू (यूरोपीय संघ) और यूएस (अमेरिका) के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में शहद की प्रामाणिकता एक मुद्दा बन गया है।

एनडीडीबी राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड के सहयोग से परीक्षण में प्रामाणिकता के लिए अत्याधुनिक शहद परीक्षण प्रयोगशाला स्थापित कर रही है। इस प्रकार की सुविधा से देश में विश्व स्तरीय प्रामाणिक शहद परीक्षण क्षमता विकसित होगी और उपभोक्ता के विश्वास को बढ़ावा मिलेगा।

प्रयोगशाला को लगभग 41,000 सैंपल प्राप्त हुए, जो पिछले वर्ष की तुलना में 12 प्रतिशत अधिक हैं।

स्वचालित रैपिड माइक्रोबियल गणना तकनीक

प्रयोगशाला घरेलू और निर्यात विनियमों को पूरा करने के लिए मधुमक्खी से जुड़ी सहकारिताओं को सहयोग देगी। प्रयोगशाला सहकारी समितियों को उनके कच्चे माल की जाँच करने और निर्मित उत्पाद को सफल बनाने में सहयोग देगी और इस प्रकार शहद व्यवसाय में सहयोग देने से संबंधित विनियामक अनुपालन सुनिश्चित होगा। यह सुविधा राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड से जुड़े सभी किसानों को रियायती दरों पर उपलब्ध होगी।

इसके अलावा, 2018 में पैकेज्ड पीने का पानी, पोषक आहार, फलों एवं सब्जियों और साइलेज जैसे विभिन्न उत्पादों के कार्यक्षेत्र में वृद्धि के लिए कई नए विकास किए गए हैं। वर्ष के दौरान बी-कॉम्प्लेक्स विटामिनों, कीटनाशक अवशेषों, एंटीबायोटिक अवशेषों के विश्लेषण के साथ-साथ संघटकात्मक विश्लेषण के लिए कई नई पद्धतियां स्थापित की गईं।

- प्रयोगशाला ने भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) के साथ मिलकर काम किया और दूध फोर्टिफिकेशन, पद्धतियों के मूल्यांकन तथा वैज्ञानिक सुझाव उपलब्ध कराने हेतु प्रशिक्षण के आयोजन में सहयोग दिया।

- प्रयोगशाला ने डेरी सहकारी समितियों के गुणवत्ता नियंत्रण अधिकारियों के लिए दो प्रशिक्षण कार्यक्रम भी आयोजित किए। इन कार्यक्रमों में 25 सहकारिताओं और संघों के 42 अधिकारियों ने भागीदारी की।

- काफ गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान राज्यों में फार्म स्तर पर सब्जियों के परीक्षण के लिए राष्ट्रीय स्तर की परियोजना में कीटनाशक अवशेषों से संबंधित आईसीएआर की निगरानी (एमपीआरएनएल) के एक भाग के रूप में 200 सब्जियों के सैंपल/माह संकलित कर उनका विश्लेषण कर रहा है। इन सैंपलों का एलसीएमएस/एमएस/और जीसीएमएस/एमएस द्वारा लगभग 170 कीटनाशकों के लिए परीक्षण किया जाता है।

- प्रयोगशाला सटीक विश्लेषणात्मक परिणाम सुनिश्चित करने के लिए कठोर गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम का पालन करती है। गुणवत्ता नियंत्रण आंकड़ों की विश्लेषण के विभिन्न चरणों में निरंतर निगरानी की जाती है। 2018-19 में प्रयोगशाला ने 17 प्रवीणता परीक्षण (पीटी) कार्यक्रमों में सफलतापूर्वक भागीदारी की और सफलता प्राप्त की है। गुणवत्ता नियंत्रण कार्यक्रम और प्रयोगशाला की योग्यता का प्रभावी क्रियान्वयन प्रदर्शित होता है।

अन्य गतिविधियाँ

हिंदी का प्रगामी प्रयोग

राजभाषा कार्यान्वयन के सराहनीय प्रयासों को महत्व देते हुए एनडीडीबी को वर्ष 2017-18 के लिए ख क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार – तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

दैनिक कार्यालयी काम-काज में हिंदी के प्रगामी प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्ष के दौरान केंद्रित प्रयास किए गए। एनडीडीबी की वार्षिक रिपोर्ट, संसदीय स्थायी समिति (पीएससी) की रिपोर्ट, एनडीडीबी वेबसाइट सामग्री, प्रशिक्षण सामग्री, पॉवर प्वाइंट प्रस्तुतियाँ और अन्य दस्तावेज हिंदी में तैयार किए गए। इसके अलावा, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी किए गए 2018-19 के वार्षिक कार्यक्रम में निर्दिष्ट लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ठोस कदम उठाए गए।

कार्यालय के काम-काज में हिंदी के प्रयोग में तेजी लाने के लिए, सभी एनडीडीबी कार्यालयों में सितंबर 2018 के दौरान हिंदी पखवाड़े का आयोजन किया गया था। हिंदी दिवस पर एक प्रसिद्ध हिंदी विद्वान के व्याख्यान के अलावा, हिंदी के प्रयोग में वृद्धि के लिए वर्ष के दौरान हिंदी आशु निबंध लेखन, अनुवाद, सामान्य ज्ञान और कविता पाठ जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। इन प्रतियोगिताओं में बड़ी संख्या में कर्मचारियों ने भाग लिया और नकद पुरस्कार के रूप में राशि ₹ 85,900/- वितरित की गई।

राजभाषा कार्यान्वयन के सराहनीय प्रयासों को मान्यता देते हुए एनडीडीबी को वर्ष 2017-18 के लिए ख क्षेत्र में राजभाषा कीर्ति पुरस्कार – तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। एनडीडीबी ने यह पुरस्कार भारत के माननीय उपराष्ट्रपति से 14 सितम्बर 2018 को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में प्राप्त किया।

एनडीडीबी ने कार्यालयी काम-काज में हिंदी को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न प्रोत्साहन योजनाएं शुरू की है। ऐसी ही एक योजना है, हिंदी टिप्पण एवं आलेखन प्रोत्साहन योजना। इस योजना में 48 कर्मचारियों ने भाग लिया और कर्मचारियों को नकद प्रोत्साहन राशि ₹ 1,37,000/- दी गई। 11 कार्मिकों को, जिनके बच्चों ने कक्षा 10वीं और 12वीं की परीक्षा में हिंदी में 75 प्रतिशत और उससे अधिक अंक प्राप्त किए, प्रत्येक को ₹ 2000/- का नकद पुरस्कार दिया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान, एनडीडीबी, आणंद नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास) आणंद, से संबद्ध रही और इसकी पहली छमाही वार्षिक बैठक में सक्रिय सहभागिता की। फरवरी 2019 के दौरान, हिंदी सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और इसमें बड़ी संख्या में एनडीडीबी कर्मचारियों के साथ-साथ नराकास, आणंद के सदस्यों ने भी भाग लिया था।

कर्मचारियों को माइक्रोसॉफ्ट हिंदी वर्तनीजांचक और वाइस टाइपिंग उपकरण पर प्रशिक्षण दिया गया। इसके अतिरिक्त, हिंदी में काम-काज के प्रति कर्मचारियों की झिझक-संकोच को दूर करने के लिए हिंदी टिप्पण एवं आलेखन पर कार्यशाला भी आयोजित की गई। मेट्रो कार्यालयों में हिंदी की प्रगति की निगरानी के लिए, वर्ष के दौरान एनडीडीबी कार्यालय, मुंबई का निरीक्षण किया गया।

एनडीडीबी पुस्तकालय में बड़ी संख्या में हिंदी में पुस्तकें उपलब्ध हैं। वर्ष के दौरान, लगभग राशि

हिंदी दिवस के दौरान पुरस्कार वितरण

अंबेडकर जयंती का आयोजन

₹ 87,369/- की हिंदी पुस्तकें पुस्तकालय में खरीदी गईं।

सभी राष्ट्रीय कार्यक्रम अर्थात् गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस, गांधी जयंती, शास्त्री जयंती और डॉ. अम्बेडकर जयंती इत्यदि का हिंदी में आयोजन किया गया।

एससी/एसटी कर्मचारियों का कल्याण

वर्ष के दौरान, एससी/एसटी कर्मचारियों को कार्यात्मक और व्यवहारिक प्रशिक्षण में उनकी योग्यता और आत्म-विकास पर केंद्रित प्रशिक्षण अयोजित किए गए। आठ एससी/एसटी अधिकारियों को एनडीडीबी के भावी नेतृत्व विकास कार्यक्रम में भी नामांकित किया गया है जिससे कि उन्हें भविष्य में लीडर के रूप विकसित किया जा सके। कुल 97 एससी/एसटी कर्मचारियों को प्रशिक्षण में नामांकित किया गया। वर्ष के दौरान एससी/एसटी कर्मचारियों के लिए कल्याणकारी उपाय भी सतत जारी रहे। एससी/एसटी कर्मचारियों के मेधावी बच्चों को उनकी शैक्षणिक उपलब्धियों के लिए नकद पुरस्कार और प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया। शैक्षिक अभिमुखन को बढ़ावा देने के लिए एससी/एसटी कर्मचारियों को उनके बच्चों की शिक्षा के साथ-साथ पुस्तकों पर होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति की गई।

डॉ. बीआर अम्बेडकर के सम्मान में एनडीडीबी के सभी कार्यालयों में अम्बेडकर जयंती मनाई गई। डॉ. अंबेडकर के जीवन और उपलब्धियों पर अपने विचार साझा करने के लिए प्रतिष्ठित वक्ताओं को आमंत्रित किया गया।

सहायक कंपनियां

बल्क मिल्क कूलरों की निर्माण सुविधा

आईडीएमसी लिमिटेड

आईडीएमसी 1992 से राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है, जो अपने ग्राहकों को डेरी, पशु आहार, दवा, पेय और ऊष्मीय (थर्मल) प्रबंधन के क्षेत्रों में प्रसंस्करण और पैकेजिंग समाधान उपलब्ध कराती है।

वर्ष के दौरान, आईडीएमसी ने डेरी क्षेत्र में कई परियोजनाओं को सफलतापूर्वक निष्पादित कर उनकी कमिशनिंग की। उनमें से प्रमुख हैं, दस लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता वाली एक डेरी परियोजना की आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण और कमिशनिंग जिसमें तरल दूध का प्रसंस्करण और उत्पाद जैसे घी, मक्खन और किण्वित दूध उत्पाद का उत्पादन किया जाता है, दो लाख लीटर प्रतिदिन की क्षमता का एक पूर्ण स्वचालित किण्वित उत्पाद संयंत्र, एसेप्टिक पाउच भरने वाला एक यूएचटी प्रसंस्करण उपकरण, दो पूर्णतः स्वचालित मक्खन निर्माण लाइन तथा 50 किलो लीटर प्रति घंटा (केएलपीएच) का एक आरओ आधारित दूध कंसंट्रेशन (सांद्रता) संयंत्र शामिल हैं।

आईडीएमसी ने कई प्रकार के प्रसंस्करण उपकरण जैसे पाश्चुराइज़र, आइस-क्रीम फ्रीज़र, निरंतर मक्खन बनाने की मशीनें, सर्वो संचालित कप कोन भरने की मशीनें का निर्माण और उत्पादों जैसे दूध निकालने की मशीनें, बल्क मिल्क कूलर (बीएमसी), पम्प, वाल्व तथा फिटिंग निर्माण तथा आपूर्ति की। वर्ष के दौरान आईडीएमसी ने बीएमसी की बिक्री पर अपना जोर बनाए रखा और स्वदेशी तौर पर विकसित दूध निकालने वाली मशीनों का निर्माण किया। आईडीएमसी ने अपने बल्क मिल्क कूलरों का निर्यात भी किया।

ऊष्मीय प्रबंधन सेगमेंट के अंतर्गत, वर्ष के दौरान 180 टन प्रशीतन (टीआर) से 1,110 टीआर तक की क्षमता वाली कई पूर्णतः स्वचालित अमोनिया प्रशीतन प्रणालियों की कमिशनिंग की गई। इसके अलावा, आईडीएमसी ने 3,000 मेगा कैलोरी (एमसीएएल) की क्षमता वाले कई स्वदेशी निर्मित आइस साइलो की कमिशनिंग और आपूर्ति भी की। समान ऊष्मीय भंडारण प्रणाली (थर्मल स्टोरेज सिस्टम) के लिए आदेशित कार्य जारी है।

फार्मास्युटिकल सेगमेंट में कंपनी ने दो किण्वन लाइनों वाले एक संयंत्र की कमिशनिंग की, जिनमें प्रत्येक की क्षमता 30 केएलपीएच है। यह एंजाइम से संबंधित एंटीबायोटिकें के निर्माण का यह एक चरण है। कंपनी तरल एंटीबायोटिक के उत्पादन के लिए पूर्णतः स्वचालित निर्माण प्रणाली भी संचालित कर रही है।

आईडीएमसी के अनुसंधान और विकास विभाग ने नए उपकरण को विकसित करना निरंतर जारी रखा और उत्पादों एवं प्रक्रियाओं को अधिक कुशल और प्रतिस्पर्धी बनाने पर ध्यान केंद्रित किया। आईडीएमसी के हाल ही में विकसित यूएचटी दूध स्टरलाइज़र का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया है और इसका व्यावसायिक परिचालन आरंभ कर दिया गया है।

प्लास्टिक सेगमेंट तरल दूध और दूध उत्पादों जैसे घी, दही, छाछ के लिए पैकेजिंग फिल्म तथा दूध पाउडर और अन्य खाद्य पदार्थों के लिए हाई बैरियर लैमिनेट जैसे अपने उत्पादों द्वारा अपने वर्तमान ग्रहको की आवश्यकता को पूरा करता रहा। नए 3 लेयर और 7 लेयर ब्लोन फिल्म प्लांट की बढ़ी हुई उत्पादन क्षमता के साथ आईडीएमसी अब यूएचटी दूध और खाद्य तेल सेगमेंट के ग्राहकों की आवश्यकता को भी पूरा करती रही है तथा इस सेगमेंट में नए ग्राहक भी विकसित कर रही है।

2018-19 के लिए आईडीएमसी ने राशि ₹ 28.08 करोड़ के कर पूर्व लाभ के साथ कुल राजस्व ₹ 809.63 करोड़ की जानकारी दी।

इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड

इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की स्थापना राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा 1982 में की गई थी। इस इकाई को वर्ष 1999 में इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स के रूप में निगमित किया गया था।

वर्ष 2018-19 में, इंडियन इम्युनोलॉजिकल लिमिटेड (आईआईएल) ने ₹ 604.7 करोड़ का बिक्री कारोबार दर्ज किया। पिछले वर्ष की तुलना में आईआईएल ने 21 प्रतिशत की वृद्धि हासिल की। आईआईएल की संस्थाओं और सहकारिताओं के कारोबार ने 21 प्रतिशत वृद्धि हासिल कर राशि ₹ 319.6 करोड़ की बिक्री की। आईआईएल के मानव स्वास्थ्य खुदरा व्यवसाय ने 58 प्रतिशत की वृद्धि के साथ राशि ₹ 80.2 करोड़ की उच्च बिक्री हासिल की। निर्यात में 58 प्रतिशत तक की वृद्धि के साथ आईआईएल ने राशि ₹ 100.6 करोड़ की उच्च बिक्री हासिल की। पशु स्वास्थ्य खुदरा व्यवसाय ने सबसे अधिक राशि ₹ 87.5 करोड़ की बिक्री की।

आईआईएल देश में खुरपका एवं मुंहपका रोग (एफएमडी) के टीके का सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता है। आईआईएल ने देश में मानव एंटी रेबीज टीके के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ता के तौर पर भी स्वयं को स्थापित किया है। आईआईएल ने स्वास्थ्य मंत्रालय के वैश्विक प्रतिरक्षी कार्यक्रम (यूआईपी) को पेंटावैलेंट वैक्सीन की आपूर्ति करने की शुरूआत की है।

आईआईएल के डीएसआईआर अनुमोदित अनुसंधान और विकास केंद्र में कई रोमांचक कैंडीडेट टीकों का विकास कार्य प्रगति पर है। संक्रामक गोवंशीय राइनोट्रायकाइटिस (आईबीआर) के लिए एक जीन डिलेटेड मार्कर वैक्सीन विकसित की गई है और फील्ड परीक्षण बैचों के निर्माण के लिए परीक्षण लाइसेंस प्राप्त हुआ है। आईआईएल के क्लासिकल स्वाइन फीवर वैक्सीन का क्षेत्र परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हुआ है और डीएडीएफ से एनओसी प्राप्त किया गया है। हेपेटाइटिस ए टीके के लिए चरण 1 का नैदानिक परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा हो गया है। चरण 2/3 के नैदानिक परीक्षण बैच बनाए गए हैं और सीडीएल, कसौली से अनुमोदन प्रतीक्षित है। मीजल्स रूबेला (एमआर) काम्बिनेशन वैक्सीन के लिए पूर्व नैदानिक टॉक्सीकोलाजी (पीसीटी) का अध्ययन सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। एमआर टीके के लिए चरण 1 के नैदानिक परीक्षण आरंभ हो गए हैं। आईआईएल ने सिनोवैक से साबिन इंजेक्टेबल पोलियो एंटीजन की खरीद पूरी कर ली है और एक हेक्सावलेंट वैक्सीन विकसित करने के लिए फॉर्म्यूलेशन अध्ययन पूरा कर लिया है, जिसमें डीपीटी, हेपेटाइटिस बी, एचआईबी और एनएक्टिवेटेड पोलियो एंटीजन शामिल हैं। हेक्सावलेंट वैक्सीन के लिए 2019 में पीसीटी किया जाएगा। आईआईएल के डेंगू वैक्सीन के लिए पीसीटी अध्ययन प्रगति पर है।

आईआईएल किसान शिक्षा और जागरूकता कार्यक्रमों में अग्रणी है। कंपनी ने किसानों के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए देश के कई हिस्सों में आयोजित विभिन्न कृषि मेलों में सक्रिय रूप से भाग लिया है। अपने कॉरपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पहल के एक हिस्से के रूप में, आईआईएल, ने गौशालाओं में एक लाख से अधिक पशुओं को स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करना निरंतर जारी रखा है। आईआईएल ने एक सरकारी स्कूल (लक्ष्मापुर गाँव, मेडक जिला, तेलंगाना राज्य) को अपनाया है और छात्र कल्याण के लिए बुनियादी ढाँचा निर्मित किया है और उन्हें वर्दी, स्कूल बैग और नोटबुक भी प्रदान किए हैं। 'गिफ्ट मिल्क फॉर न्यूट्रीशन' के प्रायोजक होने के नाते, आईआईएल

आईआईएल में अत्याधुनिक निर्माण सुविधा

विभिन्न स्कूलों में छात्रों को प्रतिदिन फ्लेवर्ड दूध उपलब्ध कराता है।

मदर डेरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड

मदर डेरी फ्रूट एंड वेजिटेबल्स प्रा. लि. जिसे भारत सरकार की ओर से दिल्ली में तरल दूध की मांग को पूरा करने के लिए मदर डेरी, दिल्ली के रूप में 1974 में स्थापित किया गया था उसे वर्ष 2000 में प्रा. लि. कंपनी अर्थात मदर डेरी फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रा. लि. (एमडीएफवीपीएल) के रूप में निगमीकृत किया गया जो एनडीडीबी की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है। अपनी स्थापना के समय से ही एमडीएफवीपीएल 'किसानों और हमारे समाज के जीवन को समृद्ध बनाते हुए प्रत्येक भारतीय को दिलचस्प और स्वास्थ्यवर्धक उत्पादों के माध्यम से पोषण प्रदान करना' विजन को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर प्रयासरत है।

वर्ष 2018-19 में किसानों को अपनी पारिवारिक आय की वृद्धि में सहयोग देने के उद्देश्य से कंपनी ने वर्ष 2018-19 के दौरान 5,000 गांवों के 1.1 लाख किसानों से 9 लाकिग्राप्रदि दूध के संकलन के जरिए महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के क्षेत्रों में अपने दूध संकलन नेटवर्क को सुदृढ़ बनाया है।

2016 में महाराष्ट्र के सूखा प्रभावित मराठवाड़ा और विदर्भ क्षेत्रों में एमडीवीपीएल द्वारा शुरू की गई दूध संकलन गतिविधियां एक पूर्ण संचालित अभियान में परिणत हो गई हैं, जहां 2,246 गांवों में 52,000 किसानों द्वारा वार्षिक तौर पर औसतन 2.22 लाकिग्राप्रदि दूध संकलित किया जा रहा है। 2018-19 के दौरान इस क्षेत्र में किसानों को दूध के भुगतान के रूप में राशि ₹ 235.6 करोड़ दी गई।

एमडीएफवीपीएल की गतिविधि के तहत अपने भौगोलिक दायरे का विस्तार करने और नए क्षेत्रों से दूध संकलन को हैंडल करने के लिए, एमडीएफवीपीएल ने बिहार में मोतिहारी में 1 लाकिग्राप्रदि क्षमता के डेरी संयंत्र की कमिशनिंग की और नागपुर डेरी संयंत्र का नवीनीकरण किया तथा संयंत्र में ताजे डेरी उत्पादों की सुविधा भी शुरू की।

कंपनी ने अपने बागवानी विभाग के माध्यम से रांची में अपनी नई हिमिकृत और पल्प एफएंडवी सुविधा के माध्यम से बाजार की पहुंच उपलब्ध कराके अपने किसान को अल्पविकसित क्षेत्र से जोड़ने की शुरूआत की, जिससे कि झारखंड के किसानों को लाभकारी रूप से अपने कृषि उत्पाद की बिक्री में सहयोग मिल सके। कंपनी ने चरण-1 में 4,350 मीट्रिक टन की नई आधुनिक आईक्यूएफ प्रसंस्करण सुविधा की स्थापना की तथा 2018-19 के दौरान, रांची में 17,700 मीट्रिक टन की पल्प प्रसंस्करण सुविधा की कमिशनिंग की। दूसरा चरण इस क्षेत्र में क्षेत्र के टमाटर व आम उत्पादकों और अन्य फलों के उत्पादकों को बाजार की पहुंच उपलब्ध कराने में सहयोग देगा।

2018-19 में, कुल 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज करते हुए कंपनी ने ₹ 9,548.3 करोड़ का कारोबार किया, जो कि मुख्य तौर पर खाद्य तेल और घी के व्यवसाय में 21 प्रतिशत की वृद्धि और मूल्य वर्धित डेरी उत्पादों में 12 प्रतिशत की वृद्धि से हासिल हुआ है।

दूध व्यवसाय में पिछले वर्ष की तुलना में 5 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज हुई है। 2017-18 में शुरू किया गया गाय का दूध सबसे तेजी से बढ़ने वाला उत्पाद बन गया है, जिसने 2018-19 के दौरान 8.5 लालीप्रदि की बिक्री के साथ ₹ 1,000 करोड़ से अधिक के वार्षिक कारोबार के कारण इसे देश में गाय के दूध का सबसे बड़ा ब्रांड बनाया है। 2018-19 के दौरान, सफल एफएंडवी, मदर डेरी दूध एवं दूध उत्पादों तथा धारा खाद्य तेलों को एकीकृत करते हुए वाराणसी में अलग और आंशिक रूप से अलग आउटलेट के रूप में शुरू की गई। नई खुदरा आउटलेट प्रणाली को आगामी वर्षों में अन्य क्षेत्रों में दोहराए जाना है, जिसके द्वारा उपभोक्ताओं को एक ही छत के नीचे एक बेजोड़ सुविधा उपलब्ध होगी।

इस वर्ष के आवश्यक कदम, मुख्य बाजारों, विशेषकर लम्बी शेल्फ लाईफ (एलएसएल) श्रेणी में वितरण नेटवर्क में वृद्धि होने के चलते उद्योग क्षेत्र में मूल्य वर्धित डेरी उत्पाद व्यवसाय में निरंतर तेजी बनी रही है, जिनमें कंपनी ने नए बाजारों में विशेष वितरण चैनल स्थापित करने के प्रयास किए। इसके परिणामस्वरूप एलएसएल व्यवसाय में 32 प्रतिशत की अच्छी वृद्धि हुई। एमडीएफवीपीएल ने आधुनिक खुदरा फॉर्मेट (एमआरएफ) में अपने पोर्टफोलियो को बनाने पर भी अधिक ध्यान केंद्रित किया है तथा मौजूदा आउटलेट्स में शेल्फ स्पेस में वृद्धि के साथ-साथ अतिरिक्त आउटलेट्स में अपनी उपस्थिति को अधिक बढ़ाया है, जिसके परिणामस्वरूप इस माध्यम में 58 प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

मदर डेरी इनोवेशन केंद्र ने नई उत्पाद श्रेणियों जैसे गाय दही, कढ़ी दही और खांटी घी का विकास करना निरंतर जारी रखा है। इस केंद्र ने उचित ट्रेसेबिलिटी, परीक्षण प्रामाणिकता और विनियामक दिशा-निर्देशों के माध्यम से महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, उत्तराखंड इत्यादि के किसानों को जोड़ करके सफल ब्रांड के एनपीओपी

2018-19 में, एमडीएफवीपीएल ने कुल **10** प्रतिशत की हासिल की, जो कि मुख्य तौर पर खाद्य तेल और घी के व्यवसाय में **21** प्रतिशत और मूल्य वर्धित डेरी उत्पादों में **12** प्रतिशत की वृद्धि के साथ संचालित है।

प्रमाणित ऑर्गेनिक फार्म उत्पादों का शुभारंभ करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। वर्तमान में आर्गेनिक उत्पाद दिल्ली में लगभग 100 सफल आउटलेट्स पर उपलब्ध हैं और आगामी वर्ष में खुदरा माध्यम (ब्रिकी) की शुरूआत करने की योजना है।

इनोवेशन केंद्र में वैज्ञानिक, विनियामक मामले और पोषण (एसआरएएन) द्वारा विनियामक परामर्श के माध्यम से मदर डेरी के भीतर और बाहर दोनों हितधारकों को सहयोग उपलब्ध कराया जाना जारी रहा और नवीनतम विनियमन और सेहत व तदुंरूस्ती पहल के अनुसार एफएसएसएआई द्वारा इसे दूध के फोर्टिफिकेशन के क्रियान्वयन हेतु मान्यता दी गई है।

मदर डेरी पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली के अंतर्गत, कंपनी ने संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग करने पर निरंतर ध्यान केंद्रित किया है, जिसके परिणामस्वरूप 3.5 प्रतिशत बिजली की खपत में कमी, 5 प्रतिशत पानी की खपत में कमी और 5 प्रतिशत कार्बन उत्सर्जन में गिरावट हुई है।

एनडीडीबी डेरी सर्विसेज

एनडीडीबी डेरी सर्विसेज (एनडीएस) को 2009 में कंपनी अधिनियम की धारा 8 के तहत एक बिना लाभ की कंपनी के रूप में निगमित किया गया था जिसका उद्देश्य एनडीडीबी की उत्पादक कंपनियों और उत्पादकता वद्धि सेवाओं को बढ़ावा देना है।

एनडीएस देश के दो सबसे बड़े वीर्य केंद्रों – बीडज, अहमदाबाद (गुजरात) में साबरमती आश्रम गौशाला और सालोन, रायबरेली (उत्तर प्रदेश) में पशु प्रजनन केंद्र का प्रबंधन करता है। इसके अलामाढ़ी (तमिलनाडु) और राहुरी (महाराष्ट्र) में दो बड़े वीर्य केंद्र हैं। वर्ष के दौरान, चार वीर्य केंद्रों ने लगभग 380 लाख वीर्य डोजों का उत्पादन किया।

वर्ष के दौरान, भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी (ईटीटी) के जरिए मुख्य रूप से भारतीय नस्ल के 325 से अधिक जीवनक्षम भ्रूणों का उत्पादन किया गया है। यह वर्ष इन-विट्रो निषेचन (आईवीएफ) गतिविधियों के लिए एक मील का पत्थर रहा क्योंकि बीडज फार्म के साबरमती आश्रम गौशाला में 7 आईवीएफ बछड़ों का जन्म हुआ।

एनडीपी I के अंतर्गत, एनडीएस ने दूध उत्पादक कंपनियों (एमपीसी) नामतः राजस्थान में पायस, गुजरात में माही, आंध्र प्रदेश में श्रीजा, पंजाब में

किसानों के दरवाजे पर आहार संतुलन का प्रदर्शन

बानी, उत्तर प्रदेश में सहज तथा बिहार में बापूधाम को विभिन्न गतिविधियाँ संचालित करने के लिए तकनीकी सहायता देना निरंतर जारी रखा।

वर्ष के दौरान, एमपीसी के मूल नियामक सिद्धांत पर प्रशिक्षण, प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम, फील्ड स्टाफ के लिए एमपीसी पर अभिमुखन कार्यक्रम आयोजित किए गए। एनडीएस ने एमपीसी के निदेशक मंडल (बीओडी) के कार्यक्रमों जैसे नीति संचालन मॉड्यूल, अभिमुखन कार्यक्रम, वित्त कार्यशाला और इंटरफ़ेस (संवाद) कार्यशाला इत्यादि में सहयोग दिया है। एनडीएस ने बड़ी एमपीसी के वरिष्ठ अधिकारियों के लिए 'एमपीसी के स्थायी संस्थागत ढांचे की पूर्व-आवश्यकता' पर दो दिवसीय अनुवर्ती कार्यशाला का आयोजन किया।

एनडीएस को भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित दीन दयाल अन्त्योदय योजना (डीएवाई-एनआरएलएम) के एक सहायक संगठन की मान्यता प्राप्त है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के अंतर्गत अनुमोदित दूध उत्पादक कंपनियों की स्थापना के लिए एनडीएस ने मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश राज्य के ग्रामीण आजीविका मिशन के साथ अनुबंध किया है।

वर्ष के दौरान एनडीएस ने एनआरएलएम के अंतर्गत तीन एमपीसी नामतः मालव महिला एमपीसी, राजगढ़ और मुक्ता महिला एमपीसी, सागर, मध्य प्रदेश, कौशिकी महिला एमपीसी, सहरसा, बिहार के संचालन में तथा बलिनी एमपीसी झांसी, उत्तर प्रदेश की स्थापना में सहयोग दिया।

टाटा ट्रस्ट के साथ हुए सहयोगात्मक अनुबंध के अंतर्गत, एनडीएस ने इंदुजा महिला दूध उत्पादक कंपनी, यवतमाल, महाराष्ट्र के संचालन में सहयोग दिया तथा पूर्व में स्थापित एमपीसी नामतः अलवर में सखी महिला एमपीसी तथा पाली, राजस्थान में आशा महिला एमपीसी, प्रतापगढ़, उत्तर प्रदेश में श्वेतधारा महिला एमपीसी और मनसा, पंजाब में रूहानी महिला एमपीसी को विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से कौशल विकास एवं संस्थागत निर्माण में सहायता दी।

एनडीएस ने उत्पादन वृद्धि गतिविधियों जैसे कृत्रिम गर्भाधान और आहार संतुलन कार्यक्रम के साथ-साथ कृषक कार्यशालाओं, डेरी फार्म प्रबंधन प्रशिक्षण इत्यादि के माध्यम से क्षमता निर्माण में इन एमपीसी को सहयोग देना निरंतर जारी रखा।

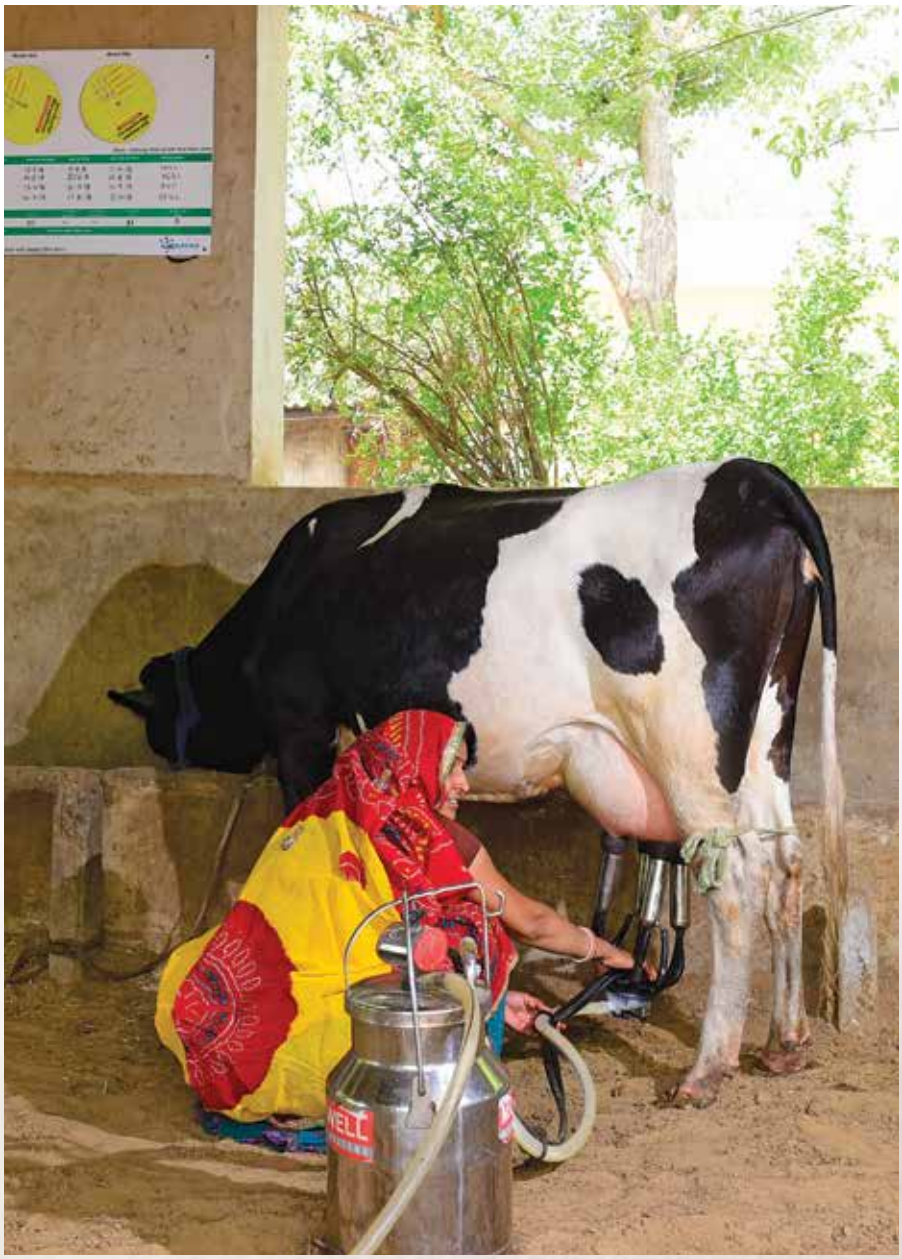

डेरी सहकारिताओं की एक झलक

डेरी सहकारी समितियां

(संख्या में)@

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	17-18	18-19*
उत्तर						
हरियाणा	505	3,229	3,318	7,019	7,271	7,264
हिमाचल प्रदेश		210	288	740	959	977
जम्मू एवं कश्मीर		105	**	**	457	457
पंजाब	490	5,726	6,823	7,069	8,018	7,353
राजस्थान	1,433	4,976	5,900	16,290	14,496	14,822
उत्तर प्रदेश	248	7,880	15,648	21,793	31,133	31,754
उत्तराखंड					4,112	4,168
क्षेत्रीय योग	**2,676**	**22,126**	**31,977**	**52,911**	**66,446**	**66,795**
पूर्व						
असम		117	125	155	374	402
बिहार	118	2,060	3,525	9,425	21,318	22,261
झारखंड				53	614	622
मेघालय					97	97
मिजोरम					39	42
नागालैंड		21	74	49	52	52
ओडिशा		736	1,412	3,256	5,857	5,944
सिक्किम		134	174	287	497	517
त्रिपुरा		73	84	84	101	100
पश्चिम बंगाल	584	1,223	1,719	3,019	4,066	4,117
क्षेत्रीय योग	**702**	**4,364**	**7,113**	**16,328**	**33,015**	**34,154**
पश्चिम						
छत्तीसगढ				757	1,082	1,112
गोवा		124	166	178	182	183
गुजरात	4,798	10,056	10,679	14,347	19,044	19,853
मध्यप्रदेश	441	3,865	4,877	6,216	9,263	9,151
महाराष्ट्र	718	4,535	16,724	21,199	20,647	20,652
क्षेत्रीय योग	**5,957**	**18,580**	**32,446**	**42,697**	**50,218**	**50,951**
दक्षिण						
आंध्र प्रदेश	298	4,766	4,912	4,971	3,274	3,308
कर्नाटक	1,267	5,621	8,516	12,372	15,817	16,021
केरल		1,016	2,781	3,666	3,293	3,317
तमिलनाडु	2,384	6,871	8,369	10,079	10,806	10,677
तेलंगाना					2,441	5,189
पुडुचेरी		71	92	102	104	104
क्षेत्रीय योग	**3,949**	**18,345**	**24,670**	**31,190**	**35,735**	**38,616**
कुल योग	**13,284**	**63,415**	**96,206**	**1,43,126**	**1,85,414**	**1,90,516**

@ संगठित (संचित), पूर्व में गठित पारंपरिक समितियां एवं तालुका संघ शामिल हैं
* अनंतिम
** रिपोर्ट नहीं मिली
2014-15 से मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना एवं उत्तराखंड के आंकड़े शामिल किए गए हैं

स्रोत : दूध संघ एंव महासंघ

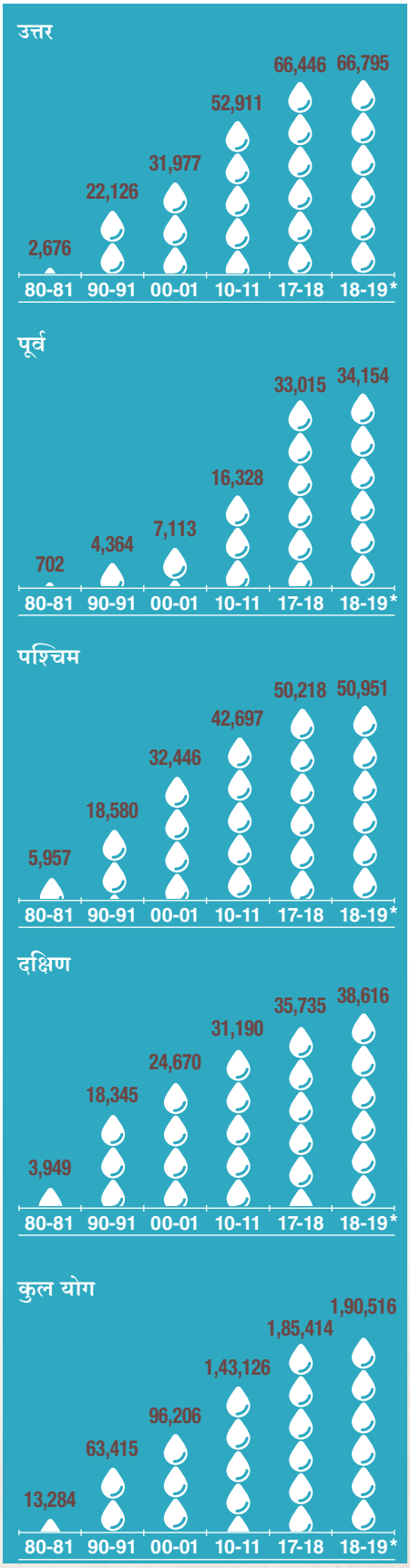

उत्पादक सदस्य

(हजार में)

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	17-18	18-19*
उत्तर						
हरियाणा	39	184	185	313	313	432
हिमाचल प्रदेश		17	20	32	49	43
जम्मू एवं कश्मीर		2	**	**	17	17
पंजाब	26	304	370	385	410	381
राजस्थान	80	340	436	669	806	827
उत्तर प्रदेश	18	392	649	977	1,219	1,256
उत्तराखंड					157	158
क्षेत्रीय योग	**163**	**1,239**	**1,660**	**2,376**	**2,971**	**3,114**
पूर्व						
असम		2	1	4	20	24
बिहार	3	100	184	523	1,102	1,143
झारखंड				1	21	22
मेघालय					4	4
मिजोरम					1	1
नागालैंड		1	3	2	2	2
ओडिशा		46	111	187	268	276
सिक्किम		4	5	10	14	14
त्रिपुरा		4	4	6	6	7
पश्चिम बंगाल	20	66	114	213	259	263
क्षेत्रीय योग	**23**	**223**	**422**	**946**	**1,697**	**1,756**
पश्चिम						
छत्तीसगढ				31	42	43
गोवा		12	18	19	19	19
गुजरात	741	1,612	2,147	2,970	3,507	3,614
मध्यप्रदेश	24	150	242	271	336	336
महाराष्ट्र	87	840	1,398	1,818	1,787	1,787
क्षेत्रीय योग	**852**	**2,614**	**3,805**	**5,109**	**5,691**	**5,799**
दक्षिण						
आंध्र प्रदेश	33	561	702	846	566	569
कर्नाटक	195	1,013	1,528	2,124	2,539	2,536
केरल		225	637	851	978	987
तमिलनाडु	481	1,590	1,957	2,176	1,884	1,870
तेलंगाना					169	258
पुडुचेरी		17	27	36	41	41
क्षेत्रीय योग	**709**	**3,406**	**4,851**	**6,033**	**6,176**	**6,261**
कुल योग	**1,747**	**7,482**	**10,738**	**14,464**	**16,535**	**16,929**

* अनंतिम
** रिपोर्ट नहीं मिली
2014-15 से मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना एवं उत्तराखंड के आंकड़े शामिल किए गए हैं

स्रोत : दूध संघ एंव महासंघ

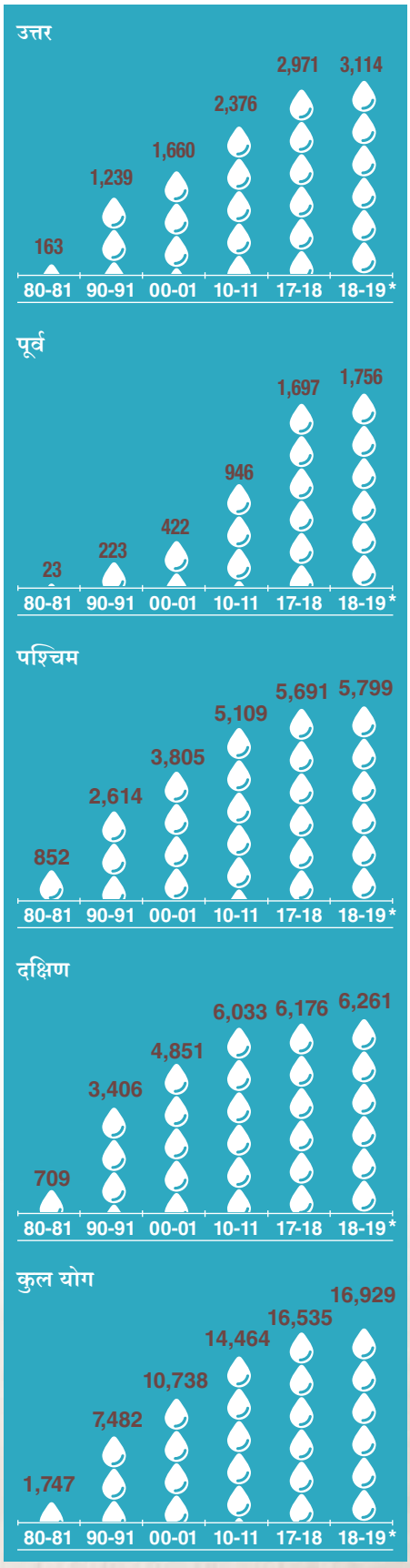

दूध संकलन

(हजार किलोग्राम प्रतिदिन में)#

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	17-18	18-19*
उत्तर						
हरियाणा	33	94	276	511	562	441
हिमाचल प्रदेश		14	24	60	60	70
जम्मू एवं कश्मीर		11	**	**	35	28
पंजाब	75	394	912	1,037	1,766	1,640
राजस्थान	138	364	887	1,629	2,845	2,791
उत्तर प्रदेश	64	382	791	504	361	403
उत्तराखंड					194	251
क्षेत्रीय योग	**310**	**1,259**	**2,890**	**3,741**	**5,821**	**5,624**
पूर्व						
असम		4	3	5	30	33
बिहार	3	95	330	1,091	1,603	1,891
झारखंड				5	121	162
मेघालय					12	13
मिजोरम					6	7
नागालैंड		1	3	2	3	4
ओडिशा		41	94	276	508	492
सिक्किम		4	7	12	36	38
त्रिपुरा		3	1	2	6	6
पश्चिम बंगाल	31	52	204	273	188	226
क्षेत्रीय योग	**34**	**200**	**642**	**1,666**	**2,512**	**2,871**
पश्चिम						
छत्तीसगढ				25	79	104
गोवा		16	32	38	64	64
गुजरात	1,344	3,102	4,567	9,158	21,093	22,920
मध्यप्रदेश	68	256	319	588	1,105	1,012
महाराष्ट्र	165	1,872	2,979	3,053	3,568	3,998
क्षेत्रीय योग	**1,577**	**5,246**	**7,897**	**12,862**	**25,908**	**28,098**
दक्षिण						
आंध्र प्रदेश	79	763	879	1,371	1,199	1,229
कर्नाटक	261	917	1,887	3,742	7,077	7,475
केरल		185	646	688	1,260	1,298
तमिलनाडु	301	1,106	1,618	2,097	3,039	3,381
तेलंगाना					657	737
पुडुचेरी		26	45	35	54	55
क्षेत्रीय योग	**641**	**2,997**	**5,075**	**7,932**	**13,287**	**14,175**
कुल योग	**2,562**	**9,702**	**16,504**	**26,202**	**47,529**	**50,769**

राज्य के बाहर के परिचालन शामिल हैं
* अनंतिम
** रिपोर्ट नहीं मिली
2018-19 में गुजरात के कुल दूध संकलन में राज्य के बाहर का 2,861 हकिग्राप्रदि शामिल है
2017-18 में तदनुरूपी आंकड़ा 3,502 हकिग्राप्रदि था
2014-15 से मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना एवं उत्तराखंड के आंकड़े शामिल किए गए हैं

स्रोत : दूध संघ एंव महासंघ

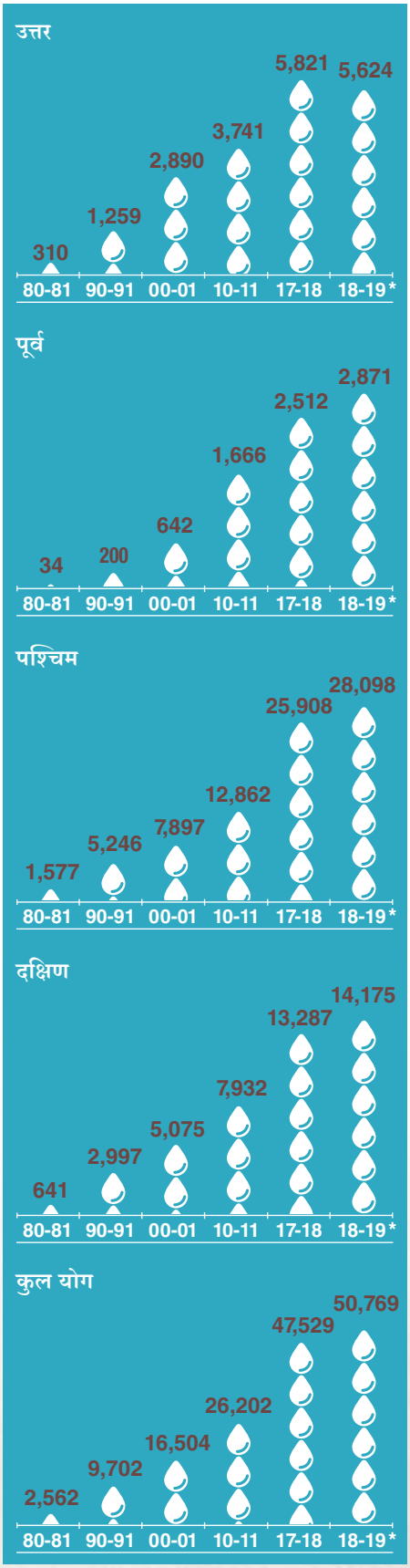

तरल दूध का विपणन

(हजार लीटर प्रतिदिन में)#

क्षेत्र /राज्य	80-81	90-91	00-01	10-11	17-18	18-19*
उत्तर						
हरियाणा	2	80	108	362	329	301
हिमाचल प्रदेश		15	20	23	25	22
जम्मू एवं कश्मीर		9	**	**	27	25
पंजाब	7	139	420	802	991	1,005
राजस्थान	12	136	540	1,505	2,242	2,253
उत्तर प्रदेश	1	326	436	380	886	990
उत्तराखंड					160	157
दिल्ली	697	1,051	1,524	3,050	6,380	6,558
क्षेत्रीय योग	**719**	**1,756**	**3,048**	**6,122**	**11,040**	**11,311**
पूर्व						
असम		10	7	22	51	54
बिहार	8	111	324	454	1,126	1,106
झारखंड				253	383	391
मेघालय					12	11
मिजोरम					5	7
नागालैंड		1	4	3	5	5
ओडिशा		65	98	290	409	403
सिक्किम		5	7	17	35	41
त्रिपुरा		6	7	15	12	13
पश्चिम बंगाल	17	26	27	41	32	41
कोलकाता	283	526	840	644	1,141	1,102
क्षेत्रीय योग	**308**	**750**	**1,314**	**1,739**	**3,211**	**3,175**
पश्चिम						
छत्तीसगढ				34	149	158
गोवा		36	83	69	71	67
गुजरात	210	1,052	1,905	3,237	5,256	5,433
मध्यप्रदेश	39	279	244	495	876	856
महाराष्ट्र	18	363	1,178	2,023	2,783	2,728
मुंबई	950	1,057	1,390	841	1,952	1,935
क्षेत्रीय योग	**1,217**	**2,787**	**4,800**	**6,699**	**11,088**	**11,177**
दक्षिण						
आंध्र प्रदेश	19	552	733	1,565	1,337	1,308
कर्नाटक	166	889	1,501	2,661	3,886	4,010
केरल		223	640	1,092	1,286	1,296
तमिलनाडु	109	405	559	989	1,038	1,022
तेलंगाना					803	830
पुडुचेरी		22	43	93	98	97
चेन्नई	245	662	725	1,025	1,168	1,227
क्षेत्रीय योग	**539**	**2,753**	**4,201**	**7,425**	**9,616**	**9,790**
कुल योग	**2,783**	**8,046**	**13,363**	**21,985**	**34,954**	**35,453**

मैट्रो डेरियां तथा राज्य के बाहर के परिचालन शामिल हैं
* अनंतिम
** रिपोर्ट नहीं मिली
2018-19 में गुजरात के कुल दूध विपणन में राज्य के बाहर का 12,502 हलीप्रदि शामिल है
2017-18 में तदनुरूपी आंकड़ा 12,059 हलीप्रदि था
2014-15 से मेघालय, मिजोरम, तेलंगाना एवं उत्तराखंड के आंकड़े शामिल किए गए हैं

स्रोत : दूध संघ एंव महासंघ

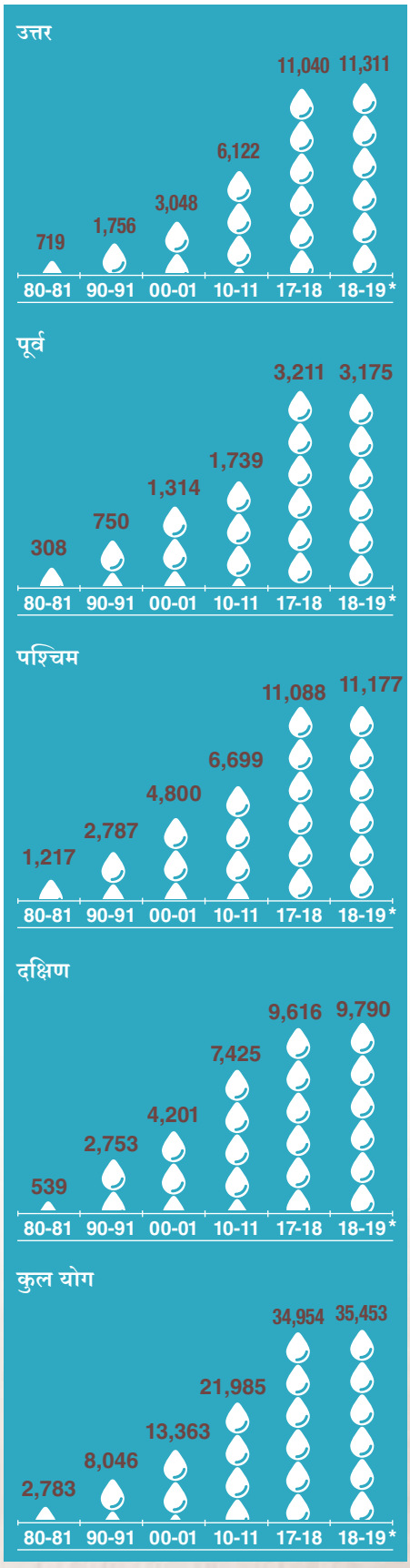

डेरी सहकारिताओं का कोल्ड चेन बुनियादी ढांचा (क्षमता)*

(मार्च 2019)

राज्य/क्षेत्र	बीएमसी (हली)	चिलिंग केंद्र (हलीप्रदि)	डेरी संयंत्र (हलीप्रदि)
उत्तर			
दिल्ली			1,500
हरियाणा	367	330	6,775
हिमाचल प्रदेश	136	80	100
जम्मू एवं कश्मीर	108		100
पंजाब	1,826	838	2,185
राजस्थान	4,375	510	3,035
उत्तर प्रदेश	912	1,580	3,995
उत्तराखंड	71	65	245
क्षेत्रीय योग	**7,795**	**3,403**	**17,935**
पूर्व			
असम	20		60
बिहार	1,832	314	2,875
झारखंड	186	10	690
मेघालय			26
मिजोरम	11		20
नागालैंड	2		22
ओडिशा	785	80	680
सिक्किम	9		60
त्रिपुरा	7		24
पश्चिम बंगाल	304	136	1,267
क्षेत्रीय योग	**3,155**	**540**	**5,724**
पश्चिम			
छत्तीसगढ	95	72	150
गोवा	47		110
गुजरात	17,530	6,435	26,295
मध्यप्रदेश	854	599	1,518
महाराष्ट्र	2,021	1,855	11,161
क्षेत्रीय योग	**20,547**	**8,961**	**39,234**
दक्षिण			
आंध्र प्रदेश	1,979	438	2,705
कर्नाटक	4,324	2,960	8,525
केरल	1,368	100	1,910
तमिलनाडु	1,594	1,425	4,121
तेलंगाना	635	363	1,250
पुडुचेरी	50		120
क्षेत्रीय योग	**9,950**	**5,286**	**18,631**
कुल योग	**41,447**	**18,190**	**81,524**

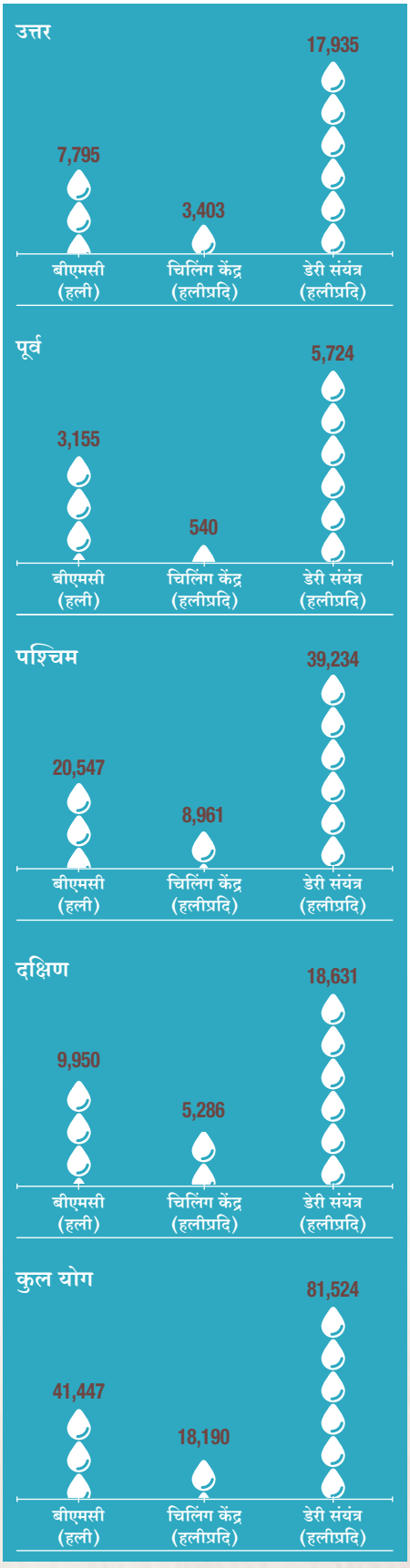

*अनंतिम
हली: हजार लीटर
हलीप्रदि: हजार लीटर प्रतिदिन

स्रोत : दूध संघ एंव महासंघ

आगंतुक

2018-19 के दौरान, एनडीडीबी में भारत और विदेशों से 1,411 अतिथि पधारे।

विदेशी अतिथि ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, ब्राज़ील, ब्रसेल्स, डेनमार्क, ईरान, म्यांमार, नेपाल, नीदरलैंड, न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमरीका से पधारे।

श्री राधा मोहन सिंह, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, भारत सरकार

डॉ राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग

श्री वीरेंद्र कंवर, ग्रामीण विकास एवं पशुपालन मंत्री, हिमाचल प्रदेश

डॉ हर्ष कुमार भनवाला, अध्यक्ष, नाबार्ड

सुश्री कैरोलिन इमॉड, महानिदेशक, अंतर्राष्ट्रीय डेरी महासंघ

श्री तरूण श्रीधर, सचिव (एएचडीएंडएफ), पशुपालन एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार

लेखा

बोरकर एंड मजुमदार
सनदी लेखाकार

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के निदेशक मंडल को प्रस्तुत

वित्तीय विवरणों पर रिपोर्ट

हमने **राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड** ("बोर्ड") के संलग्न वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च 2019 का तुलन पत्र, आय तथा व्यय लेखा तथा तब समाप्त वर्ष का नकद प्रवाह विवरण और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों के सार सहित वित्तीय विवरणों पर टिप्पणियां शामिल हैं।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन का दायित्व

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 ("अधिनियम") के वित्तीय रिपोर्टिंग प्रावधानों के अनुरूप इन वित्तीय विवरणों को तैयार करने का दायित्व प्रबंधन का है। इस दायित्व में वित्तीय विवरणों से संबंधित आंतरिक नियंत्रण हेतु डिजाइन, कार्यान्वयन तथा रखरखाव शामिल है और यह गलत बयानबाजी से मुक्त है चाहे वह धोखे या गलती के कारण हुई हो।

लेखा परीक्षक का दायित्व

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत व्यक्त करना है। हमने अपनी लेखा परीक्षा भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी किए गए लेखा मानकों के अनुसार की है। इन मानकों में अपेक्षित है कि हम नैतिक अपेक्षाओं का पालन करें और लेखा परीक्षा नियोजित तथा संपादित करते समय उचित आश्वासन लें कि यह वित्तीय विवरण गलत बयानबाजी से मुक्त हैं।

लेखा परीक्षा निष्पादन करने की गतिविधि में राशि तथा वित्तीय विवरणों के प्रकटीकरण पर लेखा साक्ष्य प्राप्त करना अपेक्षित है। इसके लिए चयन की गई प्रक्रिया, जिसमें वित्तीय विवरणों के आर्थिक गलत-विवरणों के जोखिमों का मूल्यांकन, चाहे वह धोखे से ही हो या गलती से, शामिल है, वह लेखा परीक्षक के निर्णय पर आधारित है। इन जोखिमों का मूल्यांकन करने के लिए लेखा परीक्षक बोर्ड के वित्तीय विवरणों को तैयार करने तथा उचित प्रस्तुतीकरण के लिए बोर्ड के सम्बद्ध आंतरिक नियंत्रणों पर विचार करते हैं ताकि इस प्रकार की लेखा परीक्षा को डिजाइन किया जा सके जो परिस्थितियों के अनुकूल हो न कि बोर्ड के आंतरिक नियंत्रणों की प्रभावशालिता पर अपना मत व्यक्त करे। लेखा परीक्षा में बोर्ड द्वारा प्रयोग में लाई गई लेखा नीतियों की उपयुक्तता तथा प्रबंधन द्वारा किए गए लेखा आंकलनों के औचित्य के साथ-साथ वित्तीय विवरणों के समुचित प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन किया जाता है।

हमारा विश्वास है कि हमने, जो लेखा साक्ष्य प्राप्त किया है, वह पर्याप्त है तथा हमारे लेखा परीक्षा मत के लिए उचित आधार प्रस्तुत करता है।

मत

हमारे मत के अनुसार तथा हमारी पूर्ण जानकारी एवं हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, सभी सामग्री के मामले में अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए बोर्ड का वित्तीय विवरण तैयार किया गया है।

कृते **बोरकर एंड मजुमदार**
सनदी लेखाकार
एफआरएनः 101569 डब्ल्यू
यूडीआईएनः 19109386एएएएबीओ5206

देवांग वघानी
भागीदार
एम. नं. 109386

दिनांक : 15 जुलाई, 2019
स्थान : मुंबई

दूरभाषः 022 6689 9999 / फैक्सः022 6689 9990 / ईमेलः contact@bnmca.com / वेबसाइटः www.bnmca.com
21/168, आनंद नगर, ओम सीएचएस, आनंद नगर लेन, ऑफ नेहरु रोड, वकोला, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई - 400 055
शाखाएं: अहमदाबाद, बेंगलुरू, भोपाल, भुवनेश्वर, बिलासपुर, दिल्ली, गोवा, जबलपुर, मीरा रोड, नागपुर, पटना, पुणे, रायपुर

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ("एनडीडीबी" या "बोर्ड")
(राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय)

तुलनपत्र

31 मार्च, 2019 का

₹ दस लाख में

विवरण	संलग्नक	31.03.2019	31.03.2018
देयताएं			
राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड निधि	I	30596.97	29,854.14
सुरक्षित ऋण	II	4,636.11	611.92
चालू देयताएं और प्रावधान	III	8,304.92	6,704.88
आस्थगित कर देयताएं	XVI (नोट 8)	323.00	290.90
योग		**43,861.00**	**37,461.84**
परिसंपत्तियाँ			
नकद और बैंक शेष	IV	5,005.86	6,410.89
वस्तुसूची	V	0.38	0.37
विविध देनदार		185.5	189.69
ऋण, अग्रिम एवं अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ	VI	22,191.77	15,972.02
निवेश	VII	14,522.49	13,026.63
स्थायी परिसंपत्तियाँ	VIII	1,955.00	1,862.24
योग		**43,861.00**	**37,461.84**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	XV		
लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं	XVI		

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोरकर एंड मजुमदार
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. 101569 डब्ल्यू

देवांग वघानी
भागीदार
सदस्यता सं.:109386

मुंबई, 15 जुलाई, 2019

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

दिलीप रथ
अध्यक्ष

अरूण रास्ते
कार्यपालक निदेशक

एस रघुपति
महाप्रबंधक
(लेखा)

आणंद 21 जून, 2019

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ("एनडीडीबी" या "बोर्ड")
(राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय)

आय एवं व्यय लेखा–जोखा

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का

₹ दस लाख में

विवरण	संलग्नक	2018-2019	2017-2018
आय			
ब्याज		2,432.13	2,216.46
सेवा प्रभार	IX	263.41	258.11
किराया		211.61	199.82
लाभांश		142.37	227.22
अन्य आय	X	215.40	465.64
योग (क)		**3,264.92**	**3,367.25**
व्यय			
ब्याज और वित्तीय प्रभार		428.39	172.16
पारिश्रमिक एवं कार्मिकों को लाभ	XI	874.91	814.04
प्रशासनिक व्यय	XII	159.50	147.02
अनुदान		116.32	20.28
अनुसंधान एवं विकास		132.45	155.11
परिसंपत्तियों का रख–रखाव	XIII	217.82	231.86
अन्य व्यय	XIV	160.41	94.66
बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण		-	339.05
मूल्यह्रास	VIII	162.98	152.32
योग (ख)		**2,252.78**	**2,126.50**
कर से पूर्व वर्ष के दौरान अधिशेष (ग) = (क – ख)		**1,012.14**	**1,240.75**
घटाइए : कराधान के लिए प्रावधान			
वर्तमान कर		228.28	146.70
आस्थगित कर	XVI (नोट 8)	32.10	51.66
कर के पश्चात् वर्ष के दौरान अधिशेष		**751.76**	**1,042.39**
घटाइए : विनियोजन			
विशेष आरक्षित		138.13	148.59
सामान्य निधि में ले जाई गई शेष राशि		613.63	893.80
योग (घ) = (ख+ग)		**3,264.92**	**3,367.25**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	XV		
लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है	XVI		

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोरकर एंड मजुमदार
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. 101569 डब्ल्यू

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

देवांग वघानी
भागीदार
सदस्यता सं.:109386

दिलीप रथ
अध्यक्ष

अरूण रास्ते
कार्यपालक निदेशक

एस रघुपति
महाप्रबंधक
(लेखा)

मुंबई, 15 जुलाई, 2019

आणंद 21 जून, 2019

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ("एनडीडीबी" या "बोर्ड")
(राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय)

नकद प्रवाह (कैश फ्लो) विवरण

31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष का

₹ दस लाख में

विवरण	संलग्नक	2018-2019	2017-2018
प्रचालन गतिविधियां से नकद प्रवाह			
वर्ष के दौरान कर से पूर्व अधिशेष		1,012.14	1,240.75
समायोजन निम्नलिखित के लिए:			
मूल्यह्रास		162.98	152.32
(प्रतिलेखन)/ इन्वेन्टरी अप्रचलन के लिए प्रावधान		-	(0.10)
निवेशों की बिक्री पर (लाभ) / हानि		(6.90)	(2.44)
सावधि जमा एवं बांड पर ब्याज आय को अलग माना जाए		(1,213.65)	(1,202.76)
लाभांश आय अलग माना जाए		(142.37)	(227.22)
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री/अनुदान पर (लाभ)/ हानि को अलग से माना जाए		(124.29)	(3.06)
कर्मचारी सेवा निवृत्ति लाभ		86.19	60.08
बैंक को देय ब्याज तथा वित्तीय प्रभार		17.68	4.44
बट्टे खाते में डाले गये अशोध्य ऋण		-	339.05
बांड तथा राज्य विकास ऋण पर परिशोधित प्रीमियम		33.07	16.83
		(1,187.29)	(862.87)
कार्यशील पूँजी में परिवर्तन से पूर्व प्रचालन नकद प्रवाह		**175.15**	**377.89**
वस्तुसूची में (वृद्धि) / कमी		(0.01)	0.24
विविध देनदारों में (वृद्धि) / कमी		4.19	(127.48)
ऋणों एवं अग्रिमों में (वृद्धि) / कमी		(6,159.61)	(2,070.21)
कर वापस किया / (प्रदत्त)		(276.95)	217.61
वर्तमान देयताओं में (वृद्धि) / (कमी)		1,522.59	831.62
		(4,909.79)	(1,148.22)
प्रचालन गतिविधियों से अर्जित /(प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह(क)		**(5,084.94)**	**(770.33)**
निवेश गतिविधियों से नकद प्रवाह			
ब्याज से आय		1,243.42	995.79
लाभांश आय		142.37	227.22
निवेशों (बॉन्डस) की परिपक्वता से प्राप्त लाभ		900.00	200.00
निवेशों की खरीद (शेयर)		(18.00)	-
निवेशों की खरीद (बॉन्डस एवं राज्य विकास ऋण)		(2,404.03)	(4,350.29)
90 दिनों से अधिक बैंकों में रखे एफडीआर में कमी / (वृद्धि) (निवल)		2,686.91	2,942.02
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री से लाभ		173.23	7.37
प्राप्त अनुदान से स्थायी परिसंपत्ति की खरीद		-	45.99
स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद		(313.61)	(136.78)

₹ दस लाख में

विवरण	संलग्नक		2018-2019	2017-2018
निवेश गतिविधियों में अर्जित /(प्रयुक्त) निवल नकद प्रवाह (ख)			**2,410.29**	**(68.68)**
वित्तीय गतिविधियों से नकद प्रवाह				
उधार निधियों की प्राप्ति / (पुन: भुगतान)		4,024.19		561.81
बैंकों को देय ब्याज एवं वित्तीय प्रभार		(17.68)		(4.44)
वित्तीय गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह (ग)			4,006.51	557.37
वर्ष के दौरान निवल नकद प्रवाह (क + ख + ग)			1,331.86	(281.64)
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य			32.96	314.60
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य			1,364.82	32.96
नकद एवं नकद समतुल्य				
बैंकों के पास शेष:				
सावधि जमा			5,000.36	6,377.93
घटाइए: 90 दिनों से अधिक मूल परिपक्वता सहित जमा			3,641.04	6,377.93
			1,359.32	-
चालू खातों में			5.47	32.88
नकद एवं चेक हाथ में			0.03	0.08
योग			**1,364.82**	**32.96**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	XV			
लेखों पर टिप्पणियाँ जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा हैं	XVI			

टिप्पणी: नकद प्रवाह विवरण लेखा मानक – 3 में निर्धारित नकद प्रवाह विवरण "अप्रत्यक्ष विधि" के अंतर्गत तैयार किया गया है।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोरकर एंड मजुमदार
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. 101569 डब्ल्यू

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

देवांग वघानी
भागीदार
सदस्यता सं.:109386

दिलीप रथ
अध्यक्ष

अरूण रास्ते
कार्यपालक निदेशक

एस रघुपति
महाप्रबंधक
(लेखा)

मुंबई, 15 जुलाई, 2019

आणंद 21 जून, 2019

एनडीडीबी निधि

संलग्नक I

₹ दस लाख में

		31.03.2019	31.03.2018
सामान्य आरक्षित (टिप्पणी क)			
पूर्व तुलन-पत्र के अनुसार शेष		3,559.61	3,559.61
स्थायी परिसंपत्तियों के लिए अनुदान (टिप्पणी ख)			
पूर्व तुलन-पत्र के अनुसार शेष	70.10		33.06
जोड़िए : वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	-		45.99
घटाइए : मूल्यह्रास की भरपाई (संलग्नक VIII की टिप्पणी 4 देखें)	8.93		8.95
		61.17	**70.10**
आयकर अधिनियम 1961 की धारा 36 (1) (viii) के अन्तर्गत विशेष आरक्षित			
पूर्व तुलन पत्र के अनुसार शेष	1,247.84		1,099.25
जोड़िए : आय एवं व्यय लेखा से अंतरण	138.13		148.59
		1,385.97	**1,247.84**
आय-व्यय का लेखा-जोखा			
पूर्व तुलन-पत्र के अनुसार शेष	24,976.59		24,082.79
जोड़िए: वर्ष के दौरान विनियोजन के बाद अधिशेष	613.63		893.80
		25,590.22	24,976.59
योग		**30,596.97**	**29,854.14**

टिप्पणी :

क. राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम 1987 के अनुसार डेरी एवं अन्य कृषि आधारित तथा संबद्ध उद्योगों एवं जैविकों को प्रोत्साहित करना, योजना बनाना एवं कार्यक्रमों का आयोजन करना।

ख. लेखा पद्धति मानक - 12 के अनुरूप - "सरकारी अनुदानों के लेखे"

सुरक्षित ऋण

संलग्नक II

₹ दस लाख में

	31.03.2019	31.03.2018
बैंक ओवरड्राफ्ट (बैंकों में सावधि जमा पर लीयन के प्रति सुरक्षित)	316.11	611.92
नाबार्ड से ऋण (डीआईडीएफ स्कीम के तहत दिए गए सुरक्षित ऋण)	4320.00	-
योग	**4,636.11**	**611.92**

वर्तमान देयताएं एवं प्रावधान

संलग्नक III

₹ दस लाख में

		31.03.2019	31.03.2018
(क) वर्तमान देयताएं			
अग्रिम एवं जमा		43.24	35.58
विविध लेनदार		293.79	246.81
परामर्श परियोजना के कारण शुद्ध देयता			
प्राप्त निधियाँ	18,880.67		14,403.04
जोड़िए : आपूर्तिकर्ताओं को व्यय हेतु देय	1,510.28		1,212.27
	20,390.95		15,615.31
घटाइए : व्यय हुई राशि	16,292.53		11,394.77
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	122.20		376.07
	3,976.22		3,844.47
जोड़िए : एनडीडीबी को देय (पर कोन्ट्रा, संदर्भ संलग्नक VI)	64.03		108.21
		4,040.25	3,952.68
(ख) भारत सरकार की परियोजनाओं के लिए प्राप्त निधि:			
प्राप्त निधि	1,455.82		-
जोडिए : उपार्जित ब्याज	3.96		-
घटाइए : व्यय हुई राशि	24.21		-
		1,435.57	-
(ग) निम्नलिखित के लिए प्रावधान:			
अनर्जक परिसंपत्तियां (संलग्नक XVI की टिप्पणी 9 देखें)	1,075.72		1,082.41
मानक परिसंपत्तियों पर सामान्य आकस्मिकता (संलग्नक XVI की टिप्पणी 9 देखें)	79.28		55.28
आकस्मिकता (संलग्नक XVI की टिप्पणी 9 देखें)	561.24		585.39
		1,716.24	1,723.08
(घ) निम्नलिखित हेतु प्रावधान:			
छुट्टी नकदीकरण (संलग्नक XVI की टिप्पणी 5 देखें)	419.02		379.08
सेवा निवृत्ति के पश्चात् चिकित्सा योजना (संलग्नक XVI की टिप्पणी 5 देखें)	69.98		71.19
उपदान (संलग्नक XVI की टिप्पणी 5 देखें)	175.58		15.54
वीआरएस मासिक लाभ	8.97		18.74
		515.55	484.55
आयकर के लिए प्रावधान (दिए गए कर का निवल)		260.28	262.18
योग		**8,304.92**	**6,704.88**

टिप्पणी: भारत सरकार की परियोजना के प्राप्त निधि में से अग्रिम संलग्नक VI में दर्शाया गया है।

नकद और बैंक शेष
संलग्नक IV

₹ दस लाख में

		31.03.2019	31.03.2018
बैंकों में शेष			
सावधि जमा में	5,000.36		6,377.93
चालू खाते में	5.47		32.88
		5,005.83	6,410.81
नकद एवं चेक हाथ में		0.03	0.08
योग		**5,005.86**	**6410.89**

टिप्पणी : सावधि जमा में शामिल

(क) सावधि जमा में ₹ 1,563.36 मिलियन (पूर्व वर्ष ₹ 2,112.80 मिलियन) की राशि जो ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए बैंक के पास रखी है

(ख) ₹ 498.00 मिलियन (पूर्व वर्ष शून्य) जो कि डीआईडीएफ योजना के तहत प्राप्त ऋणों के लिए नाबार्ड के पक्ष में खोले गए डीएसआरए खाते के लिए

(ग) और बैंक गारंटी अंतर राशि ₹ 0.05 मिलियन (पूर्व वर्ष ₹ 0.05 मिलियन) शामिल है।

वस्तु सूची
संलग्नक V

₹ दस लाख में

		31.03.2019	31.03.2018
स्टोर्स, स्पेयर्स और अन्य	1.50		1.44
परियोजना उपकरण	3.19		3.24
	4.69		4.68
घटाइए : अप्रचलन के लिए प्रावधान	4.31		4.31
		0.38	0.37
योग		**0.38**	**0.37**

ऋण, अग्रिम एवं अन्य वर्तमान परिसंपत्तियाँ
संलग्नक VI

₹ दस लाख में

		31.03.2019	31.03.2018
सहकारी संस्थाओं को ऋण			
दूध – सुरक्षित	17,604.46		11,363.13
असुरक्षित	283.39		345.47
		17,887.85	11,708.60
तेल (उपार्जित ब्याज सहित)– असुरक्षित		945.03	945.03
सहायक कंपनियों / प्रबंधित इकाइयों को दिए गए ऋण एवं अग्रिम			
सुरक्षित	1,313.81		1,238.89
असुरक्षित	627.45		753.68
		1,941.26	1,992.57
कार्मिकों को ऋण			
सुरक्षित	0.66		0.90
असुरक्षित	6.70		7.49
		7.36	8.39

₹ दस लाख में

		31.03.2019	31.03.2018
उपार्जित ब्याज पर –			
ऋण एवं अग्रिम	45.70		51.59
सावधि जमा एवं निवेश	251.56		231.35
		297.26	282.94
आपूर्तिकर्ताओं एवं ठेकेदारों को दिए गए अग्रिम		5.40	8.11
टर्नकी परियोजनाओं के लिए वसूली योग्य			
(प्रति कॉन्ट्रा, संलग्नक III देखें)		64.03	108.21
विविध जमा		18.86	19.25
आयकर जमा (प्रावधानों का निवल)		936.90	890.13
अन्य प्राप्तियां		87.82	8.79
योग		**22,191.77**	**15,972.02**

टिप्पणी :

(क) सुरक्षित ऋण परिसंपत्तियों के रेहन और/अथवा स्टॉक/परिसंपत्तियों के बंधन में रक्षित हैं।

(ख) सुरक्षित ऋण में ₹ 4,186.59 मिलियन डीआईडीएफ स्कीम के तहत दिए गए।

(ग) अन्य प्राप्तियों में भारत सरकार की परियोजनाओं हेतु प्राप्त निधि ₹ 72.29 मिलियन शामिल हैं।

निवेश

संलग्नक VII

₹ दस लाख में

		31.03.2019	31.03.2018
दीर्घकालीन निवेश (लागत पर):			
सहायक कंपनियों में इक्विटी शेयर (अनकोटेड):			
मदर डेरी फ्रूट एन्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड (एमडीएफवीपीएल)	2,500.00		2,500.00
आईडीएमसी लिमिटेड (आईडीएमसी)	283.90		283.90
इण्डियन इम्यूनोलॉजिकल्स लिमिटेड (आईआईएल)	90.00		90.00
एनडीडीबी डेरी सर्विसेज (एनडीएस)	2,000.00		2,000.00
		4,873.90	4,873.90
सरकारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं और बैंकों के बॉन्ड (कोटेड) (लागत पर)		6,389.89	4,897.28
(तुलनपत्र दिनांक के अनुसार बॉन्ड का औसत बाजार मूल्य ₹ 6,422.15 मिलियन (पूर्व वर्ष ₹ 4,868.80 मिलियन) है)			
राज्य विकास ऋण (कोटेड) (लागत पर)		3,239.80	3254.55
(राज्य विकास ऋण का औसत बाजार मूल्य ₹ 3,217.49 मिलियन है (पूर्व वर्ष ₹ 3,180.99) तुलनपत्र दिनांक के अनुसार)			
सहकारी संस्थाओं और महासंघों में शेयर (अनकोटेड)	19.00		1.00
घटाइए : निवेश मूल्य में कमी के लिए प्रावधान	0.10		0.10
		18.90	0.90
योग		**14,522.49**	**13,026.63**

स्थायी परिसंपत्तियाँ
संलग्नक VIII

₹ दस लाख में

विवरण	सकल कोष्ठ (लागत पर)				मूल्य ह्रास				शुद्ध कोष्ठ	
	01.04.2018 को	जोड़	कटौतियाँ/ (समायोजन)	31.03.2019 को	01.04.2018 को	वर्ष के लिए *(टिप्पणी 4 देखें)*	कटौतियाँ/ (समायोजन)	31.03.2019 को	31.03.2019 को	31.03.2018 को
पूर्ण स्वामित्व (फ्रीहोल्ड)भूमि (टिप्पणी 1 से 3 देखें)	500.66	-	44.21	456.45	-	-	-	-	456.45	500.66
पट्टाधृत (लीज़ होल्ड) भूमि	64.16	-	-	64.16	12.30	0.75	-	13.05	51.11	51.86
भवन और सड़कें	1,979.65	27.41	7.05	2,000.01	1,028.56	52.38	2.44	1,078.50	921.51	951.09
संयंत्र और मशीनरी	54.07	-	0.35	53.72	52.91	0.24	0.35	52.80	0.92	1.16
विद्युतीय स्थापन	172.08	13.34	1.94	183.48	111.58	11.32	1.82	121.08	62.40	60.50
फर्नीचर, कंप्यूटर्स एवं अन्य उपकरण	962.88	136.95	16.39	1,083.44	762.18	92.43	16.39	838.22	245.22	200.70
रेल दूध टैंकर्स	206.60	131.12	6.05	331.67	206.60	13.11	6.05	213.66	118.01	-
वाहन	22.83	2.77	3.10	22.50	20.26	1.68	3.10	18.84	3.66	2.57
योग	**3,962.93**	**311.59**	**79.09**	**4,195.43**	**2,194.39**	**171.91**	**30.15**	**2,336.15**	**1,859.28**	**1,768.54**
पूर्व वर्ष	*3,874.76*	*110.78*	*22.61*	*3,962.93*	*2,051.43*	*161.27*	*18.31*	*2,194.39*	*1,768.54*	*1,823.33*
पूँजी अग्रिम सहित पूँजीगत कार्य प्रगति पर है									95.72	93.70
कुल स्थायी परिसंपत्तियाँ									**1,955.00**	**1,862.24**

टिप्पणियाँ :

1. तमिलनाडु सरकार से मुँहपका खुरपका रोग नियंत्रण परियोजना से संबंधित भूमि हस्तान्तरण द्वारा प्राप्त की गई है जिसका मूल्य ₹ 0.39 मिलियन है।
2. पूर्ण स्वामित्व (फ्री होल्ड) भूमि में ₹ 17.94 मिलियन राशि की ऑयल टैंक फार्म, नरेला की भूमि सम्मिलित है, जिसे स्थायी लीज़ पर प्राप्त किया गया है और जिसके लिए अभी लीज़ डीड का निष्पादन करना बाकी है।
3. कृषि एवं बागवानी विभाग, कर्नाटक सरकार से प्राप्त जमीन का मूल्य ₹ 65.98 मिलियन है जो कन्नामंगला हार्टीकल्चर फार्म में सहायक कंपनी मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राईवेट लिमिटेड के नाम है। लीज होल्ड जमीन के टाइटल का हस्तांतरण अभी लंबित है।
4. वर्ष के मूल्यह्रास में प्राप्त हुए अनुदान की प्रतिपूर्ति के कारण आय तथा व्यय लेखे का मूल्यह्रास ₹ 8.93 मिलियन (पूर्व वर्षः ₹ 8.95 मिलियन) शामिल नहीं है।

सेवा प्रभार
संलग्नक IX

₹ दस लाख में

	2018-2019	2017-2018
प्रशिक्षण शुल्क	12.14	7.00
अधिप्राप्ति एवं तकनीकी सेवा शुल्क	239.74	234.49
परामर्श एवं साध्यता (फीजिबिलिटी) अध्ययन से प्राप्त शुल्क	9.60	13.43
रॉयल्टी एवं प्रक्रिया जानकारी शुल्क	1.93	3.19
योग	**263.41**	**258.11**

अन्य आय
संलग्नक X

₹ दस लाख में

	2018-2019	2017-2018
स्थायी परिसंपत्तियों की बिक्री पर लाभ (शुद्ध)	124.29	6.79
निवेशों के निपटान पर लाभ	6.90	2.44
अतिरिक्त प्रावधान तथा एनपीए का प्रतिलेखन	6.84	400.26
विविध आय	77.37	56.15
योग	**215.40**	**465.64**

कार्मिकों को पारिश्रमिक और लाभ
संलग्नक XI

₹ दस लाख में

	2018-2019	2017-2018
वेतन और मजदूरी (अनुग्रह एवं रिटेनरशिप शुल्क सहित)	691.78	645.89
भविष्य निधि, अधिवर्षिता निधि तथा उपदान राशि में योगदान	131.06	110.86
स्टाफ कल्याण व्यय	52.07	57.29
योग	**874.91**	**814.04**

पारिश्रमिक में अनुसंधान एवं विकास व्यय के भाग के रूप में इंगित ₹ 26.55 मिलियन (पूर्व वर्ष : ₹ 23.11 मिलियन) की राशि शामिल नहीं है।

प्रशासनिक व्यय
संलग्नक XII

₹ दस लाख में

		2018-2019	2017-2018
मुद्रण एवं लेखन सामग्री		7.12	6.07
संचार प्रभार		9.78	10.71
लेखा परीक्षा शुल्क एवं व्यय (सेवा कर सहित)			
लेखा परीक्षा शुल्क	0.83		0.74
कर लेखा परीक्षा	0.29		0.29
अन्य सेवाओं के लिए शुल्क	0.07		0.16
फुटकर खर्च	0.04		0.07
		1.23	1.26
विधि शुल्क		6.40	5.01
व्यावसायिक शुल्क		13.29	18.19
वाहन व्यय		2.87	3.05
भर्ती व्यय		0.72	0.39
विज्ञापन व्यय		19.28	5.53
यात्रा एवं वाहन व्यय		66.97	67.50
बिजली एवं किराया		28.11	26.37
अन्य प्रशासनिक व्यय		3.73	2.94
योग		**159.50**	**147.02**

परिसंपत्तियों का अनुरक्षण
संलग्नक XIII

₹ दस लाख में

	2018-2019	2017-2018
मरम्मत एवं अनुरक्षण		
भवन	143.67	145.67
अन्य	64.10	68.27
दर एवं कर	8.42	16.06
बीमा	1.63	1.86
योग	**217.82**	**231.86**

अन्य व्यय
संलग्नक XIV

₹ दस लाख में

	2018-2019	2017-2018
प्रशिक्षण व्यय	39.52	20.53
कंप्यूटर व्यय	14.77	16.14
अन्य व्यय	106.12	57.99
योग	**160.41**	**94.66**

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ("एनडीडीबी" या "बोर्ड")

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है।

संलग्नक XV

1. तैयारी का आधार

वित्तीय विवरण, ऐतिहासिक लागत परिपाटी तथा भारत में सामान्य तौर पर स्वीकार्य लेखा सिद्धांतों ("जीएएपी") के साथ-साथ इंस्टिट्यूट ऑफ चार्टेड एकाउन्टैन्ट्स ऑफ इंडिया द्वारा जारी बोर्ड पर लागू लेखांकन मानकों का प्रयोग करते हुए संग्रहण आधार पर तैयार किए गए हैं। वित्तीय विवरणों को, जब तक अन्यथा न कहा जाए, भारतीय रुपए के निकटतम पूर्णांकित दस लाख में प्रदर्शित किया गया है।

2. आंकलन का प्रयोग

जीएएपी के अनुरूप वित्तीय विवरण तैयार करने के लिए प्रबंधन को आंकलन तथा पूर्वानुमान करना पड़ता है जो परिसंपत्तियों तथा देयताओं, राजस्व तथा खर्च और वित्तीय विवरणों की तारीख के अनुसार आकस्मिक देयताओं के प्रकटीकरण की सूचित राशियों को प्रभावित करते हैं। ऐसे आंकलन तथा पूर्वानुमान, प्रबंधन के वित्तीय विवरण की तारीख पर संबंधित तथ्यों और परिस्थितियों के मूल्याँकन पर आधारित हैं। प्रबंधन का यह मानना है कि वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रयुक्त आंकलन विवेकपूर्ण एवं उचित है; हालांकि, वास्तविक परिणाम इस आकलन से भिन्न हो सकते हैं जिन्हें वर्तमान तथा भविष्य की अवधियों में भविष्यलक्षी प्रभाव से मान्यता प्राप्त है। ऐसे आकलनों में कोई भी परिवर्तन वर्तमान तथा भविष्य की अवधि में भविष्यलक्षी प्रभाव से मान्य हैं।

3. परिसंपत्तियों का वर्गीकरण तथा प्रावधान

सार्वजनिक वित्तीय संस्था होने के नाते एनडीडीबी परिसंपत्तियों के वर्गीकरण के लिए भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के दिशा-निर्देशों का पालन करती है "जोकि व्यवस्थित रूप से महत्त्वपूर्ण गैर बैंकिंग वित्तीय (नॉन डिपॉजिट एक्सेप्टिंग अथवा होल्डिंग) कंपनी प्रुडेन्शियल नार्म, 2015 पर लागू है"। अनर्जक एवं मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान बोर्ड द्वारा अनुमोदित दरों पर किया गया है।

4. राजस्व मान्यता

मानक परिसंपत्तियों पर ब्याज आय में आरबीआई के दिशा-निर्देशों के अनुसार संग्रहण के आधार पर मान्यता दी गई है। अनर्जक परिसंपत्तियों पर ब्याज आय, लागू दिशा-निर्देशों के अनुरूप वर्गीकृत हैं। प्राप्ति पर उनका नकद आधार पर हिसाब रखा गया है।

बैंक के साथ सावधि जमा एवं बांड्स में निवेश पर ब्याज आय को आनुपातिक समय आधार पर मान्यता दी गई है।

सहकारिता आदि की सेवाओं से आय को आनुपातिक पूरा होने के आधार पर तथा सम्बद्ध अनुबंध की शर्तों के अनुसार मान्य किया गया है।

दूध पण्य वस्तुओं की बिक्री का हिसाब परिवहन के समय पर्याप्त जोखिम और ईनाम के आधार पर पण्यवस्तुओं की गोदाम से प्रेषण की तारीख पर किया जाता है।

लाभांश आय का हिसाब आय प्राप्त होने के बिना शर्त अधिकार स्थापित होने पर किया गया है।

अन्य आय को तब मान्यता दी जाती है जब इसके अंतिम संग्रहण में कोई अनिश्चितता नहीं होती।

5. अनुदान

क) स्थायी परिसंपत्तियों से संबंधित अनुदानों को आरंभ में सामान्य निधि के अंतर्गत स्थायी परिसंपत्तियों के लिए अनुदान में क्रेडिट किया जाता है। इस राशि को आय तथा व्यय लेखा में व्यवस्थित आधार पर, इसी प्रकार की स्थायी परिसंपति के उपयोगी जीवन पर परिसंपत्ति के मूल्यह्रास को प्रतिपूर्ति के आधार पर मान्यता दी जाती है।

ख) वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व अनुदानों को आय तथा व्यय लेखे में मान्यता दी जाती है।

ग) विशिष्ट परियोजनाओं के लिए प्राप्त अनुदान को परियोजना निधि में क्रेडिट किया जाता है तथा इन परियोजनाओं के लिए धन वितरण में इसका उपयोग किया जाता है।

6. अनुसंधान एवं विकास व्यय

अनुसंधान एवं विकास व्यय को (अधिगृहीत स्थायी परिसंपत्तियों की लागत के अलावा) वर्ष में व्यय के रूप में प्रभारित किया गया है। अनुसंधान तथा विकास के लिए उपयोग की गई स्थायी परिसंपत्तियाँ जिनका अन्य जगह उपयोग हो सकता है उनका बोर्ड की नीति के अनुसार उनके उपयोगी जीवन के बाद मूल्यह्रास किया जाता है।

7. कर्मचारी लाभ

क) परिभाषित योगदान योजनाः भविष्य निधि तथा अधिवार्षिता निधि में योगदान पूर्व निर्धारित दर पर किया जाता है तथा उसे आय और व्यय लेखे में प्रभारित किया जाता है।

ख) परिभाषित लाभ योजनाएंः उपदान, मुआवजा अनुपस्थिति तथा सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाएं प्रक्षेपित इकाई क्रेडिट पद्धति का प्रयोग करते हुए बोर्ड की देयताएं निर्धारित की जाती हैं जिसमें प्रत्येक सेवा अवधि को गिना जाता है जिससे लाभ हकदारी की अतिरिक्त इकाई में वृद्धि होती है तथा अंतिम दायित्व को निर्धारित करने के लिए प्रत्येक इकाई को अलग से मापा जाता है। बीमांकिक लाभ तथा हानियाँ जो स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा वार्षिक तौर पर की जाती हैं, बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित हैं, उन्हें तुरंत आय तथा व्यय लेखा में आय अथवा व्यय के रूप में मान्यता दी जाती है। दायित्व को, छूट दर का प्रयोग करते हुए, अनुमानित भविष्य के नकद प्रवाह के वर्तमान मूल्य पर मापा गया है। इनका निर्धारण तुलन पत्र की तारीख पर भारत सरकार के बांड पर बाजार लाभ के संदर्भ में किया जाता है, जहाँ सरकारी बॉन्डों की वैधता अवधि तथा शर्तें परिभाषित लाभ दायित्व की वैधता अवधि और अनुमानित शर्तों के अनुरूप हैं।

अनुपस्थिति क्षतिपूर्तिः बोर्ड की कर्मचारियों के लिए अनुपस्थिति क्षतिपूर्ति लाभ हेतु एक योजना है जिसकी देयता वर्ष के अंत में किए गए बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित की जाती है।

बोर्ड ने भारतीय जीवन बीमा निगम की ग्रुप ग्रैच्यूटी सह लाइफ एशोरेन्स योजना में प्रतिभागिता द्वारा उपदान के पक्ष में इनकी देयताओं को वित्त पोषण प्रदान किया है।

8. स्थायी परिसंपत्तियाँ एवं मूल्यह्रास

मूर्त स्थायी परिसंपत्तियों को मूल्यह्रास तथा क्षति हानि घटा कर लागत पर लिया जाता है। लागत में खरीद का मूल्य, आयात शुल्क तथा अन्य गैर वापसी कर अथवा उगाही तथा ऐसी कोई प्रत्यक्ष अपसामान्य लागत शामिल होती है जो परिसंपत्ति पर उसके अपेक्षित इस्तेमाल के लिए तैयार करने हेतु खर्च की जाती है।

प्रत्येक ₹ 10,000 से अधिक की लागत वाली स्थायी परिसंपत्तियों पर मूल्यह्रास बोर्ड द्वारा निर्धारित दरों पर सीधी रेखा पद्धति के आधार पर प्रभारित किया जाता है। परिसंपत्ति के पूँजीकरण के वर्ष में पूरा मूल्याह्रास प्रभारित किया जाता है तथा उसके निपटान के वर्ष में मूल्यह्रास प्रभारित नहीं किया जाता। ₹ 10,000 तथा उससे कम राशि की प्रत्येक परिसंपत्ति को क्रय के वर्ष में 100 प्रतिशत मूल्यह्रास किया जाता है। बोर्ड द्वारा विभिन्न श्रेणी की परिसंपत्तियों के लिए अनुमोदित मूल्यह्रास दरें नीचे दी गई हैंः–

परिसंपत्तियां	दर (% में)
फैक्टरी भवन, गोदाम तथा रोड	4.00
अन्य भवन	2.50
कोल्ड स्टोरेज	15.00
विद्युत स्थापन	5.00
कम्प्यूटर (सॉफ्टवेयर सहित)	33.33
कार्यालय तथा प्रयोगशाला उपकरण	15.00
संयंत्र तथा मशीनरी	10.00
सौर उपकरण	30.00
फर्नीचर	10.00
वाहन	20.00
रेल दूध टैंकर	10.00

पट्टे पर ली गई जमीन का पट्टे की अवधि तक एमोर्टाइज किया गया है। पट्टे पर ली गई जमीन पर स्थित परिसंपत्तियों का मूल्यह्रास पट्टे की अवधि से कम होगा या उस परिसंपत्ति की उपयोगी जीवन से कम होगी।

स्थापन/निर्माणाधीन पूँजीगत परिसंपत्तियों को तुलनपत्र में "पूँजीगत कार्य प्रगति पर" के रूप में दिखाया गया है।

9. परिसंपत्तियों की हानि

प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर, परिसंपत्तियों के रखाव मूल्य की परिसंपत्तियों की हानि के लिए समीक्षा की जाती है। यदि इस प्रकार की हानि होने का कोई संकेत मिलता है, तो ऐसी परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का अनुमान लगाया जाता है और हानि को मान्य किया जाता है, यदि इन परिसंपत्तियों के रख रखाव की राशि वसूली योग्य राशि से अधिक है। वसूली योग्य राशि शुद्ध बिक्री मूल्य तथा उनके उपयोग के मूल्य से अधिक है। उपयोग मूल्य को, उनके वर्तमान मूल्य में से भविष्य के नकद प्रवाह में छूट के आधार पर निकाला जाता है जो उपयुक्त छूट घटक पर आधारित होती है। जब ऐसा संकेत हो कि लेखा अवधियों से पूर्व किसी परिसंपत्ति के लिए मान्य क्षति हानि अब विद्यमान नहीं है अथवा कम हो गई होगी तो अपसामान्य हानि के ऐसे परिवर्तन को आय तथा व्यय लेखा में मान्यता दी जाती है।

10. निवेश

दीर्घकालीन निवेशों को निम्न प्रकार से मूल्यांकित किया गया है:

क) सहायक कंपनियों, सहकारिताओं तथा महासंघों के शेयर – अधिग्रहण की लागत पर;

ख) सरकारी कंपनियों, वित्तीय संस्थाओं तथा बैंकों में डिबेंचर/बांड – राज्य विकास ऋण – अधिग्रहण की लागत पर शुद्ध परिशोधित प्रीमियम, यदि कोई हो।

वर्तमान निवेशों को कम लागत अथवा बाजार मूल्य पर निर्धारित किया गया है।

दीर्घकालिक निवेशों को लागत पर निर्धारित किया गया है। यदि अंकित मूल्य से लागत मूल्य अधिक होता है तो अंतर्निहित प्रतिभूति की शेष परिपक्वता अवधि पर प्रीमियम को परिशोधित किया जाता है। इस प्रकार के निवेश का उल्लेख तुलनपत्र में कम परिशोधित प्रीमियम अधिग्रहण मूल्य पर किया गया है।

वर्ष के दौरान किए गए निवेशों के मूल्य में, अस्थायी के अलावा अन्य कमी हेतु प्रावधान कमी का मूल्यांकन किए जाने वाले वर्ष में किया गया है।

11. वस्तुसूची

स्टोर तथा परियोजना उपकरण सहित वस्तु सूचियों को लागत पर अथवा शुद्ध नकदीकरण मूल्य, जो भी कम हो, पर मूल्यांकित किया गया है। लागत को प्रथम आवक, प्रथम जावक आधार पर निकाला गया है। जहाँ कहीं आवश्यक है वहाँ अप्रचलन के लिए प्रावधान किया गया है।

12. विदेशी मुद्रा लेन–देन

विदेशी मुद्रा का लेन-देन, लेन देन की तारीख पर प्रचलित विनिमय दर पर अभिलिखित किया जाता है।

विदेशी मुद्रा में मूल्यांकित मुद्रा संबंधी वस्तुएं तथा जो तुलन पत्र की तारीख में बकाया हैं उन्हें वर्ष के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर परिवर्तित किया जाता है। गैर-मौद्रिक मदों को ऐतिहासिक लागत पर लिया जाता है।

विदेशी मुद्रा लेन-देन में होने वाले विनिमय अन्तर को उनके सामने आने वाली अवधि में आय एवं व्यय के रूप में मान्यता दी गई है।

13. स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लेखांकन

अनुग्रह राशि सहित स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की लागत, कर्मचारी के सेवा वियोजन अवधि में आय तथा व्यय लेखे में प्रभारित की जाती है। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना लेने वाले कर्मचारियों के लिए, कर्मचारियों की सेवा वियोजन अवधि में मासिक लाभ योजना हेतु प्रावधान किया गया है तथा इसका समायोजन भुगतान मिलने पर किया जाता है।

14. आय पर कर

वर्तमान कर, वर्ष के दौरान कर योग्य आय पर देय है जिसका निर्धारण आयकर अधिनियम 1961 के प्रावधानों के अनुसार किया जाता है।

आस्थगित कर समय के अंतर पर मान्य है, यह कर योग्य आय तथा लेखा आय का वह अंतर है जो एक अवधि से उत्पन्न होता है तथा एक अथवा अधिक अनुवर्ती अवधि में परिवर्तन योग्य है।

अनवशोषित मूल्यह्रास तथा अग्रेनीत हानियों के संबंध में आस्थगित कर परिसंपत्तियों को मान्य किया गया है यदि यह आभासी निश्चितता है कि ऐसे कर घाटों को दूर करने के लिए भविष्य की पर्याप्त कर योग्य आय उपलब्ध होगी। अन्य आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ मान्य हैं जब यदि यथोचित निश्चितता हो कि ऐसी परिसंपत्तियों की वसूली के लिए भविष्य में पर्याप्त कर योग्य आय होगी।

15. पट्टे

पट्टा व्यवस्थाएं, जहाँ परिसंपत्ति के स्वामित्व का प्रासंगिक जोखिम और ईनाम पर्याप्त रूप से पट्टेदाता पर निहित है, उन्हें प्रचालन पट्टे के रूप में मान्यता दी गई है। प्रचालित पट्टे के अंतर्गत पट्टा किराया को पट्टा अनुबंधों के संदर्भ में आय एवं व्यय लेखे के रूप में मान्यता दी गई है।

16. प्रावधान तथा आकस्मिकताएं

पूर्व घटनाओं के परिणामस्वरूप जब बोर्ड के पास वर्तमान दायित्व होता है तो उस समय प्रावधान को मान्यता दी जाती है तथा यह संभावित है कि दायित्व के निपटान के लिए संसाधनों का वर्हिगमन अपेक्षित होगा, जिसके संबंध में एक विश्वसनीय अनुमान बनाया जा सकता है। प्रावधानों (सेवानिवृत्ति लाभों को छोडकर) को उनके वर्तमान मूल्य में छूट नहीं दी जाती है तथा इन्हें तुलन पत्र की तारीख में दायित्व का निपटान करने के लिए अपेक्षित अनुमान के आधार पर निर्धारित किया जाता है। इनकी प्रत्येक तुलनपत्र की तारीख पर समीक्षा की जाती है तथा वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान प्रतिबिंबित करने के लिए समायोजित किया जाता है। आकस्मिक देयताओं का खुलासा लेखा पर टिप्पणियों में किया गया है।

बोर्ड ने वर्ष 2001-02 के पूर्व के ऋणों तथा अन्य परिसंपत्तियों के संबंध में प्रावधान किया है। अंतर्निहित परिसंपत्तियों के संचालन के आधार पर जिनके लिए ऐसे प्रावधान का सृजन किया गया था, बोर्ड पहचानी गई घटनाओं के आधार पर ऐसे प्रावधानों का पुनः आवंटन/ प्रतिलेखन करता है। तदनुसार, बोर्ड ने अपनी परिसंपत्तियों के मूल्य में संभावित मूल्यह्रास अथवा ऐसी देयता हेतु अप्रत्याशित घटनाओं के लिए आकस्मिक प्रावधान का आबंटन किया है।

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड ("एनडीडीबी" या "बोर्ड")

महत्वपूर्ण लेखा नीतियां, जो वित्तीय विवरणों का हिस्सा है।

संलग्नक XVI

1. सम्बद्ध प्राधिकारियों के अनुरोध पर, राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड, पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड तथा झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ का संचालन कर रहा है। ये पृथक और स्वतंत्र संस्थाएं हैं और संबंधित प्राधिकारियों द्वारा इनके लेखों का रख-रखाव किया जाता है तथा अलग से लेखा-परीक्षण किया जाता है।

2. आकस्मिक देयताएँ :

2.1. मूल राशि के दावे जो ऋण के रूप में नहीं माने गए : ₹ 46.69 मिलियन (पूर्व वर्ष : ₹ 56.55 मिलियन)

2.2. बकाया गारंटी: ₹ 0.05 मिलियन (पूर्व वर्ष : ₹ 0.05 मिलियन)

2.3. आयकर की मांग (संबंधित सांविधिक प्रावधानों के अंतर्गत देय ब्याज एवं जुर्माने को छोड़कर) ₹ 987.82 मिलियन (पूर्व वर्ष : ₹ 804.09 मिलियन)

2.4. सेवा कर मांग ₹ 922.41 मिलियन (पूर्व वर्ष : ₹ 442.66 मिलियन)

2.5. अन्य माँगे

₹ दस लाख में

विवरण	प्राधिकरण	2018-19	2017-18
भूमि देय राशि का निपटान	भूमि एवं भूमि सुधार विभाग, सिलीगुड़ी	0.39	0.39
इटोला की जमीन के लिए नगरपालिका कर की मांग	तालुका विकास अधिकारी, वडोदरा	4.73	4.73
तेल टैंकों हेतु संपत्तिकर मांग	बृहन मुंबई महानगरपालिका	2.22	1.98

बोर्ड ने 2.3 से 2.5 में उपर्युक्त उल्लिखित मांगों को उपयुक्त फोरम के समक्ष चुनौती दी है। उक्त संबंध में नकद प्रवाह केवल उस फोरम का निर्णय/फैसला प्राप्त होने पर निर्धारित करने योग्य है जहाँ मांगों को चुनौती दी गई है।

3 राष्ट्रीय डेरी योजना-I (एनडीपी-I) का वित्त पोषण अंतरराष्ट्रीय विकास संस्था से ऋण व्यवस्था के अंतर्गत किया जा रहा है जो भारत सरकार के हिस्से के साथ पशुपालन डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग के बजट से एनडीडीबी में स्थित परियोजना प्रबंधन इकाई (पीएमयू) को "अंतिम कार्यान्वयन एजेंसियों को आगे वितरित करने के लिए अनुदान सहायता" के रूप में दी जाती है। इन निधि की प्राप्ति के लिए एक अलग बैंक खाता व्यवस्थित किया जा रहा है। एनडीपी-I की निधि के लिए अलग से परियोजना खाते व्यवस्थित रखे जा रहे हैं जिनकी लेखा परीक्षा एनडीडीबी के सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा की जाती है।

4. खण्ड जानकारी:

एनडीडीबी राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड अधिनियम, 1987 के अंतर्गत गठित एक निगमित निकाय है। अधिनियम में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार, एनडीडीबी की सभी गतिविधियाँ डेरी / कृषि क्षेत्र के इर्द-गिर्द घूमती हैं जो लेखा मानक-17 के अनुसार "खण्ड रिपोर्टिंग" पर एकल रिपोर्ट करने योग्य खंड है।

5. लेखा मानक 15 (संशोधित 2005) के अनुसार कर्मचारी लाभों से संबंधित प्रकटीकरण निम्नलिखित है:–

कर्मचारी लाभ योजनाएं

परिभाषित अंशदान योजनाएं

कंपनी योग्य कर्मचारियों के लिए परिभाषित अंशदान योजनाओं के अंतर्गत भविष्य निधि तथा अधिवर्षिता निधि में अंशदान देती है। इन योजनाओं के अंतर्गत, कंपनी को पे-रोल लागत का एक विशेष प्रतिशत इन लाभों को धन प्रदान करने के लिए देना अपेक्षित है। कंपनी ने लाभ एवं हानि विवरण में भविष्य निधि अंशदान के लिए ₹ 60.35 मिलियन (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में ₹ 58.09 मिलियन) तथा अधिवर्षिता निधि अंशदान में ₹ 44.47 मिलियन (31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष में ₹ 39.57 मिलियन) मान्य किए है। कंपनी द्वारा इन योजनाओं के लिए देय योगदान की राशि, इन योजनाओं के नियमों में विनिर्दिष्ट दर पर दी जाती है।

परिभाषित लाभ योजनाएं

कंपनी अपने कर्मचारियों को निम्नलिखित लाभ योजनाएं प्रदान करती है:

i उपदान

ii सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)

iii अवकाश नकदीकरण

निम्नलिखित तालिका में परिभाषित लाभ योजनाओं को प्रदान निधि की स्थिति तथा वित्तीय विवरण में मान्य राशि दर्शाई गई है:

(₹ दस लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		
	उपदान	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाएं (पीआरएमबीएस)	अवकाश नकदीकरण	उपदान	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाएं (पीआरएमबीएस)	अवकाश नकदीकरण
नियोक्ता खर्च के घटक						
चालू सेवा लागत	26.21	-	29.37	24.20	-	23.87
ब्याज लागत	27.67	5.52	27.98	27.16	5.50	27.46
योजित परिसंपत्तियों पर संभावित प्रतिलाभ	(26.79)	-	-	(24.62)	-	-
वास्तविक (लाभ) / हानि	(0.73)	(1.55)	(1.47)	(11.83)	(2.90)	(8.76)
लाभ-हानि के विवरण में मान्य कुल व्यय	**26.36**	**3.97**	**55.88**	**14.91**	**2.60**	**42.57**
वर्ष के लिए वास्तविक अंशदान तथा लाभ भुगतान						
वास्तविक लाभ भुगतान	(20.72)	(5.19)	(15.94)	(44.72)	(4.78)	(29.67)
वास्तविक योगदान	24.32	-	-	32.39	-	-
तुलनपत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति/ (देयता)						
परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य	(389.45)	(69.98)	(419.02)	(357.02)	(71.19)	(379.07)
योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	371.87	-	-	341.48	-	-
तुलनपत्र में मान्य निवल परिसंपत्ति/ (देयता)	**(17.58)**	**(69.98)**	**(419.02)**	**(15.54)**	**(71.19)**	**(379.07)**

(₹ दस लाख में)

विवरण	31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष			31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष		
	उपदान	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाएं (पीआरएमबीएस)	अवकाश नकदीकरण	उपदान	सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजनाएं (पीआरएमबीएस)	अवकाश नकदीकरण
वर्ष के दौरान परिभाषित लाभ दायित्वों (डीबीओ) में परिवर्तन						
वर्ष के आरंभ में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	357.02	71.19	379.07	362.20	73.37	366.17
वर्तमान सेवा लागत	26.21	-	29.38	24.20	-	23.87
ब्याज लागत	27.67	5.52	27.98	27.17	5.50	27.46
वास्तविक (लाभ)/हानि	(0.73)	(1.54)	(1.47)	(11.83)	(2.90)	(8.76)
दिए गए लाभ	(20.72)	(5.19)	(15.94)	(44.72)	(4.78)	(29.67)
वर्ष के अंत में डीबीओ का वर्तमान मूल्य	**389.45**	**69.98**	**419.02**	**357.02**	**71.19**	**379.07**
वर्ष के दौरान परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन						
वर्ष के आरंभ में योजित परिसंपत्तियाँ	341.48	-	-	329.18	-	-
अभिग्रहण समायोजन	-	-	-	-	-	-
योजित परिसंपत्तियों पर संभावित लाभ	26.79	-	-	24.62	-	-
वास्तविक कंपनी योगदान (उपदान ट्रस्ट और एलआईसी द्वारा काटे गए शुल्क को छोड़कर दिया गया योगदान)	24.32	-	-	32.39	-	-
वास्तविक लाभ/(हानि)	-	-	-	-	-	-
दिए गए लाभ	(20.72)	-	-	(44.71)	-	-
वर्ष के अंत में योजित परिसंपत्तियाँ	**371.87**	-	-	**341.48**	-	-
योजित परिसंपत्तियों पर वास्तविक लाभ	26.79	-	-	24.62	-	-
योजित परिसंपत्तियों की संरचना इस प्रकार है:						
सरकारी बांड	50%	-	-	50%	-	-
पीएसयू बांड	45%	-	-	45%	-	-
इक्विटी एवं इक्विटी संबंधी निवेश	5%	-	-	5%	-	-
अन्य	0%	-	-	0%	-	-
वास्तविक धारणाएं						
छूट दर	7.75%	7.75%	7.75%	7.75%	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों पर अपेक्षित लाभ	8.13%	लागू नहीं	लागू नहीं	8.25%	लागू नहीं	लागू नहीं
वेतन वृद्धि	8.50%	3.00%	8.50%	8.50%	3.00%	8.50%
क्षयण (एट्रीशन)	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%	1.00%
चिकित्सा मुद्रास्फीति	लागू नहीं	5.00%	लागू नहीं	लागू नहीं	5.00%	लागू नहीं
मृत्यु तालिका	भारतीय आश्वासित जीवन (2006-08) अंतिम मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन (2006-08) अंतिम मृत्यु दर एवं एलआईसी वार्षिक वेतन (1996-98) अंतिम मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन (2006-08) अंतिम मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन (2006-08) अंतिम मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन (2006-08) अंतिम मृत्यु दर एवं एलआईसी वार्षिक वेतन (1996-98) अंतिम मृत्यु दर	भारतीय आश्वासित जीवन (2006-08) अंतिम मृत्यु दर

(₹ दस लाख में)

	विवरण				
अनुभव समायोजन	2018-19	2017-18	2016-17	2015-16	2014-15
उपदान					
डीबीओ का वर्तमान मूल्य	389.45	357.02	362.20	291.71	274.86
योजित परिसंपत्तियों का उचित मूल्य	(371.87)	(341.48)	(329.18)	(280.44)	(258.27)
निधि स्थिति [(अधिशेष/(घाटा)]	(17.58)	(15.54)	(33.02)	(11.27)	(16.59)
सेवा निवृत्ति पश्चात चिकित्सा लाभ योजना (पीआरएमबीएस)					
डीबीओ का वर्तमान मूल्य	69.98	71.19	73.38	76.84	76.86
अन्य परिभाषित लाभ योजनाएं (अवकाश नकदीकरण)					
डीबीओ का वर्तमान मूल्य	419.02	379.07	366.17	280.18	246.31

(₹ दस लाख में)

	31 मार्च 2019 को समाप्त वर्ष के लिए	31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष के लिए
लंबी अवधि की प्रतिपूरक अनुपस्थिति की बीमांकिक पूर्वधारणाएं		
छूट दर	7.75%	7.75%
योजित परिसंपत्तियों का संभावित प्रतिलाभ	8.13%	8.25%
वेतन वृद्धि	8.50%	8.50%
क्षयण (एट्रीशन)	1.00%	1.00%

छूट दर कर्तव्यों की अनुमानित अवधि के लिए तुलन पत्र की तारीख के अनुसार भारत सरकार की प्रतिभूतियों के मौजूदा बाजार लाभ पर आधारित हैं।

भविष्य की वेतन वृद्धियों के अनुमान में मुद्रास्फीति, वरिष्ठता, पदोन्नति, वेतन वृद्धि तथा अन्य सम्बद्ध घटकों को माना गया है।

बोर्ड द्वारा वित्तीय वर्ष 2019-20 के दौरान किए जाने वाले योगदान निर्धारित नहीं किए गए हैं।

6. लेखा मानक 18 के अनुसार 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिए संबंधित पार्टी तथा उनसे लेन–देन का प्रकटीकरण

क) सम्बंधित पार्टी तथा उनका संबंध

1) पूर्णतः स्वामित्व सहायक कंपनियाँ
आईडीएमसी लिमिटेड
इण्डियन इम्युनोलॉजिकल्स लिमिटेड
मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड
एनडीडीबी डेरी सर्विसिस
प्रिस्टीन बायोलॉजिकल्स (न्यूजीलैंड) लिमिटेड (इंडियन इम्यूनोलॉजिकल्स की पूर्णतः स्वामित्व सहायक कंपनी)

2) अन्य उद्यम जहाँ प्रबन्ध तंत्र का उनके प्रबन्धन में महत्वपूर्ण प्रभाव है
पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लि.
पशु प्रजनन अनुसंधान संगठन (भारत)
आनन्दालय शिक्षा सोसाइटी
झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ लि.
एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रीशन

3) महत्वपूर्ण प्रबंधन कार्मिक

श्री दिलीप रथ	अध्यक्ष
श्री संग्राम आर चौधरी	कार्यपालक निदेशक
श्री वाय वाय पाटिल	कार्यपालक निदेशक

ख) सम्बंधित पार्टियों के साथ लेन–देन

(इटेलिक में दिये गए आँकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

विवरण	ब्याज से आय	इक्वीटी शेयरों की खरीद	लाभांश	किराया (आय)	बिक्री (अन्य)	अन्य आय	अनुदान	अन्य व्यय	चालू खाते का शेष बकाया डे./(क्रे.)	वितरित ऋण	चुकाया ऋण/ समायोजित		ऋण शेष बकाया डे./(क्रे.)
											मूल	ब्याज	
सहायक कम्पनियाँ													
आईडीएमसी लिमिटेड	35.39	-	24.29	0.55	-	0.13	-	7.75	(7.91)	109.08	160.00	13.39	384.16
	26.30	-	*18.22*	*0.46*	-	*0.12*	-	-	*0.25*	*175.08*	-	*21.39*	*435.08*
इण्डियन इम्युनोलॉजिकल्स लिमिटेड	66.10	-	18.00	26.65	-	0.37	-	5.50	5.75	250.00	124.16	58.45	929.65
	77.61	-	*9.00*	*31.03*	-	*0.08*	-	-	*(8.91)*	-	*212.10*	*68.28*	*803.81*
मदर डेरी फ्रूट एण्ड वेजिटेबल प्राइवेट लिमिटेड	-	18.00	100.00	110.23	-	1.51	-	0.25	81.71	-	-	-	-
	-	-	*200.00*	*104.84*	-	*2.42*	-	*3.15*	*113.11*	-	-	-	-
एनडीडीबी डेरी सर्विसिस	-	-	-	3.17	-	0.62	-	0.64	0.37	-	125.00	-	625.00
	0.01	-	-	*2.45*	-	*1.04*	-	-	*0.07*	-	*125.00*	-	*750.00*
योग	**101.49**	**18.00**	**142.29**	**140.60**	**-**	**2.63**	**-**	**13.96**	**79.92**	**359.08**	**409.16**	**71.84**	**1,938.81**
	103.92	-	*227.22*	*138.78*	-	*3.66*	-	*3.15*	*104.52*	*175.08*	*337.10*	*89.67*	*1,988.89*
अन्य उद्यम जहाँ प्रबन्ध तंत्र का प्रबन्धन में महत्वपूर्ण प्रभाव है													
पश्चिम असम दूध उत्पादक सहकारी संघ लि.	-	-	-	0.97	-	4.50	0.19	0.33	1.71	-	1.23	-	2.44
	0.22	-	-	-	-	*1.88*	-	*0.03*	*0.79*	*15.00*	*16.23*	*0.22*	*3.68*
पशु प्रजनन अनुसंधान संगठन	-	-	-	-	-	0.82	-	-	0.25	-	-	-	-
	-	-	-	*0.01*	*0.01*	*0.86*	-	*0.06*	*0.06*	-	-	-	-
आनन्दालय शिक्षा सोसाइटी	-	-	-	0.63	-	0.01	-	0.01	0.14	-	-	-	-
	-	-	-	*0.45*	-	*0.01*	-	-	*0.14*	-	-	-	-
झारखंड राज्य सहकारी दूध उत्पादक महासंघ लिमिटेड	-	-	-	0.25	-	1.26	0.26	0.12	0.66	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	*1.35*	*1.00*	-	*0.43*	-	-	-	-
योग	**-**	-	**-**	**1.85**	**-**	**6.59**	**0.45**	**0.46**	**2.76**	**-**	**1.23**	**-**	**2.44**
	0.22	**-**	**-**	***0.46***	***0.01***	***4.10***	***1.00***	***0.09***	***1.42***	***15.00***	***16.23***	***0.22***	***3.68***

प्रमुख प्रबंधन कार्मिकों को पारिश्रमिक

श्री दिलीप रथ	3.58
	3.54
श्री संग्राम आर चौधरी	4.15
	3.97
श्री वाय वाय पाटिल	3.92
	4.14
योग	**11.65**
	11.65

7. लेखा मानक 19 के अनुसार, 'लीज़' (पट्टे) का प्रकटीकरण (संदर्भ संलग्नक VIII):

निम्नलिखित परिसंपत्तियों के लिए बोर्ड के द्वारा पट्टादाता (लेसर) के रूप में लीज व्यवस्था संचालन:

(क) पट्टे पर दी गई परिसंपत्तियों की प्रकृति

(₹ दस लाख में)

परिसंपत्तियों की श्रेणी	31 मार्च 2019 को परिसंपत्तियों का सकल मूल्य	वर्ष के लिए मूल्यह्रास	31 मार्च 2019 को संचित मूल्यह्रास
भवन एवं मार्ग#	1,637.69	43.26	910.44
	1,621.08	*43.01*	*872.68*
बिजली स्थापन#	31.71	1.40	24.80
	31.55	*1.24*	*23.41*
फर्नीचर, फिक्स्चर, कंप्यूटर्स, सॉफ्टवेयर एवं कार्यालय उपकरण	7.92	0.16	7.66
	7.92	*0.16*	*7.50*
रेल दूध टैंकर	331.13	13.11	213.12
	194.55	-	*194.55*
योग	**2,008.45**	**57.93**	**1,156.02**
	1,855.10	***44.41***	***1,098.14***

#स्टाफ क्वार्टर तथा कोल्ड स्टोरेज शामिल हैं।
(इटैलिक में लिखे गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

पट्टेदाता (लीज़ी) को पूर्व नोटिस देकर इन व्यवस्थाओं को रद्द किया जा सकता है।

(ख) लीज़ प्रबंधों से संबंधित आरंभिक प्रत्यक्ष लागत को लीज़ प्रबंध के वर्ष के आय एवं व्यय लेखा में प्रभारित किया गया है।

(ग) महत्वपूर्ण लीज़ प्रबंध:

अनुबंध के नवीनीकरण अथवा निरस्तीकरण के विकल्प के साथ, उपर्युक्त सभी परिसंपत्तियों को सहायक कंपनियों, महासंघों तथा अन्य को लीज़ पर दिया गया है।

8. आस्थगित कर परिसंपत्तियों को लेखा मानक 22 – 'आय पर कर गणना' के अनुसार माना गया है। विवरण इस प्रकार है :

(₹ दस लाख में)

विवरण	1 अप्रैल 2018 को आरंभिक शेष	वर्ष के दौरान समायोजन	31 मार्च 2019 को अंत शेष
आस्थगित कर परिसंपत्तियाँ / (देयताएं):			
मूल्यह्रास	(3.44)	(4.47)	(7.90)
	(8.54)	*5.10*	*(3.44)*
भुगतान के आधार पर स्वीकार्य व्यय	136.61	23.33	159.94
	127.75	*8.86*	*136.61*
उपदान	5.43	0.71	6.14
	11.43	*(6.00)*	*5.43*
स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना	6.55	(3.42)	3.13
	10.56	*(4.01)*	*6.55*
विशेष आरक्षित निधि	(436.05)	(48.26)	(484.31)
	(380.43)	*(55.62)*	*(436.05)*
योग	**(290.90)**	**(32.10)**	**(323.00)**
	(239.23)	***(51.67)***	***(290.90)***

(इटैलिक में लिखे गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

9 लेखा मानक 29 के अनुसार–'प्रावधान, आकस्मिक देयताओं तथा आकस्मिक परिसंपत्तियों का प्रकटीकरण' निम्न प्रकार है:

(₹ दस लाख में)

विवरण	अलाभकर परिसंपत्तियाँ (एनपीए)	मानक परिसंपत्तियों पर सामान्य आकस्मिकता	आकस्मिकता
आरम्भिक शेष	1,082.41	55.28	585.39
	1,890.89	*30.20*	*610.49*
वर्ष के दौरान आकस्मिकता से निर्मित	0.15	24.00	(24.15)
	0.02	*25.08*	*(25.10)*
प्राप्त करने योग्य ब्याज को बट्टे खाते में डालना	-	-	-
	(408.24)	-	-
वर्ष के दौरान वापस किया गया/संचालन	(6.84)	-	-
	(400.26)	-	-
अंत शेष	**1,075.72**	**79.28**	**561.24**
	1,082.41	***55.28***	***585.39***

(इटैलिक में लिखे गए आंकड़े पिछले वर्ष के हैं।)

10 31 मार्च 2019 तक ₹ 1.87 मिलियन का बकाया था और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के अंतर्गत सूक्ष्म एवं लघु उद्यम के रूप में वर्गीकृत प्रविष्टियों का बकाया देय नहीं था।

11 गत वर्ष के आँकड़ें आवश्यकतानुसार पुनः समूहित / पुनः व्यवस्थित किए गए हैं।

हमारी समसंख्यक तारीख की संलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते बोरकर एंड मजुमदार
सनदी लेखाकार
फर्म की पंजीकरण सं. 101569 डब्ल्यू

बोर्ड के लिए और बोर्ड की ओर से

देवांग वघानी
भागीदार
सदस्यता सं.:109386

दिलीप रथ
अध्यक्ष

अरूण रास्ते
कार्यपालक निदेशक
(लेखा)

एस रघुपति
महाप्रबंधक

मुंबई, 15 जुलाई, 2019

आणंद 21 जून, 2019

राष्ट्रीय डेरी विकास बोर्ड के अधिकारी (31 मार्च 2019 की स्थिति)

मुख्यालय, आणंद

अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यपालक

दिलीप रथ,
एमए (अर्थशास्त्र), एमएससी (अर्थशास्त्र)

कार्यपालक निदेशक

संग्राम आर चौधरी,
एमएससी, पीजीडीआरएम

वाय वाय पाटिल,
बीकॉम, एलएलबी, पीजीडीआरडीएम, आईसीडब्ल्यूए (इंटर), एसएएस (वाणिज्य)

मुख्य कार्यपालक का कार्यालय

टी वी बालासुब्रमण्यम
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, एलएलबी (सामान्य)

राजेश कुमार
प्रबंधक, बीए (अर्थ.), पीजीडीआरएम

वित्तीय एवं योजना सेवाएं

संजय कुमार गुप्ता
महाप्रबंधक, बीई (इलेक्ट्रिकल), एमबीए (वित्त)

धरा एन लखानी
उप महाप्रबंधक, एमकॉम, एसीएमए

के मानेक
उप महाप्रबंधक, बीकॉम, एआईसीडब्ल्यूए

चिंतन खाखरियावाला
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (केम), एमबीए (वित्त)

पी वी सुब्रह्मण्यम
प्रबंधक, बीबीएम, एमबीए (वित्त)

काहनू सी बेहेरा
प्रबंधक, बीएससी (कृषि), पीजीडीआरएम

स्मृति सिंह
प्रबंधक, बीए (अंग्रेजी), पीजीडीएम (विपणन एवं मा.सं.)

चंदन सिंह
प्रबंधक,बीएससी (जू), पीजीडीएम (विपणन एवं वित्त)

रोहन बी बुच
प्रबंधक, बीकॉम, एमबीए (वित्त)

चांदनी सी पटेल
प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीबीएम (ई-कॉम), एमबीए (वित्त)

शिल्पा पी बेहेरे
प्रबंधक, बीएमएस, पीजीडीआरएम

सौरभ कुमार
प्रबंधक, बीटेक (इलेक्ट एण्ड कॉम.), पीजीडीएम

रीति
प्रबंधक, बीएससी (जू), पीजीडीएम (वित्त एवं विपणन)

श्वेता एन रामटेके
उप-प्रबंधक, बीपीटीएच, पीजीडीआरएम

आशीष सिजेरिया
उप-प्रबंधक, बीई (इलेक्ट्रानिक्स), पीजीडीआरएम

सहकारिता सेवाएं

एनडीडीबी, आणंद

राजेश गुप्ता
उप महाप्रबंधक, बीएससी, एमएसडब्ल्यू

एम जयकृष्णा
वरिष्ठ प्रबंधक, एमए (अर्थशास्त्र), एमफिल (अर्थशास्त्र), पीएचडी (अर्थशास्त्र)

धनराज साहनी
वरिष्ठ प्रबंधक, एमबीए (विपणन), डीपीसीएस

हृषिकेश कुमार
प्रबंधक, बीएससी (भौतिकी), पीजीडीआरएम

निरंजन एम कराड़े
प्रबंधक, बीई (मेक), पीजीडीआरएम

संदीप भारती
प्रबंधक, बीएससी, पीजीडीडीएम

भीमाशंकर शेटकर
प्रबंधक, बीई (उत्पादन), पीजीडीआरडीएम

डेन्जिल जे डायस,
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमटेक (डीटी)

प्रीत मिस्त्री
उप प्रबंधक, बीएससी (बायोटेक), एमएससी (मेड. बायोटेक), पीजीडीआरएम

मिलन सांघवी
उप प्रबंधक, बीई (इलेक्ट. एवं कॉम), पीजीडीआरएम

गुणवत्ता आश्वासन

डी के शर्मा
महाप्रबंधक, एमएससी (डेरी माइक्रो), पीएचडी (डेरी बैक्टीरियोलॉजी)

आर एस लहाने
महाप्रबंधक, बीटेक (केम), पीजीडीआरएम

सुरेश पहाड़िया
प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमएससी (डेरिंग)

ज्योतिस जे मझुवनचेरी
उप प्रबंधक, बीटेक (डेरी विज्ञान तथा प्रौ.), एमएससी (डीटी)

जगदीश नायका
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमटेक (खाद्य प्रौ.)

नवीनकुमार एसी
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमटेक (डेरी माइक्रो)

उत्पाद तथा प्रक्रिया विकास

डी के शर्मा
महाप्रबंधक, एमएससी (डेरी माइक्रो),पीएचडी (डेरी बैक्टीरियोलॉजी)

ए के जैन
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (डीटी), एमएससी (डेरिंग)

जितेन्दर सिंह
वैज्ञानिक II, बीएससी, एमएससी (माइक्रो), पीएचडी (डेरी माइक्रो)

सौगता दास
वैज्ञानिक II, बीटेक (डीटी), एमएससी (डेरी माइक्रो)

हरेन्द्र पी सिंह
वैज्ञानिक II, बीटेक (डीटी), एमएससी (डेरी केम)

विशालकुमार बी त्रिवेदी
वैज्ञानिक I, बीटेक (डीटी), एमटेक (डीटी)

ललिता मोदी
वैज्ञानिक I, बीटेक (डीटी), एमटेक (डीटी)

समन्वय तथा निगरानी प्रकोष्ठ

मीनेश सी शाह
महाप्रबंधक, बीएससी (डीटी), पीजीडीआरडीएम

वी के लधानी
उप महाप्रबंधक, एमकॉम, एसएएस (वाणिज्य), आईसीडब्ल्यूए (इंटर)

एम आर मेहता
उप महाप्रबंधक, एमएससी (सांख्यिकी), डिप्लोमा (कम्प्यूटर साइंस)

अरविंद कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि विपणन तथा सहकार)

नवीन कुमार
प्रबंधक, एमएससी (पर्या. विज्ञान), एमटेक (पर्या. विज्ञान एवं इंजी.), एमएससी (पर्या. मोड तथा प्रबंधन)

हेमाली भारती
प्रबंधक, बीई (पॉवर इलेक्ट), एमबीए (वित्त)

आशुतोष के मिश्रा
प्रबंधक, बीएससी (ईएण्डआई), पीजीडीबीए (वित्त)

सर्वेश कुमार
प्रबंधक, बीएससी (कृषि एवं एएच), एमएससी (डेरी इको), पीएचडी (डेरी इको)

राजेश सिंह
प्रबंधक, बीसीए, पीजीडीएम (विपणन एवं वित्त)

रवीन्द्र जी रामदासिया
प्रबंधक, एमकॉम, सीए, सीएस

निकित बंसल
उप प्रबंधक, बीकॉम, सीए

सुदर्शना
उप प्रबंधक, एमकॉम, सीए

फ्रेडरिक सेबस्टियन
उप प्रबंधक, एमए (डेव स्टडीज), पीजीडीडीएम, पीजीसीएमआरडीए

मानव संसाधन विकास

ललित पी करन
महाप्रबंधक, बीएससी, पीजीडीपीएम

एस एस गिल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (भूगोल), एमएसडब्ल्यू, पीएचडी (एसडब्ल्यू), डिप्लोमा (प्रशिक्षण एवं विकास)

के एम शाह
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, एलएलबी (सामान्य), एलएलबी (विशेष), डीटीपी

मोहन चन्दर जे
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मेक.), एमटेक (मा.सं.वि.)

बी जे हजारिका
प्रबंधक, बीएससी (सांख्यिकी), एमबीए

समीर डुंगडुंग
उप प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीएम-एचआरएम

सहकारिता प्रशिक्षण

अशोक कुमार गुप्ता
उप महाप्रबंधक,एमएससी (कृषि), पीजीसीएचआरएम

गुलशन कुमार शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए, डिप्लोमा (होटल प्रबंधन)

अनिन्दिता बैद्य
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (बॉटनी), पीजीडीआरडी

आर मजुमदार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि), पीजीडीआरएम

एस महापात्रा
प्रबंधक, बीए, (मनो) एलएलबी, पीजीडीएम

टी प्रकाश
प्रबंधक, एमए (डेव. एडमिन)

निम्मी टोपनो
उप प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीएम-एचआरएम

राहुल आर
उप प्रबंधक, बीटेक (सीएस), एमबीए (सिस्टम)

मानसिंह प्रशिक्षण संस्थान, महेसाणा

एस एस सिन्हा
उप महाप्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

हितेन्द्रसिंह राठोड
प्रबंधक, डीईई

दुष्यन्त देसाई
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी)

अरविंद कुमार यादव
उप प्रबंधक, बीटेक (मेक), एमबीए (इन्फ्रा)

हितेन्द्रकुमार बी रावल
उप प्रबंधक, बीटेक (डेरी एण्ड फूड टेक), एमटेक (डीटी)

क्षेत्रीय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र, इरोड

एम गोविंदन
उप महाप्रबंधक, एमए (एसडब्ल्यू), एमबीए

टी पी अरविंद
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एंड एएच, एमवीएससी (वेट माइक्रो)

करुप्पानासामी के
उप प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (वेटी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्सटेट्रिक्स)

क्षेत्रीय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र, जालंधर

पराग आर पांड्या
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमबीए (एचआरएम)

नारायण के नानोटे
वरिष्ठ प्रबंधक, डिप्लोमा-कृषि, बीवीएससी एण्ड एएच

रमेश कुमार
उप प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (एलपीएम)

क्षेत्रीय प्रदर्शन एवं प्रशिक्षण केंद्र, सिलीगुड़ी

श्रीकांत साहू
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, बीवीएससी एण्ड एएच, एमबीए

चैताली चटर्जी
प्रबंधक, बीए, एमए (तुलनात्मक साहित्य)

कमलेश प्रसाद
प्रबंधक, डीएमएलटी, बीएससी, बीवीएससी एण्ड एएच

ऋतुराज बोराह
प्रबंधक, बीवीएससी एंड एएच, एमवीएससी

सूचना तथा संचार प्रौद्योगिकी

एवी रामचन्द्र कुमार
महाप्रबंधक, बीई (कम्प्यू. इंजी.), पीजीडीएम

एस करुणानिधि
वरिष्ठ प्रबंधक, डीईई

आर के जादव
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (भौतिकी), एमसीए, पीजीडीएम

सुप्रिय सरकार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (गणित), एमसीए

विपुल गोंडलिया
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इलैक्ट्रॉनिक्स)

रीतेश के चौधरी
प्रबंधक, बीई (कम्प्यूटर साइंस), पीजीडीबीएम

राकेश आर मानिया
प्रबंधक, बीई (ईसीई)

मितेश सी पटेल
प्रबंधक, बीई (आईटी)

अनिल एम अदरोजा
प्रबंधक, बीई (आईटी)

अशोक कुमार साहनी
प्रबंधक, बीई (सीएसई)

साकिब खान
उप प्रबंधक, एमसीए

कार्तिक आर व्यास
उप प्रबंधक, बीएससी (कम्प्यूटर साइंस), एमसीए

सोहेल ए पठान
उप प्रबंधक, बीई (आईटी), एमई (सीएसई)

मीत जे कुलकर्णी
उप प्रबंधक, बीएससी (भौतिकी), एमसीए

जय वाई बारोट
उप प्रबंधक, बीटेक (कंप्यू. इंजी)

क्षेत्रीय विश्लेषण एवं अध्ययन

जी चोक्कालिंगम
महाप्रबंधक, एमएससी (कृषि सांख्यिकी), पीजीडी (कृषि सांख्यिकी)

जी जी शाह
उप महाप्रबंधक, एमएससी (सांख्यिकी)

एस मित्रा
उप महाप्रबंधक, बीएससी (इलेक्ट. इंजी), पीजीडीआरएम

जे जी शाह
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इलेक्ट), एमबीए, पीएचडी (प्रबंधन), डिप्लोमा (निर्यात प्रबंधन)

अरूण चंडोक
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, पीजीडी (आईआरपीएम), डीसीएस

बिश्वजीत भट्टाचारजी
प्रबंधक, बीएससी (कृषि), एमएससी (कृषि अर्थ)

मुकेश आर पटेल
प्रबंधक, बीएससी, एमएससी (कृषि)

दर्श के वोराह
प्रबंधक, बीएससी (माइक्रो), एमएससी (पर्यावरण विज्ञान), प्रमाणपत्र जीआईएस

विनय ए पटेल
प्रबंधक, बीटेक (बायोमेड), एमबीए (विपणन)

आयुष कुमार
प्रबंधक, बीटेक (जेनेटिक इंजी), पीजीडीएम

क्रय

ओ पी सचान
महाप्रबंधक, बीटेक (केम.), एमबीए (वित्त)

नितिन एम शिंकर
उप महाप्रबंधक, बीई (मेटल), एमपीबीए (ओ एवं एम प्रबंधन)

बी सेकर
उप महाप्रबंधक, एमकॉम, पीजीडीएमएम

सौगत भार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मेक)

नरेन्द्र एच पटेल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मेक)

कृष्णा एस वाई
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मेक), एमटेक (उत्पा. प्रबंधन)

मेना एच पगधर
प्रबंधक, बीएससी, एमसीए

मोहम्मद नसीम अख्तर
प्रबंधक, बीई (मेक)

नीलेश के पटेल
प्रबंधक, बीई (उत्पादन)

भद्रसिंह जे गोहिल
प्रबंधक, बीई (मेक.)

अमोल एम जाधव
प्रबंधक, बीई (मेक.)

निधि त्रिवेदी
प्रबंधक, बीएससी (बॉटनी), एमएसडब्ल्यू

भरत सिंह
प्रबंधक, बीटेक (मेक)

हिमांशु के रत्नोत्तर
प्रबंधक, बीई (उत्पा.), पीजीडी (ऑप. प्रबंधन)

जनसंपर्क एवं संचार

अभिजीत भट्टाचारजी
उप महाप्रबंधक, बीएससी, एलएलबी, पीजीडीआरडी

बसुमन भट्टाचार्य
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (बॉटनी), एमए (पत्रकारिता), सामाजिक संचार में डिप्लोमा (फिल्म निर्माण)

दिव्यराज आर ब्रह्मभट्ट
प्रबंधक, बीए (अंग्रेजी), पीजीडीबीए, एमबीए (जनसंपर्क)

सर्वेश स्याल
उप प्रबंधक, बीई (आईटी), एमबीए (जनसंपर्क)

एनडीडीबी, नोएडा

अनंतपद्मनाभन एस एन
उप महाप्रबंधक, बीएससी, बीजीएल, पीजीडी (पीएम एण्ड आईआर), पीजीडीआरडीएम

अभियांत्रिकी सेवाएं

जे एस गांधी
महाप्रबंधक, बीई (सिविल)

जी राजगोपाल
उप महाप्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

पी साहा
उप महाप्रबंधक, बीटेक (कृषि अभियांत्रिकी)

संतोष सिंह
उप महाप्रबंधक, बीटेक (सिविल)

एस गोस्वामी
उप महाप्रबंधक, बीई (मेक.), पीजीडीआरडीएम

यू बी दास
उप महाप्रबंधक, बीई (मेक.)

जी एस सरवारायुडु
उप महाप्रबंधक, बीटेक (सिविल)

वी श्रीनिवास
उप महाप्रबंधक, बीई (सिविल)

एस चंद्रशेखर
उप महाप्रबंधक, बीई (मेक.)

एस तालुकदार
उप महाप्रबंधक, बीई (मेक.), एमआईई

एस के नासा,
उप महाप्रबंधक, बीई (सिविल)

जसबीर सिंह
उप महाप्रबंधक, बीटेक (कृषि अभि.), एमटेक (पोस्ट हार्वेस्ट टेक)

चन्द्र प्रकाश
वरिष्ठ प्रबंधक, बीटेक (मेक.)

शशिकुमार बी एन
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (ईईई), पीजीडीआरडीएम

आर सौंधरराजन
वरिष्ठ प्रबंधक, एएमआईई (मेक)

पी रमेश
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (मेक), पीजीसीपीएम

के एस पटेल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (सिविल), एमबीए (मा.सं.वि एवं वित्त)

शैलेन्द्र मिश्रा
वरिष्ठ प्रबंधक, डिप्लोमा (सिविल), डिप्लोमा (निर्माण प्रौ.)

गोपाल के नारंग
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (सिविल), डीआईपी-एमसीएम

मिहिर बी बगरिया
प्रबंधक, डीसीई, बीई (सिविल), एमबीए (वित्त)

सचिन गर्ग
प्रबंधक, बीई (इलेक्ट.), पीजीडीबीए

सुब्रता चौधरी
प्रबंधक, डीसीई, एएमआईई (सिविल)

मनोज कुमार
प्रबंधक, बीटेक (मेक)

डी बी लालचंदानी
प्रबंधक, बीई (मेक), एमबीए (ऑपरेशन)

कौशिक रॉय
प्रबंधक, बीटेक (इले.)

सुनंद कुमार एन
प्रबंधक, बीटेक (मेक), एमटेक (मैट, एससी एंड टेक)

निकेश वी मोरे
प्रबंधक, बीई (आई एण्ड सीई)

श्रेयस जैन
प्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

अभिषेक गुप्ता
प्रबंधक, बीई (मेक)

प्रकाश ए मकवाना
प्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

बिभास बिस्वास
प्रबंधक, डिप्लोमा (सिविल), डीबीएम

निरंत एस सोनगांवकर
उप प्रबंधक, बीई (सिविल)

वत्सल पटेल
उप प्रबंधक, बीई (मेक)

विवेक जैसवाल
उप प्रबंधक, बीई (सिविल)

सुमित शेखर
उप प्रबंधक, बीई (मेक)

शांतनु कुमार शुक्ला
उप प्रबंधक, बीटेक (पर्या. इंजी), एमबीए (ईएमएस)

सचिन ए सरवाइया
उप प्रबंधक, बीई (मेक.)

अलार्क एस कुलकर्णी
उप प्रबंधक, बीई (इंस्ट्र), एमटेक (बायोटेक)

राहुल कुमार
उप प्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

निकुंजकुमार एन परमार
उप प्रबंधक, बीई (सिविल)

अजमेर डेरी विस्तार परियोजना, अजमेर

पी बालाजी
प्रबंधक, बीई (सिविल)

आदित्य शर्मा
प्रबंधक, बीटेक (सिविल), एमटेक (सीपीएम)

बलबीर शर्मा
प्रबंधक, डीईई, बीटेक (इलेक्ट)

सतेन्द्र सिंह गुर्जर
प्रबंधक, बीई (मेक)

एंथ्रेक्स परियोजना, आईवीपीएम, रानीपेट

एफ प्रदीप राज,
उप प्रबंधक, बीई (सिविल)

एसेप्टिक पैकेजिंग स्टेशन, बस्सी पठाना

जसदेव सिंह
प्रबंधक, बीटेक (इलेक्ट), एमटेक (उर्जा अभि.)

पृथ्वी पतनेनी,
उप प्रबंधक, बीटेक (सिविल)

भुवनेश्वर डेरी परियोजना, भुवनेश्वर

बिभु प्रसाद जेना,
प्रबंधक, बीई (सिविल)

सौम्य रंजन मिश्रा,
उप प्रबंधक, बीई (इलेक्ट.)

अभिषेक सिंघल,
उप प्रबंधक, बीटेक (सिविल)

जैव-सुरक्षा प्रयोगशाला परियोजना स्थल, तनुवास, चेन्नई

सैयद अब्दुल राशिद
उप प्रबंधक, बीई (मेक)

पशु आहार संयंत्र परियोजना, कोल्हापुर

धर्मेन्द्र के बेहेरा,
प्रबंधक, बीई (मेक), एमबीए (मार्केटिंग एण्ड सिस्ट)

पशु आहार संयंत्र परियोजना, राजकोट

गौतम कुमार झा
उप प्रबंधक, बीई (सिविल)

देवघर डेरी परियोजना, सारथ

गौरव सिंह
प्रबंधक, बीटेक (सिविल)

फ्लेक्सी पाउच यूएचटी दूध संयंत्र परियोजना, चेन्नई

यू सुंदरा राव
प्रबंधक, डीईई, बीटेक (ईईई)

हिमिकृत वीर्य केंद्र परियोजना, पूर्णिया

आशीष रवि
उप प्रबंधक, बीटेक (सिविल)

संतोष पाटीदार
उप प्रबंधक, बीई (सिविल)

गोकुल डेरी विस्तार परियोजना, कोल्हापुर

रबीन्द्र के बेहेरा
प्रबंधक, बीई (सिविल)

बुनियादी ढांचा विस्तार परियोजना, इरमा, आणंद

प्रतीक के अग्रवाल
उप प्रबंधक, बीई (सिविल)

जयपुर डेरी विस्तार परियोजना, जयपुर

भूषण पी कापशिकर
प्रबंधक, बीई (सिविल)

अक्षय मंडोरा
उप प्रबंधक, बीई (मेक)

जलगांव डेरी विस्तार परियोजना, जलगांव

बलराम निबोरिया
प्रबंधक, बीटेक (सिविल),

सुरजीत के चौधरी
उप प्रबंधक, बीई (मेक),

लुधियाना डेरी विस्तार परियोजना, लुधियाना

कृष्ण देव
उप प्रबंधक, बीटेक (सिविल), एमटेक (जियोटेकनिकल)

पलामू डेरी परियोजना, पलामू

प्रदीप लायक
प्रबंधक, बीटेक (इलेक्ट),

सागर डेरी परियोजना, सागर

सुधीर कुमार गंगल
प्रबंधक, डीसीई, बीई (सिविल)

साहेबगंज डेरी परियोजना, साहेबगंज

धीरज बी टेमभुर्ने
प्रबंधक, बीई (सिविल)

तुषार एस चवान
उप प्रबंधक, बीई (मेक)

सेंधवा डेरी परियोजना, सेंधवा

चरन सिंह
उप प्रबंधक, डिप्लोमा (सिविल), बीटेक

अंशुल चौरसिया
उप प्रबंधक, बीई (मेक)

पाउडर संयंत्र एवं डेरी परियोजना स्थल, हिम्मतनगर

मनोज गोठवाल
प्रबंधक, बीई (सिविल)

धवल ए पांचाल
प्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

शैलेश एस जोशी
प्रबंधक, बीई (मेक)

तारक रजनी
प्रबंधक, बीई (सिविल)

उडुपी स्वचालित डेरी परियोजना, उप्पूर

जीजो जॉन
उप प्रबंधक, बीई (मेक)

आशुतोष सामल
उप प्रबंधक, बीटेक (सिविल),

पशु प्रजनन

आर ओ गुप्ता
महाप्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी (मेडि.)

जी किशोर
उप महाप्रबंधक, बीवीएससी, एमएससी (डेरिंग, पशु अनु. एवं प्रजनन)

एस गोरानी
उप महाप्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी (वेटी गायनेकोलॉजी एवं ऑब्सटेट्रिक्स), पीजीडीएमएम

सुजित साहा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (कृषि), एमएससी (डेरिंग), पीएचडी (पशु अनु. एवं प्रजनन), एमबीए (विपणन)

एन जी नाई
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी (पशु प्रजनन)

आर के श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (गणित), पीजीडीसीए, एमसीए

संतोष के शर्मा
प्रबंधक, बीवीएससी एंड एएच, पीजीडीआरएम

ए सुधाकर
प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी, पीएचडी (पशु प्रजनन)

रनमल एम अम्बालिया
प्रबंधक, बीई (कम्प्यू इंजी.)

बी वसंथ नायक
प्रबंधक, बीटेक (सीएस एण्ड आईटी), एमटेक (सीएसई)

स्वप्निल जी गज्जर
प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी (पशु अनु. एवं प्रजनन)

कृष्णा एम बेयुरा
प्रबंधक, बीवीएससी एंड एएच, एमबीए (ग्रामीण प्रबंधन)

शिराज एम शेरसिया
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमबीए (कृषि व्यवसाय)

सुरभि गुप्ता
उप प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, पीजीडीआरएम

सिद्धार्थ एस लायक
उप प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (एलपीएम), पीएचडी (एलपीएम)

पशु स्वास्थ्य

एस के राणा
महाप्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (माइक्रो.), पीएचडी (माइक्रो.)

ए वी हरि कुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (माइक्रो.)

के भट्टाचार्य
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी (माइक्रो)

पंकज दत्ता
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (माइक्रो)

श्रोफ सागर आई
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी, (माइक्रो)

संदीप कुमार दाश
उप प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (माइक्रो), पीएचडी (वेट माइक्रो)

एनडीडीबी अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला, हैदराबाद

पोनन्ना एन एम
वैज्ञानिक III,बीएससी (कृषि), एमएससी (माइक्रो), पीएचडी (बायोटेक)

लक्ष्मी नारायण सारंगी
वैज्ञानिक I, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (वेटी. माइक्रो.), पीएचडी (वेट. वाइरोलॉजी)

के एस एन एल सुरेन्द्र
वैज्ञानिक I, बीएससी, एमएससी (बायोटेक)

अमितेश प्रसाद
वैज्ञानिक I, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (माइक्रो)

विजय एस बाहेकर
वैज्ञानिक I, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (माइक्रो)

पशु पोषण

वी श्रीधर
महाप्रबंधक, बीवीएससी एंड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण), एमबीए

ए के वर्मा
उप महाप्रबंधक, बीटेक (कृषि इंजी)

ए के श्रीवास्तव
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि)

राजेश शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि), पीएचडी (एग्रो)

दिग्विजय सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि), पीएचडी (एग्रो)

एन आर घोष
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमएससी (पशु पोषण)

पंकज एल शेरसिया
वैज्ञानिक III, बीवीएससी, एमवीएससी (पशु पोषण), पीएचडी (पशु पोषण)

प्रीतम के सैकिया
प्रबंधक, बीवीएससी एंड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

मयंक टंडन
प्रबंधक, बीएससी, एमएससी कृषि (पशु पोषण), पीएचडी (पशु पोषण)

भूपेन्द्र टी फोंदबा
वैज्ञानिक II, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी, पीएचडी (पशु पोषण)

आलोक प्रताप सिंह
प्रबंधक बीवीएससी, एंड एएच, एमवीएससी, पीएचडी (पशु पोषण)

असरफ हुसैन एसके
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण), पीएचडी (पशु पोषण)

चंचल वाघेला
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

विनोद उइके
प्रबंधक, बीएससी (कृषि), एमएससी (एग्रोनॉमी)

अलका चौधरी
प्रबंधक, बीएससी (एच) (कृषि), एमएससी (एग्रोनॉमी)

अभय सिहाग
उप प्रबंधक, बीटेक (कृषि इंजी)

पशुधन एवं आहार विश्लेषण तथा अध्ययन केन्द्र

राजेश नायर
निदेशक, बीएससी, एमएससी (एने. केम), पीएचडी (केम)

राजीव चावला
वरिष्ठ वैज्ञानिक, बीएससी, एमएससी (पशु पोषण), पीएचडी (पशु पोषण)

हर्षेंद्र सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक,बीई (इलेक्ट. एण्ड पावर इंजी.), एमबीए (विपणन)

एस के गुप्ता,
वैज्ञानिक III, एमएससी (कृषि)

स्वागतिका मिश्रा
वैज्ञानिक II, बीएससी (बॉटनी), एमएससी (माइक्रो.)

आर पी डोडामनी
उप प्रबंधक, बीकॉम, एलएलबी

अमोल एस खड़े
वैज्ञानिक I, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु अनु. एवं प्रजनन)

राजीव कुमार
वैज्ञानिक I, बीएससी, एमएससी (माइक्रो.)

ध्यानेश्वर आर शिंदे
वैज्ञानिक I, बीटेक (डीटी), एमटेक (डेरी केम)

सुशील जी गवांडे
वैज्ञानिक I, बीटेक (डीटी), एमटेक (डेरी केम)

हृदय बी दर्जी
वैज्ञानिक I, बीटेक (डीटी), एमटेक (डीटी)

स्वाति एस पाटिल
वैज्ञानिक I, बीएससी (खाद्य प्रौ. एवं प्रबंधन), एमएससी (खाद्य प्रौ.)

अभिषेक कुमार सिंह
वैज्ञानिक I, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

पुदोता रोहिथ कुमार
वैज्ञानिक I, बीएससी (केम), एमएससी (फूड केम)

शुभादीप मुखर्जी
वैज्ञानिक I, बीएससी (केम), एमएससी (एग्री केम एवं मृदा विज्ञान), पीएचडी (एग्री केम एवं मृदा विज्ञान)

विधि

चंडका टीवीएस मूर्ति
उप महाप्रबंधक, बीकॉम, बीएल, एलएलएम, पीजीडी (ट्रांसपो. प्रबंधन), पीजीडी (सायबर लॉ एण्ड आईपीआर)

पल्लवी ए जोशी
प्रबंधक, बीकॉम, एलएलबी

प्रशासन

एस के कोठारी
वरिष्ठ प्रबंधक, बीए (अंग्रेजी), एमए (हिन्दी), पीजीडीएम (पीएम एण्ड एलडब्ल्यू)

एस एस व्यास
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, एलएलबी, एमएलएस

डी सी परमार
प्रबंधक, एमकॉम, एलएलबी (सामान्य), एमएसडब्ल्यू, पीजीडीएचआरएम

जनार्दन मिश्र
उप प्रबंधक, एमए (हिन्दी), एमफिल (अनुवाद प्रौ.), मास कम्यू. एवं संप्रेषणी हिन्दी में पीजीडी

प्रशासन–उपयोगिता

एस सी सुरचौधरी
उप महाप्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

एस के शर्मा
वरिष्ठ प्रबंधक, डीसीई

आर बी शाह
वरिष्ठ प्रबंधक, डीईई

रूपेश ए दर्जी
प्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

विपुल एल सोलंकी
प्रबंधक, बीई (ईसीई)

जय नागर
प्रबंधक, बीई (सिविल)

लेखा

एस रघुपति
महाप्रबंधक, एमकॉम, आईसीडब्ल्यूए, पीजीडीआरडीएम

अमित गोयल
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, सीए

विनय गुप्ता
प्रबंधक, बीकॉम, आईसीडब्ल्यूए

चिराग के सेवक
प्रबंधक, बीएससी (गणित), पीजीडीसीए, पीजीडीटीपी, आईसीडब्ल्यूए

कल्पेशकुमार जे पटेल
प्रबंधक, बीबीए, एमकॉम, आईसीडब्ल्यूए, सीएस

विपिन नामदेव
प्रबंधक, एमकॉम, पीजीडीसीए, आईसीडब्ल्यूए

आर अरुमुगम
प्रबंधक, एमकॉम

रश्मि प्रतीश
प्रबंधक, एमकॉम, आईसीडब्ल्यूएआई

बृजेश साहू
प्रबंधक, बीकॉम, सीए

स्वप्निल ठक्कर
प्रबंधक, एमकॉम, सीए

संजय नंदी
उप प्रबंधक, बीकॉम, आईसीडब्ल्यूएआई

दिपेन आर शाह
उप प्रबंधक, बीबीए, एमबीए (वित्त), आईसीडब्ल्यूएआई

सोनिया राय
उप प्रबंधक, बीकॉम, सीए

विजय कुमार
उप प्रबंधक, बीकॉम, सीए

क्षेत्रीय कार्यालय, बैंगलोर

एस राजीव
उप महाप्रबंधक, बीटेक (इंडस्ट्रीयल इंजीनियरिंग), पीजीडीआरएम

डी जी रघुपति
उप महाप्रबंधक, बीवीएससी, पीजीडीआरडीएम

एस डी जयसिंघानी
उप महाप्रबंधक, बीएससी (डीटी), पीजीडीएचआरएम

जी सी रेड्डी
उप महाप्रबंधक, एमएससी (सांख्यिकी), एमफिल (जनसंख्या अध्ययन)

टी टी विनायगम
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (कृषि), पीजीडीआरएम

एम एन सतीश
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (सांख्यिकी)

एस एस न्यामगोंडा
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (एग्रो)

एम एल गवांडे
वरिष्ठ प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी (वेट मेड.)

पंकज सिंह
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि)

बी सेंथिल कुमार
प्रबंधक, बीएससी, पीजीडीसीए, बीएड, एमसीए, एमबीए

हलनायक ए एल
प्रबंधक, बीएससी (कृषि विपणन एवं सहकार), एमएससी (कृषि इको)

लथा सिरिपुरापु
प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीबीए (वित्त)

रजनी बी त्रिपाठी
प्रबंधक, बीएससी (बॉटनी), एमएसडब्ल्यू, पीजीडीआईआरपीएम

निधि नेगी पटवाल
प्रबंधक, बीएससी, एमएससी (रसायन), पीजीडीआरएम

थुंगय्या सालियान
प्रबंधक, बीए, एमएसडब्ल्यू, पीजीडी-एचआरएम

दिव्या टीआर
उप प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु प्रजनन गायनेकोलॉजी एवं ऑब्सटेट्रिक्स)

एनडीडीबी कार्यालय, इरोड

ए कृतिगा
प्रबंधक, बीएससी (कृषि), एमए (ग्रामीण विकास)

एनडीडीबी कार्यालय, त्रिवेन्द्रम

रोमी जेकब
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि)

एनडीडीबी, विजयवाड़ा

बी वी महेशकुमार
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि)

क्षेत्रीय कार्यालय, कोलकाता

डोरा साहा
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (इको), एमफिल (इको)

सब्यसाची रॉय
प्रबंधक, बीएससी (कृषि) ऑनर्स, एमएससी (कृषि), पीजीडीआरडी

समता डे
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (वेटी. गायनेक एण्ड ऑब्स.)

हर्ष वर्धन
प्रबंधक, बीटेक (इलेक्ट्रो), पीजीडीएम (वित्त),

सत्यपाल कुर्रे
प्रबंधक, डी फार्मा, बीवीएससी एण्ड एएच, एमबीए

श्रेष्ठा
प्रबंधक, बीसीए, पीजीडीएम (मानव संसाधन एवं विपणन)

एनडीडीबी कार्यालय, भुवनेश्वर

धनराज खत्री
प्रबंधक, बीए, एमए (एसडब्ल्यू)

एनडीडीबी कार्यालय, पटना

विशाल कुमार मिश्रा
प्रबंधक, बीए, एमए (एसडब्ल्यू)

पदम वीर सिंह
प्रबंधक, बीवीएससी एंड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

क्षेत्रीय कार्यालय, मुंबई

ए एस हातेकर
उप महाप्रबंधक, एमएससी (कृषि)

स्वाती श्रीवास्तव
प्रबंधक, बीएससी (भौतिकी), पीजीडीआरएम

राहुल त्रिपाठी
प्रबंधक, बीकॉम, एमबीए (वित्त)

जिथिन एच कैमल
प्रबंधक, बीबीए, एमबीए

मनोजकुमार बी सोलंकी
वैज्ञानिक-। बीटेक (डीटी), एमटेक (डेरी केम)

एनडीडीबी कार्यालय, भोपाल

सुभांकर नंदा
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

एनडीडीबी कार्यालय, नागपुर

अतुल सी महाजन
उप प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु अनु. एवं प्रजनन), पीएचडी (पशु अनु. एवं प्रजनन)

चंद्रशेखर के डाखोले
उप प्रबंधक, बीवीएससी एंड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

क्षेत्रीय कार्यालय, नोएडा

ए के अग्रवाल
उप महाप्रबंधक, एमकॉम

अनिल पी पटेल
वरिष्ठ प्रबंधक, एमएससी (कृषि), पीजीडीएमएम

वी पी भोसले
वरिष्ठ प्रबंधक
बीवीएससी एंड एएच, एमवीएससी (मेडि.)

सीमा माथुर
वरिष्ठ प्रबंधक, एमए (अंग्रेजी)

एम के राजपूत
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी, बीई (खाद्य अभियांत्रिकी एवं प्रौ.)

आशुतोष सिंह
प्रबंधक, एमए (अर्थशास्त्र), पीएचडी (अर्थशास्त्र)

संजय कुमार यादव
प्रबंधक, बीएससी, एमबीए (आरडी)

के बी प्रताप
प्रबंधक, बीआईबीएफ (इंट बिजनेस), पीजीडीडीएम

पंकज देउरी
उप प्रबंधक, बीवीएससी, एमवीएससी (पशु अनु. एवं प्रजनन)

एनडीडीबी कार्यालय, बीकानेर

मनोज कुमार गुप्ता
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (वेट माइक्रो)

जितेन्द्र सिंह राजावत
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, कृषि व्यवसाय प्रबंधन में पीजीडी

एनडीडीबी कार्यालय, चंडीगढ़

रूमीनपाल सिंह बाली
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु प्रजनन गायनेकोलॉजी एवं ऑब्सटेट्रिक्स)

कुलदीप दूदी
उप प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

एनडीडीबी कार्यालय, जयपुर

प्रितेश जोशी
प्रबंधक, बीई (मेक), पीजीडीआरएम

एनडीडीबी कार्यालय, लखनऊ

मोहम्मद राशिद
प्रबंधक, बीए, पीजीडीडीएम

प्रतिनियुक्ति पर

पश्चिम असम दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लि., गुवाहाटी

एस बी बोस
उप महाप्रबंधक, बीई (मेक), पीजीडीआरडीएम

एस के परीदा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीई (इलेक्ट)

कुलदीप बोराह
प्रबंधक, बीएससी (बॉयोटेक), पीजीडीडीएम

अनीश नायर
उप प्रबंधक, बीटेक (इंस्ट्रूमेंटेशन), पीजीडीआरएम

झारखंड दूध महासंघ, रांची

ए सी सिन्हा
प्रबंध निदेशक, (जेएमएफ), बीटेक (डीटी), एमबीए

जयदेव बिस्वास
उप महाप्रबंधक, बीएससी (केम.), पीजीडीआरडी, पीजीडीएचआरएम

तुषार कांति पात्रा
वरिष्ठ प्रबंधक, बीकॉम, आईसीडब्ल्यूए, सीए (इंटर)

संदीप धीमान
प्रबंधक, बीकॉम, एमए (एसडब्ल्यू)

सैकत सामंता
प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण)

मिलन कुमार मिश्रा
प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीडीएम

आभास अमर
प्रबंधक, बीबीए, पीजीडीएम

एलन सावियो एक्का
उप प्रबंधक, बीएससी (आईटी), पीजीडीएम-आरएम

सुरभि पवार
उप प्रबंधक, बीबीए, पीजीडीएम - आरएम

विष्णु डेथ जी
उप प्रबंधक, बीटेक (सीएस), पीजीडीआरएम

शाहजहांपुर महिला दूध उत्पादक सहकारी संघ लि. (शामूल), शाहजहांपुर

टी सी गुप्ता
वरिष्ठ प्रबंधक, बीएससी (आनर्स), एमएससी (कृषि), पीएचडी (एग्रो)

ए एस भदौरिया
प्रबंधक, बीई (खाद्य अभि. एवं प्रौ.)

शैली टोपनो
प्रबंधक, बीए (ऑनर्स), एमए (एसडब्ल्यू)

प्रियंका टोपो
उप प्रबंधक, बीकॉम, पीजीडीआरएम

सचिन एस शंखपाल
उप प्रबंधक, बीवीएससी एण्ड एएच, एमवीएससी (पशु पोषण), पीएचडी (पशु पोषण)

प्रकाशकुमार ए पंचाल
उप प्रबंधक, बीटेक (डीटी), एमएससी (आईसीटी-एआरडी)

भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई), नई दिल्ली

सुनील बक्शी
उप महाप्रबंधक, एमएससी (डेरी बैक्टीरियोलॉजी)

कृतज्ञता ज्ञापन

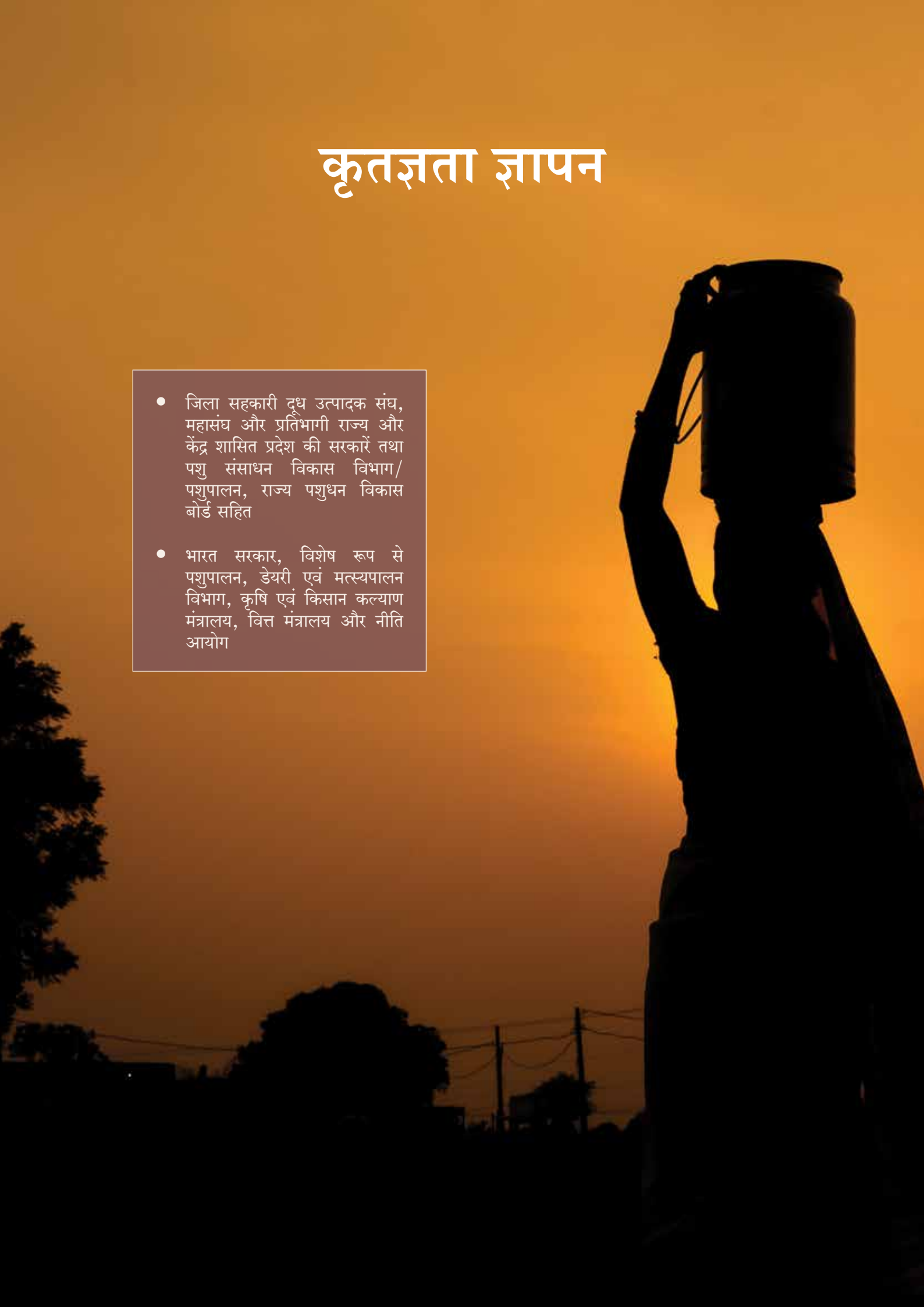

- जिला सहकारी दूध उत्पादक संघ, महासंघ और प्रतिभागी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की सरकारें तथा पशु संसाधन विकास विभाग/ पशुपालन, राज्य पशुधन विकास बोर्ड सहित

- भारत सरकार, विशेष रूप से पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन विभाग, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और नीति आयोग

मुख्यालय

पोस्ट बॉक्स सं. 40, आणंद 388 001
दूरभाष: (02692)
260148/260149/260160
फैक्स: (02692) 260157
ई-मेल: anand@nddb.coop

कार्यालय

पोस्ट बॉक्स सं. 9506, VIII ब्लॉक,
80 फीट रोड, कोरमंगला,
बेंगलुरू 560 095
दूरभाष: (080) 25711391 / 25711392
फैक्स: (080) 25711168
ई-मेल: bangalore@nddb.coop

डीके ब्लॉक, सेक्टर II,
सॉल्ट लेक सिटी, कोलकाता 700 091
दूरभाष: (033) 23591884 / 23591886
फैक्स: (033) 23591883
ई-मेल: kolkata@nddb.coop

पोस्ट बॉक्स सं. 9074,
वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, गोरेगांव (पूर्व),
मुंबई 400 063
दूरभाष: (022) 26856675 / 26856678
फैक्स: (022) 26856122
ई-मेल: mumbai@nddb.coop

प्लॉट सं. ए-3, सेक्टर-1,
नोएडा 201 301
दूरभाष: (0120) 4514900
फैक्स: (0120) 4514957
ई-मेल: noida@nddb.coop

www.nddb.coop

https://www.facebook.com/
NationalDairyDevelopmentBoard

Concept & Design
WYATT Prism COMMUNICATIONS (info@wyatt.co.in)